



HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड



भारत 2023 INDIA



संवहनीय पोत निर्माण की ओर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

विषय सूची

01-10

निगमित अवलोकन

- 01 निगमित सूचना
- 02 हमारे बारे में
- 04 व्यापार क्षेत्र
- 05 उत्पाद श्रेणी
- 06 अध्यक्षीय भाषण
- 08 निदेशक मंडल
- 10 नेतृत्व दल

34-87

वित्तीय विवरण

- 34 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- 43 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
- 44 तुलन पत्र
- 45 लाभ और हानि का विवरण
- 46 नकदी प्रवाह विवरण
- 47 इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण
- 48 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

11-33

सांविधिक रिपोर्टें

- 11 निदेशकों की रिपोर्टें
- 23 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्टें
- 28 निगमित शासन पर रिपोर्टें

88-96

सूचना

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष

श्री विजय भास्कर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री हरिकृष्णन एस
गैर-कार्यकारी निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री किरण के ए
कंपनी सचिव (सीएस)

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेष शेख लेन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल – 711 109
सीआईएन: U35900WB2017GOI223197

सुविधाएं

नजीरगंज, पश्चिम बंगाल
साल्किया, पश्चिम बंगाल

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स रैड्स व कंपनी
(सीए1369)
1, जिप्सण लेन, सिधा जिप्सण
2 मंजिल, स्टूट सं. 214
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700 069

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स एसवीजेएस व असोसिएट्स
कंपनी सचिव
प्रथम तल, 65/2364ए
पोनोत्त रोड, कलूर
कोच्ची – 682 017

बैंकर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक



हमारे बारे में

सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत के नामित राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जलयानों की भारी मांग को पूरा करने हेतु कार्यरत है।

भारत का पूर्वी तट समुद्री गतिविधि का केंद्र रहा है और जहां तक पोत निर्माण का संबंध है, यह देश के लिए प्रकाश स्तंभ रहा है। इस दिशा में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने इस क्षेत्र में पोत निर्माण क्षेत्र को और मजबूत करने के अपने प्रयास में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) की सदियों पुरानी विरासत पर कब्जा कर लिया है जो देश के पूर्वी तट पर पोत निर्माण के अग्रदूत थे।

एचडीपीईएल हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से वर्ष 1819 में स्थापित देश के सबसे पुराने शिपयार्ड में से एक है। तत्पश्चात इसका पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स में विलय हो गया और इसे हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के रूप में जाना जाने लगा। सीएसएल ने इस यार्ड को ग्रहण कर लिया जिसमें नजीरगंज और साल्किया में सुविधाएं शामिल हैं और अक्टूबर 2017 में एचडीपीईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के रूप में फिर से नामकरण किया गया और उसके बाद दिनांक 03 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एचसीएसएल दिनांक 07 नवंबर 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

सीएसएल, आईडब्ल्यूआई की जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने हेतु भारत सरकार की विचार प्रक्रिया के अनुरूप नजीरगंज इकाई को आधुनिक पोत निर्माण सुविधा में नवीनीकृत और पुनर्गठित किया गया है। सीएसएल देश के अग्रणी शिपयार्ड से तकनीकी और डिजाइन समर्थन के साथ, एचसीएसएल अंतर्देशीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता, आला जलयानों की मांगों को पूरी तरह से और तटीय और समुद्र जाने वाले खंड को काफी हद तक पूरा करने हेतु आश्वस्त है।

हमारी इकाई आंतरिक क्यूए/ क्यूसी, एनडीटी, अग्नि और सुरक्षा जैसे नवीनतम पोत निर्माण मानदंडों से सुसज्जित है और प्रत्येक कार्य को समय बद्ध तरीके से पूरा करने हेतु अनुभवी कार्यबल के साथ परिष्कृत उपकरण हैं। हमने भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) से आईएसओ 9001-2015-गुणवत्ता, आईएसओ 14001-2015-पर्यावरण और आईएसओ 45001-2018 - स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणन सहित आईएमएस प्रमाणन प्राप्त किया है। विस्तारित रिवर फ्रंट के कारण स्लिपवे लॉचिंग और साइड लॉचिंग सुविधा दोनों का समर्थन करने वाले रणनीतिक स्थान के कारण हमारी सुविधा का एक अतिरिक्त लाभ है।

हम एचसीएसएल में, ग्राहकों के लिए न केवल सबसे अधिक लागत प्रभावी डिजाइन और पोतों को विकसित करके एक व्यापक समर्थन प्रदान कर सकते हैं, बल्कि जलयानों से आवधिक वास्तविक समय प्रतिक्रिया पर दोष विश्लेषण और रखरखाव कार्यक्रम आयोजित करके पोत की पूरी अवधि के लिए सहायता और उसके बाद अनुसूची के अनुसार मरम्मत भी प्रदान कर सकते हैं।

एचसीएसएल में सुविधा के कुछ मुख्य अंशः

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| पोत निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सभी शॉप फ्लोर। | 80 मीटर तक के जलयानों के लिए विंच और क्रेडल सिस्टम सहित एंड लॉचिंग (2सं.)। | 120 मीटर तक के जलयानों के लिए साइड लॉचिंग (01 सं.) |
| 4 | 5 | 6 |
| जेटी के साथ फिटआउट बर्थ (04 सं.)- प्रत्येक में फ्लोटिंग पॉटून (30 मी. *7 मी.) के साथ गैंगवे और टवरक्रेन (5 टन)। | ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिजाइनों की विस्तृत श्रृंखला। | 3.01 मिलियन सुरक्षित कामकाजी घंटों के प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने हेतु मजबूत कार्यबल। |

दूरदर्शिता

- छोटे पोत खंड में विश्व स्तरीय व्यापारिक और रक्षा पोतों, अपतटीय जलयानों और संरचनाओं के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा शिपयार्ड के रूप में उभरे।
- स्पांतरण और उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाजार में अग्रणी बने।
- हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान और हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी सेवा की उत्कृष्टता के लिए भरोसा किया जाना।

लक्ष्य

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पोतों का निर्माण और मरम्मत करना और मूल्यवर्धित गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतिस्पर्धी माहौल में निगमित विकास को बनाए रखना।
- एक जिम्मेदार निगमित नागरिक बनने की दिशा में प्रथाओं को अपनाना और स्वीकारना।



व्यापार क्षेत्र:



पोतनिर्माण:

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिजाइन की विस्तृत श्रृंखला। इसमें यात्री और माल वाहक क्षमता दोनों के लिए अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्र में जाने वाले जलयान शामिल है।



जीवनकाल विश्लेषण:

पोतों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, दोषों पर विश्लेषण और मरम्मत के पूर्व सूचना और स्लॉट करने हेतु सामान्य रखरखाव की जा सकती है।



मरम्मत अनुसूची:

खराब होने से बचने और यंत्रों की रुकावट को कम करने हेतु उपकरणों की समय-समय पर मरम्मत करना।

उत्पाद श्रेणी

टग

कार्य नौका

मत्स्य ग्रहण
जलयानहाइब्रिड विद्युत
नाव

रो-पैक्स

टो बार्ज

पैक्स फेरी

रो-रो

समुद्री एम्बुलेंस
नाव

पुषेर्स

पोर्ट फीडर

तटीय एलएनजी
टैंकरअनुसंधान
जलयानरक्षा
जलयानस्वायत्त विद्युत
बार्ज

अध्यक्षीय भाषण



“ सभी उत्पादन गतिविधियाँ यार्ड में काम की गुणवत्ता को दर्शाते हुए किसी भी लंबित अवलोकन के बिना आईआरएस की देखरेख और मंजूरी के तहत प्रगति कर रही हैं। ”

प्रिय शेयरधारकों,

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की 06वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि, नाजीरगंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधा की स्थापना पूरी हो गई है, और 16 अगस्त, 2022 को यह सुविधा श्री सर्बानंद सोणोवाल माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, भारत सरकार द्वारा राष्ट्र

को समर्पित की गई थी। यह सुविधा हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य खुद को भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित करना है, जो अंतर्देशीय और तटीय दोनों जलयानों की सेवा प्रदान करता है।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) द्वारा आईएमएस प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें गुणवत्ता के लिए आईएसओ 9001-2015, पर्यावरण के लिए आईएसओ 14001-2015 और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001-2018 शामिल है। यह प्रमाणीकरण इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, कंपनी ने उद्योग के अग्रणी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधानों में से एक, एसएपी एस/4हाना को सफलतापूर्वक लागू किया है। हमारा अनुमान है कि इस कार्यान्वयन से हमारे व्यापारिक लेनदेन की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिससे प्रचालन उत्कृष्टता के एक नए युग की शुरुआत होगी।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, एचसीएसएल ने जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक बहुमुखी बहुउद्देश्यीय कार्गो जलयान (2200 टन) के डिजाइन और निर्माण के लिए अपने उद्घाटन पोत निर्माण अनुबंध को हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। इस जलयान का निर्माण फिलहाल चल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जलयान आरएसवी 4 विनिर्देशों का पालन करता है और आईआरएस द्वारा वर्गीकृत है।

इसके अलावा, कंपनी ने पांडु, असम में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता भी किया है। प्रस्तावित पोत मरम्मत सुविधा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचालन करने वाले जलयानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है, जिससे उन्हें मामूली मरम्मत के लिए कोलकाता जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मूल्यवान समय की बचत होगी।

इसके अलावा, यार्ड वर्तमान में सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), सीएसएल के लिए बॉक्स कैसॉन गेट के डिजाइन, खरीद, निर्माण, स्थापना और परीक्षण से जुड़े ऑर्डर के निष्पादन में लगा हुआ है। पूरा होने पर इस महत्वपूर्ण घटक को एसएमपीटी में नेताजी सुभाष डॉक पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, यार्ड आईडब्ल्यूआई के लिए 6 बैटरी इलेक्ट्रिक यंत्रों के निर्माण की तैयारी कर रहा है।

इसके अलावा, यार्ड ने अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए यार्ड के चालू होने के बाद से केवल पांच महीने की बेहद कम समय सीमा के भीतर दो जेट्टी पॉटन का सफलतापूर्वक निर्माण और लॉन्च करके उल्लेखनीय दक्षता का निष्पादन किया है।

इस उपलब्धि ने हमारी उत्पादन क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे हम आगामी पोत निर्माण अनुबंधों को आत्मविश्वास से लेने के लिए तैयार हो गए हैं। सभी उत्पादन गतिविधियाँ यार्ड में काम की गुणवत्ता को दर्शाते हुए किसी भी लंबित अवलोकन के बिना आईआरएस की देखरेख और मंजूरी के तहत प्रगति कर रही हैं। इसके अलावा, यार्ड ने पोत मरम्मत सेवाएं शुरू कर दी हैं और डेनमार्क से प्रणोदन इकाई के आयात के बाद, केवल सात दिनों के भीतर एक आईडब्ल्यूआई जलयान के मरम्मत को तेजी से पूरा करके सफलता हासिल की है।

यार्ड रणनीतिक रूप से सीएसएल समूह की दीर्घकालिक रणनीति, जिसे क्रूज़ 2030 के नाम से जाना जाता है, में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। इसमें छोटे जलयानों के क्षेत्र में पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाना शामिल है, विशेष रूप से देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अंतर्देशीय जलयानों, यात्री घाटों, रो-रो/रो-पैक्स जलयानों और पोत मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करना। एचसीएसएल, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक पहुंच वाले एक यार्ड के रूप में, छोटे जलयानों के लागत प्रभावी निर्माण के लिए उपयुक्त है। यह रणनीतिक लाभ कंपनी को देशीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च मात्रा, कम मार्जिन वाले छोटे जलयानों के बाजार में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने की स्थिति में रखता है।

वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी ने अपने प्रचालन से 1,702.06 लाख रुपये की कुल आय अर्जित की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पोत निर्माण से 969.34 लाख रुपये, पोत मरम्मत से 156.37 लाख रुपये और अन्य सेवाओं से 576.35 लाख रुपये शामिल हैं। हालाँकि, कंपनी जो वाणिज्यिक पोत निर्माण के शुरुआती चरण में है, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2,033.59 लाख रुपये के नुकसान की सूचना दी है। कंपनी एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त करने के लिए चर्चा कर रही है और उम्मीद है कि ऑर्डर जल्द ही पूरा हो जाएगा। जैसे-जैसे कंपनी अपने ऑर्डर निष्पादन स्तर को बढ़ा रही है, निकट भविष्य में इसके वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

यह भी उल्लेखनीय है कि, कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक (पोत निर्माण) अर्थात् श्री हरिकृष्णन एस को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप श्री चंद्र मणि राउत जो एचसीएसएल में निदेशक नहीं रहे उनके स्थान पर एचसीएसएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया। मुझे विश्वास है कि नए निदेशक, विशेष रूप से पोत निर्माण के विभिन्न प्रचालन पहलुओं में, व्यापक विशेषज्ञता से कंपनी को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी के भीतर अनुकूलतम स्टाफिंग स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवश्यक अतिरिक्त श्रमशक्ति पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है।

दिनांक 08 जुलाई 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 18(8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक पूरी तरह से चालू नहीं थी, उसे निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई थी। दिशानिर्देश 16 अगस्त, 2022 को सुविधा के उद्घाटन के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही से लागू किए गए हैं। कंपनी जहां भी संभव हो सर्वोत्तम निगमित शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निगमित शासन पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी इस संबंध में डीपीई की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को निगमित शासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

समापन से पहले, मैं सीईओ के नेतृत्व में एचसीएसएल प्रबंधन को उनके निरंतर समर्थन, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं परियोजना को पूरा करने के लिए दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी दर्ज करना चाहता हूँ। मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (एसएमपी) के अधिकारियों को परियोजना पूरा करने में उनके योगदान के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कंपनी के समर्पित कर्मचारियों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयासों और स्थायी प्रतिबद्धता के बिना, कंपनी इन कठिन और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान टिक नहीं पाती।

मैं कंपनी को शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि वह अंतर्देशीय जलमार्ग पोत क्षेत्र में भारत में अग्रणी खिलाड़ी बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

धन्यवाद

जय हिन्द

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल



श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष

श्री मधु शंकुण्णी नायर कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। वे दिनांक 01 जनवरी 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। श्री मधु शंकुण्णी नायर ने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण) की डिग्री और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से इंजीनियरिंग (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग) में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोतनिर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टोकियो और ओसाका अंतरराष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जेआईसीए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्डिंग अनुसंधान में शोध किया। वे द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यूके (आरआईएनए) के फेलो और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, भारत के फेलो हैं और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में, उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है; कुसाट प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2022, समुद्र मंथन प्रोफेसर के आर भंडारकर पुरस्कार 2022, रोटरी आइकन 2023 पुरस्कार, प्राइड ऑफ केएमए पुरस्कार, आदि इनमें से कुछ नाम हैं। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 35 वर्ष का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री विजय भास्कर
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री विजय भास्कर को एचसीएसएल के बोर्ड में दिनांक 25 अप्रैल 2018 से शामिल किया गया है। वे 05 अप्रैल 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोतनिर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री जोस वी जे
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे को एचसीएसएल के बोर्ड में दिनांक अगस्त 03, 2019 से शामिल किया गया है। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 32 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन को दिनांक 26 मार्च 2022 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) हैं। उन्होंने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालिकट से बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (मेकानिकल) में उपाधि हासिल की है और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण, पोत डिजाइन और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का कार्य अनुभव है। वह उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्रीमती अंजना के आर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर को दिनांक 26 मार्च 2022 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की महाप्रबंधक (डिजाइन) हैं। श्रीमती अंजना के आर के पास कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी से बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (नौसेना वास्तुकला और पोतनिर्माण) की उपाधि है। उन्हें पोत डिजाइन, पोत निर्माण हल, उत्पाद इंजीनियरिंग और पोत निर्माण सामग्री प्रापण जैसे क्षेत्रों में 27 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है।



श्री हरिकृष्णन एस
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री हरिकृष्णन एस को 21 जुलाई, 2023 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (पोत निर्माण) हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री हासिल की है। उन्हें डिजाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, खरीद, योजना और परियोजना प्रबंधन और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में पोत निर्माण में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

नेतृत्व दल



श्री शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री शेखर चक्रवर्ती ने दिनांक 22 दिसंबर 2021 से एचसीएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोनावाला से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) में उपाधि, नौसेना वास्तुविद्निर्माण में आईआईटी (दिल्ली) से डीआईआईटी (एनसी) स्नातकोत्तर उपाधि और आईआईएम (इंदौर) से व्यापार विकास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया है। वह 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और 1987 में कमीशन हुए। उनके पास भारतीय नौसेना में 25 साल की कमीशन सेवा है। उन्होंने 9 साल की अवधि के लिए एलएंडटी पोत निर्माण के साथ भी काम किया है। एलएंडटी में पोत लिफ्ट एंड मरीन सर्विसेज डिवीजन के प्रमुख के अलावा, उन्हें पोत डिज़ाइन, पोत मरम्मत और पोत निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता हासिल है।



श्री सैबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री सैबल चट्टोपाध्याय ने दिनांक 14 फरवरी 2022 से एचसीएसएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई-सीएमए) के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के सदस्य हैं। उनके पास विभिन्न क्षमताओं पर विभिन्न बड़े कॉरपोरेट्स के साथ वित्त से संबंधित क्षेत्रों में एक समृद्ध अनुभव है। एचसीएसएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिंदुस्तान इन्सेविटसाइड्स लिमिटेड) के निदेशक वित्त के रूप में काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ भी काम किया था।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ आपकी कंपनी की 06 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत खुशी है।

यार्ड के बारे में

2. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की स्थापना शुरुआत में 23 अक्टूबर 2017 को सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, सीएसएल ने एचडीपीईएल के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया और 01 नवंबर 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नजीरागंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा की स्थापना पूरी हो गई और 16 अगस्त 2022 को यह सुविधा श्री सर्वानंद सोणोवाल द्वारा माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, भारत सरकार राष्ट्र को समर्पित की गई। अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट में एक प्रमुख पोत निर्माण/ मरम्मत यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करने के इरादे से 175.20 करोड़ की लागत से हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में यह सुविधा स्थापित की गई है।

प्रचालन

4. एचसीएसएल को जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए बहुउद्देश्यीय कार्गो वेसल (2200 टी) के डिज़ाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पोत निर्माण आदेश मिला। कंपनी ने असम के पांडु में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता भी किया है। यार्ड सीएसएल से बॉक्स काइसन गेट के डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के आदेश को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसे एसएमपीटी में नेताजी सुबाष डॉक पर तैनात और चालू किया जाएगा।

5. वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, यार्ड के चालू होने के बाद से पांच महीने की छोटी-सी अवधि में यार्ड ने कंपनी के लिए दो जेट्टी पोटून का सफलतापूर्वक निर्माण और लॉन्च किया है। इसने यार्ड को सभी उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को सक्षम करने में सक्षम बनाया है ताकि आगामी पोत निर्माण अनुबंधों को निधडक लिया जा सके।

6. सभी उत्पादन गतिविधियां यार्ड में काम की गुणवत्ता को दर्शाते हुए किसी भी लंबित अवलोकन के बिना आईआरएस की देखरेख और मंजूरी के तहत प्रगति कर रही हैं। यार्ड ने पोत की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है और डेनमार्क से प्रणोदन इकाई के आयात के बाद सात दिनों की छोटी अवधि के भीतर एक आईडब्ल्यूआई जलयान की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

वित्तीय विवरण

7. कंपनी जो अपेक्षित शिपयार्ड संरचना सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2,033.59 लाख रुपए (283.61 लाख रुपए गत वर्ष) की हानि रिपोर्ट की है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च 2023 को	दिनांक 31 मार्च 2022 को
(i)	सकल आय	1761.33	45.16
(ii)	वित्तीय लागत पूर्व लाभ/(हानि), मूल्यहास एवं कर	(166.63)	(286.03)
(iii)	वित्तीय लागत	889.98	56.82
(iv)	मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च	723.64	39.62
(v)	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1780.25)	(382.47)
(vi)	कर परिसंपत्ति	253.34	98.86
(vii)	निवल लाभ/(हानि)	2033.59	283.61

शेयर पूंजी

- दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,00,00,00,000/- (रुपए दौ सौ करोड रुपए मात्र) है, जो प्रत्येक 10 (रुपए दस मात्र) रुपए के 14,40,00,000 (रुपए चौदह करोड चालीस मात्र) इक्विटी शेयरों, जो कुल मिलाकर 1,44,00,00,000/- (रुपए एक सौ चौवालीस करोड रुपए मात्र) है और प्रत्येक 10 रुपए (रुपए 10 मात्र) के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड साठ लाख मात्र) रुपए की राशि 56,00,00,000/- (रुपए छप्पन करोड मात्र) में विभाजित है।
- दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी 1,52,00,00,000/- (रुपए एक सौ बावन करोड मात्र) रुपए की राशि जो प्रत्येक 10 (रुपए दस मात्र) रुपए के 9,60,00,000 (रुपए नौ करोड साठ लाख) इक्विटी शेयरों जो प्रत्येक कुल मिलाकर 96,00,00,000/- (रुपए छियानबे करोड मात्र) है और जो प्रत्येक 10 रुपए के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड साठ लाख मात्र) अधिमान शेयरों में विभाजित है, जो कुल मिलाकर 56,00,00,000 (रुपए छप्पन करोड मात्र) है। संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के पास है।

ऋणपत्र

- कंपनी ने 1,000 रुपए (केवल एक हजार रुपए) के अंकित मूल्य के 4,40,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) जारी किए हैं। ऋणपत्र, 44,00,00,000 रुपए (केवल चौतालीस करोड रुपए) की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.50% की ब्याज दर पर 60 महीनों की अवधि के साथ सितंबर 2018 के महीने में जारी किए गए थे। ऋणपत्र, सितंबर 2023 में ऋणमुक्ति के लिए देय है।
- कंपनी ने 1,000 रुपए (केवल एक हजार रुपए) के अंकित मूल्य के 3,10,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) जारी किए हैं। ऋणपत्र, 31,00,00,000 रुपए (केवल इकतीस करोड रुपए) की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.15% की कूपन दर पर 120 महीनों (आबंटन की तारीख से पांच साल बाद मुक्त करने के विकल्प के साथ) की अवधि के साथ सितंबर 2021 के महीने में जारी किए गए थे।
- कंपनी के पास कुल 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) असुरक्षित प्रतिदेय गैर- परिवर्तनीय ऋणपत्र हैं जिनका अंकित मूल्य 1000 रुपए (एक हजार रुपए मात्र) जो प्रत्येक 31 मार्च 2023 तक बकाया है।

लाभांश

- कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए कि कंपनी फिलहाल परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और उसका कोई विभाज्य लाभ नहीं है।

राजकोष में अंतरण


- चूंकि कंपनी ने हाल ही में अपना प्रचालन शुरू किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा हुआ है, कंपनी किसी भी राशि को आरक्षित निधि में अंतरित करने में असमर्थ है।

राजकोष में योगदान

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से किया गया कुल योगदान लगभग 430.39 लाख रुपए (पिछले वर्ष 311.54 लाख रुपए) है।

श्रमशक्ति स्थिति

- दिनांक 31 मार्च 2023 तक, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में 46 कर्मचारी हैं जिनमें 16 कार्यपालक, 08 परियोजना अधिकारी और 06 कर्मचारी (अनुबंध पर) शामिल हैं। कंपनी में अनुकूलतम श्रमशक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति की नियुक्ति के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रगति की जा रही है।



कर्मचारियों और संबंधी प्रकटीकरण का विवरण

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी गई है। अतः निदेशकों की पारिश्रमिक के विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय तथा खर्च

- कंपनी ने कुशल ऊर्जा संरक्षण के लिए स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रण तंत्र अपनाया है और यार्ड के अंदर सर्विस ब्लॉक के शीर्ष पर ऊर्जा के

वैकल्पिक स्रोत के रूप में 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बेहतर कार्यप्रणाली के लिए हर संभव स्वचालन पद्धति अपनाई गई है। ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

19. एचसीएसएल ने 04 अगस्त 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 23वीं बैठक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जिसमें जोखिम प्रबंधन की एक निर्धारित प्रक्रिया और जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग की पद्धति शामिल है। यह नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि प्रमुख जोखिमों की उचित पहचान की जा रही है और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।
20. नीति के अनुसार, एचसीएसएल बोर्ड एचसीएसएल में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। बोर्ड समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करके जोखिम निरीक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। मुख्य

कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित एचसीएसएल के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में, एचसीएसएल में नीति को लागू करने के लिए कंपनी के पास कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियां और जोखिम प्रबंधन संचालन समिति हैं। जोखिम प्रबंधन समितियां और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करते हैं। यार्ड का उत्पाद मिश्रण जिसमें रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण और पोत की मरम्मत शामिल है, कंपनी को बाजार जोखिम के खिलाफ प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

21. स्थापना के बाद से, कंपनी ने एक दुर्घटना की सूचना दी है जिसके परिणामस्वरूप एक कर्मचारी घायल हो गया है। ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय अपनाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। सुविधा के पूर्ण उपयोग के बाद भी किसी दुर्घटना के कारण कार्य हानि की कोई रिपोर्ट नहीं है। यार्ड ने आईआरएस द्वारा आईएमएस प्रमाणन प्राप्त किया है और सभी निर्धारित एसओपी का पालन कर रहा है। कंपनी ने कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

22. दिनांक मार्च 31, 2023 के अनुसार, कंपनी में 6 निदेशक हैं, जिनमें से सभी गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव हैं, विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	निदेशक
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	निदेशक
6.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	निदेशक
7.	श्री शंखर चक्रवर्ती	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	श्री सैबल चट्टोपाध्याय	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
9.	श्री किरण कप्पट्टिल अगस्टिन	लागू नहीं	कंपनी सचिव

23. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप श्री चंद्र मणि राउत दिनांक 29 मई 2023 से निदेशक नहीं रहे।

24. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

25. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गई और दो बैठकों के अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक आयोजित होने की तिथियां और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	मई 03, 2022	6	6
2.	अगस्त 04, 2022	6	6
3.	नवंबर 03, 2022	6	6
4.	जनवरी 30, 2023	6	6
5.	मार्च 30, 2023	6	6

26. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित हुई बोर्ड बैठकों की सं.
1.	श्री मधु शंकुणी नायर	07376798	5/5
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	5/5
3.	श्री जोस वी जे	08444440	5/5
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	5/5
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	5/5
6.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	5/5

बोर्ड की समितियां

27. कंपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, कंपनी को अन्य वैधानिक समितियों जैसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की कोई वैधानिक समिति गठित नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी ने प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, आबंटन, अंतरण और अन्य संबद्ध मामलों के लिए एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों में समिति की संरचना और सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित हुई बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु शंकुणी नायर	07376798	अध्यक्ष	2/2
2.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	2/2

28. समिति की दो बैठक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक जुलाई 18, 2022 और मार्च 16, 2023 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में सभी सदस्य उपस्थित थे।

बोर्ड के निष्पादन की मूल्यांकन

29. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई, की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का पालन करने से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134 (3) (पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक रूप से अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रभारी है। इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधानों से भी छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

30. कंपनी को अब तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी, एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31. आपके निदेशक प्रकट करते हैं कि:

- क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।
- ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लीयां और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा वर्ष 2022-23 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधी पार्टियों के साथ ठेके और व्यवस्थाएं

32. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के तहत अपेक्षितानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था का विवरण एओसी-2 में अनुलग्नक II में रखा गया है। सिवाय जैसा कि उसमें कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। इसके अलावा, आपके निदेशक वित्तीय विवरणों पर नोट 37 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं।

निगमित शासन

33. दिनांक 08 जुलाई 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं.18(8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक पूरी तरह से चालू नहीं थी, को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई थी। दिनांक 16 अगस्त 2022 को माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल द्वारा सुविधा के उद्घाटन के परिणामस्वरूप दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान लागू किए गए हैं। तदनुसार, निगमित शासन पर अनुपालन रिपोर्ट कंपनी पर वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही से ही लागू है और इसे मंत्रालय के पास जमा कर दिया गया है। डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनते हुए एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

34. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

35. कंपनी, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है जो नियंत्रक कंपनी, सीएसएल के अनुरूप है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

36. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक 1 जुलाई 2015 से प्रभावी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

37. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स राड्स एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 320298E) (सीए1369), सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

38. मेसर्स राड्स एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 28 अप्रैल 2023 को दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा

39. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने कंपनी के अनुपूरक लेखापरीक्षा को महा लेखापरीक्षा निदेशक का कार्यालय (खान), कार्गिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को सौंपा है। सीएंडएजी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

40. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी&एजी) की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

41. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स (फर्म यूनिट कोड नंबर P2008KE01790), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोची को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

42. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने जुलाई 04, 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे इस रिपोर्ट के अनुबंध III में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

43. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स स्पैन एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. 302192E), सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

सतर्कता

45. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लंबित/निपटाए गए कोई सतर्कता मामला नहीं है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

46. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। उक्त अनुरोध प्राप्त की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर बंद कर दिया गया था।

निगरानी तंत्र

47. कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (9) के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत नहीं आ रही है, जो एक सतर्कता तंत्र की स्थापना को अनिवार्य करता है। हालांकि, नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति कंपनी पर लागू होती है और एचसीएसएल के सतर्क तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट www.hooghlycsl.com पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरणी

48. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hooghlycsl.com पर उपलब्ध है।

आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की स्थिति

49. हुगली कोचीन शिपयार्ड भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वेंचमार्क अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों

और दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद-आधारित रोस्टर प्रणाली कायम रखते हुए आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जा रहा है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

50. कंपनी ने हाल ही में अपना प्रचालन शुरू किया है और वह सीएसआर गतिविधियां शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

51. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों नहीं है।

धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

52. शून्य।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

53. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच नहीं हुआ है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

54. रिपोर्टाधीन अवधि में कंपनी ने:

- क. किसी व्यक्ति को या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है।
- ख. किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के सिलसिले में कोई गारंटी नहीं दिया है और प्रतिभूति नहीं प्रदान किया है।
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, किसी अन्य निगमित निकाय के प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीदी या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

55. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

निक्षेप

56. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

57. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियमकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

58. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई मामला दर्ज/निपटारा नहीं गया है।

59. कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

आभारोक्ति

60. निदेशक मंडल माननीय प्रधान मंत्री, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सीएसएल, तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के सभी अधिकारियों के प्रति उनसे निरंतर प्राप्त हिमायत के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के विविध कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, कानूनी परामर्शदाताओं, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ता, उप-ठेकेदार और बैंकर के समर्थन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता है। बोर्ड सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की भी सराहना करना चाहेगा, जो कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु शंकरुणी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

हावडा

जुलाई 21, 2023

अनुलग्नक I

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा प्रभाव	उठाए गए कदम एपीएफसी पैनल सक्रिय हैं और सीईएसएसी विभाग से छूट प्राप्त कर रहे हैं। ऊर्जा निगरानी प्रणाली सक्रिय है।
(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	शून्य। हालांकि, कंपनी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	ऊर्जा संरक्षण के लिए लगभग 100 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए प्रयास	स्वचालन पद्धति
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त हुए लाभ।	ऊर्जा खपत की प्रभावी निगरानी के लिए ऊर्जा निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना से स्थान के अन्य शिपयार्डों की तुलना में उत्पादन दर और गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है।
(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)	
क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
ख. आयात का वर्ष	लागू नहीं
ग. क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अपनाया गया है	लागू नहीं
घ. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण	लागू नहीं
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	शून्य

ग. प्रौद्योगिकी अवशोषण

	(₹ लाख में)	
	2022-23	2021-22
विदेशी मुद्रा आय और व्यय		
पोत निर्माण से	0	0
पोत मरम्मत से	0	0
कुल	0	0
विदेशी मुद्रा में व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	115.90	0
डिज़ाइन एवं दस्तावेज़ीकरण	0	0
सेवा शुल्क एवं अन्य	0	0
कुल	115.90	0

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

हावडा

जुलाई 21, 2023

अनुलग्नक II

फॉर्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/समझौतों के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेनदेन शामिल हैं।

1. बिना निष्पक्ष आधार पर, अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) नियंत्रक कंपनी
ख.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	एचसीएसएल में सीएसएल एसएपी एस/4हाना की ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन,
ग.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन लागत और लाइसेंस
घ.	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	शुल्क के साथ, एचसीएसएल की ओर से सीएसएल द्वारा कुल मिलाकर 33.74 लाख रुपए वहन किया जाएगा।
ङ.	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	यह व्यवस्था केवल प्रारंभिक वर्ष के लिए है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एचसीएसएल अपने प्रचालन के शुरुआती चरण में है और नकद व्यय कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही एसएपी ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन से प्रणाली द्वारा दी जानेवाली सुविधाओं पर विचार करते हुए समग्र रूप से सीएसएल समूह को लाभ होगा। इसके अलावा, एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, इसलिए तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर समेकन के लिए वित्तीय विवरण सीएसएल को दिया जाना है और एक समान प्रणाली आसान और सुविधाजनक समेकन की सुविधा प्रदान करेगी।
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	अप्रैल 28, 2023
छ.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य
ज.	वह तारीख जब धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	लागू नहीं

2. निष्पक्ष आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	शून्य
ग.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ.	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	लागू नहीं
च.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुणी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

हावडा

जुलाई 21, 2023

अनुलग्नक III

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में,
सभी सदस्य
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेश शेख लेइन, नज़ीरगंज
हावडा - 711109, पश्चिम बंगाल

हम, एसवीजेएस व एसोसियेटेड्स, कंपनी सचिव, ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : U35900WB2017GOI223197) (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्याओं और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए विवरणी और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

- विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम और नियम;
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस1) और आम बैठकों (एसएस 2) से संबंधित सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों पर विश्वास प्रकट किया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत् गठन किया गया है। कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ।

सचिवीय मानकों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले और कुछ मामलों में अल्पकालीन सूचना पर भेजे गए थे और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मत थे और इसे कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज और रिकॉर्ड किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सत्यापन की सीमा तक, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशक मंडल ने दिनांक 30 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय इश्यू के माध्यम से 46,00,00,000/- रुपए (छियालीस करोड रुपए मात्र) की राशि के इक्विटी शेयरों की पेशकश, जारी करने और आर्बिट्र करे का प्रस्ताव पारित किया था।
2. कंपनी ने दिनांक 16 मार्च 2023 को राइट्स इश्यू के माध्यम से 4,60,00,000 (चार करोड साठ लाख रुपए मात्र) इक्विटी शेयर 10 रुपए (रुपए दस मात्र) पर आर्बिट्र किए थे, जिनमें से प्रत्येक का कुल मूल्य 46,00,00,000/- रुपए (रुपए छियालीस करोड मात्र) था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई उदाहरण नहीं थे :

- i. शेयरों/त्रणपत्र/ स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान निर्गम इश्यू।
- ii. प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीदी।
- iii. विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि।
- iv. विदेशी तकनीकी सहयोग।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढा जाना है जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 648/2019

कोच्ची

जुलाई 04, 2023

यूडीआईएन : F008154E000545130

अनुलग्नक 'क'

सेवा में ,

सभी सदस्य

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड

पी ओ धनेश शेख लेइन, नज़ीरगंज

हावडा - 711109, पश्चिम बंगाल

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है।

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
- 2) लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
- 3) कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
- 4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन और जांच के आधार पर अनुपालन तक सीमित थी।
- 6) अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च 2023 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।
- 7) हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 648/2019

कोच्ची

जुलाई 04, 2023

यूडीआईएन : F008154E000545130

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

हावडा

जुलाई 21, 2023

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. इस प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा कंपनी के उद्देश्यों, उम्मीदों या भविष्यवाणियों का वर्णन करने वाले कंपनी के संचालन के परिणाम लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और उम्मीदों पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या वास्तविक हो जाएंगी। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर इस दूरदेशी को लोकव्यापी रूप से संशोधित, परिवर्तन करने, पुनरीक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए गए परिणाम से असल में भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें नौसेना प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाता है। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('एचसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने समझदार और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण वर्ष के मामलों की स्थिति पर सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।
2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल इन विवरणों की टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो या संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहाँ तक कि 'हम', 'हमारी', 'कंपनी', 'हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड', 'एचसीएसएल', 'ग्रुप' में सभी संदर्भ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी नियंत्रक कंपनी है।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. चूंकि दुनिया भर में जनसंख्या बढ़ रही है, खासकर उभरते बाजारों में, लागत दक्षता के साथ कुशल समुद्री परिवहन की मांग वृद्धि और सतत विकास में

प्रमुख भूमिका निभाती है। पोत वाणिज्य और व्यापार को लाभ सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं और दुनिया भर में समान रूप से फैले हुए हैं। समुद्री व्यापार में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि और व्यापार जैसे कारक दुनिया भर में समान रूप से फैले हुए हैं।

4. समुद्र-जनित व्यापार में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में वृद्धि और ऊर्जा खपत में वृद्धि जैसे कारक पर्यावरण-अनुकूल पोतों की मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ और पोत निर्माण उद्योग ने सरकार से रियायतें मांगी हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ व्यापार के विस्तार के बढ़ते जोखिमों के कारण भारत को अपने नौवहन उद्योग का निर्माण करने की आवश्यकता है। भारतीय निर्यातक रूस और पड़ोसी देशों के मार्गों पर बढ़ते शिपिंग टैरिफ से चिंतित हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद यह 60% तक बढ़ गया है जबकि अन्य मार्गों पर टैरिफ में गिरावट आ रही है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

5. हिंद महासागर के माध्यम से प्रमुख मार्गों को नियंत्रित करके भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति रहा है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के आधे हिस्से को सुविधाजनक बनाता है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, पोत निर्माण की मांग में गिरावट आई, जो वर्षों से पोत निर्माण की सभी लंबित मांगों को लगातार पूरा कर रही है।
6. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 के अनुसार, पोत निर्माण उद्योग में वैश्विक मंदी ने भारतीय शिपयार्डों पर काफी प्रभाव डाला और वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम हो गई है। इस स्थिति को कम करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के दौरान हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त नीति इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार देशीय आदेशों और निर्यात आदेशों को पूरा करती है।
7. इसके अलावा, नौवहन उद्योग में भारतीय टन भार को बढ़ाने के लिए, इस मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं

में भारतीय नौवहन कंपनियों को अनुवृत्ति सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लागू की है। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पांच वर्षों की अवधि में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए उक्त योजना को मंजूरी दी है। योजना के परिणाम के रूप में, भारतीय नौवहन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी। जैसे-जैसे यूरोप और कोरिया में श्रम की लागत बढ़ती है, भारत ने धीरे-धीरे और लगातार इस मोर्चे पर अपनी क्षमता का निर्माण किया है और वैश्विक नौवहन उद्योग में अपने पदचिह्न का विस्तार किया है।

- इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल भारत में उभरते अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन क्षेत्र में एक अच्छे अवसर की उम्मीद करता है। इसलिए यह अंतर्देशीय जलमार्ग खंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाजीरगंज में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का दोहन करने का प्रयास कर रहा है।

अंतर्देशीय जलमार्गों में भारत सरकार (जीओआई) का पहल

- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ने भारतीय समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारतीय नौवहन और पत्तन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारत में पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों और पोत निर्माण का विकास, रखरखाव और संचालन करने वाले उद्यमों के लिए विभिन्न वित्तीय और गैर-राजकोषीय पहल शुरू की हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर हरित नौवहन पर जोर दिया जा रहा है।
- भारत सरकार की इस पहल ने एचसीएसएल को विशेष रूप से अंतर्देशीय जल जलयानों जैसे रो-रो वेसल्स, रो-पैक्स वेसल्स, डएलपीजी कैरियर्स आदि के लिए तात्कालिक डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया है।

पोत मरम्मत उद्योग

- पोत की मरम्मत को आमतौर पर विश्व स्तर पर और साथ ही देशीय स्तर पर एक सदाबहार उद्योग के रूप में माना जाता है। पोत एक अस्थायी संरचना होने के कारण समुद्री यात्राओं के दौरान और पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग संचालन के दौरान भी सुचारू और सुरक्षित कामकाज के लिए उपकरण और मशीनरी के नियमित निरीक्षण और रखरखाव की आवश्यकता होती है। पोतों को आमतौर पर अनुसूचित आवधिक मरम्मत द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसके लिए वर्गीकरण सोसाइटी और अन्य वैधानिक निकायों ने आवधिक सर्वेक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जैसे: हर पांच साल में विशेष हल और मशीनरी सर्वेक्षण, ढाई साल में

ड्राई-डॉकिंग और हर साल हल और मशीनरी वार्षिक सर्वेक्षण। अतः पोत की मरम्मत यार्ड में आम तौर पर व्यवसाय का निरंतर और लगातार प्रवाह होता है जो पोत की मरम्मत राजस्व सृजन को पोत निर्माण या नौवहन के विपरीत अधिक अनुमानित बनाता है, जो अक्सर बाजार की ताकतों और चक्र्रीय परिवर्तन के दबाव और दबाव से ग्रस्त होता है।

प्रचालन

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एचसीएसएल ने कोलकाता में एक निजी नौवहन कंपनी मेसर्स जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2200 टी डीडब्ल्यूटी बहुउद्देश्यीय जलयान के डिजाइन और निर्माण का आदेश हासिल किया। जलयान का निर्माण शुरू हो गया है और पूरे जोरों पर है। जलयान को आरएसवी 4 विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है और आईआरएस द्वारा वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान, एचसीएसएल को सीएसएल की सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) के लिए बॉक्स कैसॉन गेट के डिजाइन, खरीद, निर्माण, स्थापना और परीक्षण के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, एचसीएसएल ने अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में ध्यान केंद्रित करते हुए पांडु, असम, गुवाहाटी में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता किया है। यह काम दिनांक 31 मार्च, 2023 को एल1 विक्रेता एलएंडटी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया है और साइट पर प्रारंभिक भूमि कार्य शुरू कर दिया गया है। आगामी पोत निर्माण और पोत मरम्मत यार्ड के रूप में, एचसीएसएल ने 2022-23 के दौरान आईडब्ल्यूआई के एक जलयान की बड़ी मरम्मत करके और ग्राहक को सर्वोत्तम संतुष्टि प्रदान करके पोत मरम्मत बाजार का दोहन किया है।
- एचसीएसएल के नए यार्ड निर्माण' से संबंधित सभी परियोजना कार्य पूरे हो गए हैं और यार्ड ने उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रचालन के शुरुआती चरण में होने के कारण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2,033.59 लाख रुपये (283.61 लाख रुपये प्रति वर्ष) का घाटा दर्ज किया है। अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट में एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करने के इरादे से 175.20 करोड़ की लागत से हगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में यह सुविधा स्थापित की गई है।

प्रस्तावित लाभांश

- विभाज्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की जाती है। लाभांश की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसमें विभाज्य लाभ नहीं है।

खंडवार / उत्पादवार निष्पादन

15. कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण में लगी हुई है और पोतों और अन्य अस्थायी संरचनाओं की मरम्मत भी करती है। कंपनी का खंडवार प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
खंड राजस्व		
पोत निर्माण	969.34	-
पोत मरम्मत	156.37	41.78
कुल	1125.71	41.78
जोड़: अन्य	576.35	-
प्रचालन से कुल राजस्व	1702.06	41.78
खंड परिणाम		
पोत निर्माण	35.86	-
पोत मरम्मत	37.70	24.70
कुल	73.56	24.70
घटाएं: आय का निवल अनाबंटित व्यय	963.83	350.35
घटाएं: वित्त लागत	889.98	56.82
असाधारण मदे और कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1780.25)	(382.47)
घटाएं: असाधारण मदे - (आय) / व्यय	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1780.25)	(382.47)
कर का प्रावधान	-	-
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	253.34	(98.86)
कर पश्चात लाभ/हानि	(2033.59)	(283.61)
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	13389.54	11634.88
पोत मरम्मत	26.15	-
कुल	13415.69	11634.88
जोड़: अनाबंटित निगमित परिसंपत्तियां	12692.82	10238.16
कुल परिसंपत्तियां	26108.51	21873.04
खंड देयताएं		
पोत निर्माण	267.28	-
पोत मरम्मत	17.08	-
कुल	284.36	-
जोड़ : अनाबंटित निगमित देयताएं	19276.15	17891.37
कुल देयताएं	19560.51	17891.37
पूजीगत व्यय	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा गैर-नकद व्यय	-	-

शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरा (स्वोट)

16. संगठन ने बाहरी और आंतरिक मुद्दों को निर्धारित किया है जो इसके उद्देश्य और इसकी रणनीतिक दिशा के लिए प्रासंगिक है और जो इसकी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए, एचसीएसएल ने, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में, अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसर और खतरों का विश्लेषण किया है।

शक्तियां

- प्रबंधन की मज़बूत प्रतिबद्धता;
- मूल संगठन के पोत निर्माण में लंबा अनुभव;

	<ul style="list-style-type: none"> - आधुनिक तकनीक का उपयोग; - मानक के अनुसार कचरे का निपटान; - मोहल्ले से कोई शिकायत नहीं; - उत्पादन के लिए एक अच्छी तरह से योग्य टीम हो; - उच्च क्षमतावाले उपकरण; तथा - स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
कमज़ोरी	<ul style="list-style-type: none"> - विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ नया प्रतिष्ठान; - आदेशों की अनिश्चित अंतर्वाह; तथा - बकाया भुगतान ;
अवसर	<ul style="list-style-type: none"> - जलयानों की घरेलू मांग पैदा करने की दिशा में भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल; तथा - अच्छी डिज़ाइन सुविधाओं के साथ नए उत्पाद विकास।
खतरा	<ul style="list-style-type: none"> - बाज़ार में बड़े खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा; - श्रम की बढ़ती लागत; - प्राकृतिक आपदा; तथा - लंबी आदेश प्राप्ति प्रक्रिया।

जोखिम और चिंताएं

17. कंपनी से जुड़ा जोखिम, पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है, और उन उद्योगों की चक्रीय प्रकृति के अनुरूप है, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, परिवहन और अन्य व्यापार-संबंधित उद्योग। पोत निर्माण जैसे आदेश -संचालित व्यवसाय में कंपनी की वृद्धि और अस्तित्व के लिए आदेश पुस्तक बनाना महत्वपूर्ण है, जहां प्रत्येक जलयान को निर्देश-निर्मित किया जाता है। आदेश की उपलब्धता, उसका शीघ्र प्राप्त होना और समय पर निष्पादन पोत निर्माण उद्योग में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। कंपनी स्टील जैसे कच्चे माल, साथ ही पंप, प्रोपेलर, इंजन आदि जैसे अन्य उपकरणों और घटकों की समय पर सुपुर्दगी के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। कच्चे माल की आपूर्ति में कमी/विलंब कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी को विभिन्न प्रचालन जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मशीनरी का टूटना, विफलता या घटिया निष्पादन, जिसके परिणामस्वरूप आग/विस्फोट आदि हो भी सकता है और नहीं भी। कोई भी महत्वपूर्ण प्रचालन संबंधी व्यवधान निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने की कंपनी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और ग्राहकों को जलयानों की सुपुर्दगी में देरी का कारण बन सकता है।

आंतरिक नियंत्रण

18. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ियों को रोकने और पहचानने, लेखाकरण रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता

सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के जरिए कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

19. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में 46 कर्मचारी हैं जिनमें 16 कार्यपालक, 08 परियोजना अधिकारी और 06 नियमित कामगार और 16 अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी में अनुकूलतम मैनिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमशक्ति की नियुक्ति के लिए चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जा रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

20. कंपनी ने कुशल ऊर्जा संरक्षण और यार्ड के अंदर सर्विस ब्लॉक के शीर्ष पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रण तंत्र को अपनाया है। बेहतर कामकाज के लिए हर संभव स्वचालन पद्धति को अपनाया गया है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में कंपनी नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है। हालाँकि, उचित समय में, संगठन के निगमित सामाजिक दायित्व पहलुओं की दिशा में प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से वास्तव भिन्न हो सकता है। मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनियम, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकों शामिल हैं।

सचेतक विवरण

22. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक

हावड़ा
जुलाई 21, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन

1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल/ कंपनी) का मानना है कि अच्छा निगमित शासन प्रभावी और दूरदर्शी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है जो कंपनी की दीर्घकालिक सफलता प्रदान कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक वचनबद्धता के माध्यम से अच्छे शासन प्रथाओं के लिए प्रयास करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है। फिर भी, कंपनी ने डीपीई द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए जारी निगमित शासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की है।

निदेशक मंडल

2. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया है और संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, बोर्ड में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। एचडीपीईएल को निदेशकों की ऐसी संख्या नामित करने का अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी में अपने शेयरधारिता के अनुपात में, कम से कम दो के अधीन, जब तक कंपनी में एचडीपीईएल का शेयरधारिता कम से कम 10% पर रखा जाता है। सीएसएल को शेष

निदेशकों को कम से कम 3 निदेशकों के अधीन नामित करने का अधिकार होगा, जिन्हें सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सीएसएल की तरफ से नियुक्ति के लिए नामित किया जाएगा।

3. हालांकि, 'हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के परिसमापन और पुनर्गठन के प्रस्ताव' के भाग के रूप में, केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक अक्टूबर 03, 2019 को अंकित मूल्य पर एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए कंपनी के शेयरों को सीएसएल द्वारा प्रत्यक्ष क्रय हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है। उक्त अनुमोदन के अनुसार, एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए 57,20,000 एचसीएसएल शेयरों को दिनांक नवंबर 01, 2019 को सीएसएल को अंतरित किया गया था और उक्त तिथि से प्रभावी होकर एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। उपरोक्त की दृष्टि में और कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम के अनुसार और सीएसएल की सहायक कंपनियों के शासन ढांचे के पुनर्गठन पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एचसीएसएल के बोर्ड में नियुक्ति के लिए सीएसएल के पूर्णकालिक निदेशकों और महाप्रबंधक के पद से नीचे के अधिकारियों को नामित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
4. दिनांक 31 मार्च 2023 को, कंपनी के बोर्ड में छह गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। कंपनी को एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष है। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड का संयोजन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	निदेशकता की श्रेणी
1.	श्री मधु शंकरुणी नायर	07376798	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यकारी निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	गैर-कार्यकारी निदेशक
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	गैर-कार्यकारी निदेशक
6.	श्री चन्द्र मणि राउत **	06935852	गैर-कार्यकारी निदेशक

* श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), जिनका निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए जिम्मेदार थे और पात्र होने के कारण दिनांक 19 सितंबर, 2022 को आयोजित पांचवी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए थे।

** पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप श्री चंद्र मणि राउत दिनांक 29 मई, 2023 से निदेशक नहीं रहे।

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण - शून्य
- इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी के बोर्ड में शामिल निदेशकों की प्रोफाइल, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित, वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक एचसीएसएल के निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पद और समिति पदों का विवरण नीचे 'निदेशक पद और समिति पद' शीर्षक के तहत दिया गया है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गई। किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर एक सौ बीस दिन से कम है। एचसीएसएल की 05 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक सितंबर 19, 2022 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड बैठकों, आसाधारण आम बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक			2023		ईजीएम	एजीएम
	2022		नवंबर 03	जनवरी 30	मार्च 30	फरवरी 08, 2023	सितंबर 19, 2022
	मई 03	अगस्त 04					
श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जोस वी जे	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
श्री श्रीजित के नारायणन	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
श्रीमती अंजना के आर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री चन्द्र मणि राउत	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

* श्रव्य दृश्य माध्यमों के द्वारा भाग लिया।

निदेशकता और समिति स्थिति

- दिनांक मार्च 31, 2023 को हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता/ अध्यक्षता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता की स्थिति नीचे दी गई है:-

निदेशक का नाम	अन्य निदेशकता की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु शंकुण्णी नायर	3	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	1
श्री जोस वी जे	-	3	-	1
श्री श्रीजित के नारायणन	-	3	-	-
श्रीमती अंजना के आर	-	1	-	-
श्री चन्द्र मणि राउत	-	2	-	-

- उपरोक्त सूचितानुसार, निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक के पद और निदेशक पद शामिल नहीं होता है।
- सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। कंपनी को अन्य वैधानिक समितियों जैसे निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की कोई वैधानिक समिति गठित नहीं की गई है। हालाँकि, कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और हस्तांतरण समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्र. स.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु शंकुष्णी नायर	07376798	अध्यक्ष	2
2.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	2

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की दो बैठकें क्रमशः दिनांक 18 जुलाई, 2022 और 16 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं। उक्त बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

आम सभा बैठक

10. पिछले तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार है :

वर्ष	तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
2021-22	सितंबर 19, 2022 11.00 बजे	इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए	जी नहीं
2020-21	सितंबर 15, 2021 11.00 बजे	इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए	जी नहीं
2019-20	अगस्त 04, 2020 11.00 बजे	सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्चि, केरल - 682015	जी नहीं

11. इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक आसाधारण आम बैठक भी आयोजित की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है,:

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
फरवरी 08, 2023	सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्चि, केरल - 682015	जी नहीं

12. कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक सितंबर 19, 2023 को 11.00 बजे, सीएसएल बोर्ड कक्ष, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्चि, केरल - 682015 में आयोजित करने हेतु अनुसूचित है।

आचार संहिता संहिता

13. बोर्ड ने निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता ('कोड') निर्धारित की है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(एसडी/-)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों को पारिश्रमिक

14. कंपनी के निदेशक नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यात्मक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक हैं, जिन्हें पदेन आधार पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार का एक अधिकारी जिसे प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों को निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन सहित कोई पारिश्रमिक देय नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निदेशकों और कंपनी के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेन - देन

15. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संघर्ष हो या हो सकता हो। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था का विवरण निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध II में दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के खुलासे कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 37 में दिए गए हैं।

(ii) कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

16. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई मामला नहीं थे। पिछले तीन सालों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ बाध्यता नहीं लगाया गया है।

(iii) मुखबिर नीति

17. कंपनी की एक प्रभावी मुखबिर नीति है जो हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं के उदाहरण, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी द्वारा अपनाई गई मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति कंपनी पर लागू होती है और हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की मुखबिर नीति /सतर्क तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त नीति को सीएसएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसे www.hooghlycs.com पर देखा जा सकता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक को सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन

18. कंपनी ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां भी लागू हो, निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है। इस संबंध में एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र अनुबंध I में दिया गया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों और वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में भी उनके अनुपालन का विवरण

19. कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में, जहां भी लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन कर रही है।

(vi) खाता बहियों में लिखे गए व्यय के मदों जो व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं है

शून्य

(vii) किए गए व्यय जो वैयक्तिक प्रकृति का है और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं

शून्य

(viii) वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 9.97% (47.88% पूर्व वर्ष) था। वर्ष 2022-23 में वित्तीय व्यय कुल व्यय का 25.13% (13.29% पूर्व वर्ष) रहा।

(ix) परिणामों के संचार साधन

20. चूंकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए तिमाही/अर्धवार्षिक /वार्षिक परिणाम प्रकाशित करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, सीएसएल के समेकित वित्तीय परिणाम (त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक) जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को भी ध्यान में रखते हैं, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यालयीन समाचार विज्ञापित कंपनी की वेबसाइट www.hooghlycs.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सीएसएल की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(x) लेखापरीक्षा शर्त

21. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स राड्स व कं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

(xii) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

22. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यात्मक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, नियंत्रक कंपनी और भारत सरकार के अधिकारी हैं और उनके पास शिक्षा उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत विशाल, व्यापक और विविध अनुभव है। सीएसएल जहां भी आवश्यक समझा जाता है, निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

पत्राचार के लिए पता:

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड,

पी ओ धनेश शेख लेइन, नजीरगंज,

हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711 109

दूरभाष : +91 (33) 26888282

ई-मेल : secretary.hcsl@cochinshipyard.in

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

हावड़ा

जुलाई 21, 2023

अनुलग्नक I

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसईएस के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हमने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रासंगिक अभिलेखों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों की हमारी जांच के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों, जहां भी लागू हो, का अनुपालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसबीजेएस एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

जयन के
साझेदार
एफसीएस 8154
सी पी सं. 7363

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 648/2019
कोच्ची
जुलाई 04, 2023
यूडीआईएन: F008154E000545141

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में 'स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी ("भारतीय लेखा मानक") नियम, 2015 के साथ पद्धित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2023 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि, इक्विटी में परिवर्तन और अपने नकद प्रवाह के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों ("एस ए एस") के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबोधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलती है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप में कंपनी के इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड प्रवाह के सही और निष्पक्ष राय देता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों को एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए

जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है लेकिन किया जाए।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रतिक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि:

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई

वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वेध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षितानुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में एकबयान देते हैं।
2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में जारी निदेशों पर 'अनुबंध ख' में रिपोर्ट देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।
- ख. हमारी राय में, लेखा बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।
- ग. इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और रोकड प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुसार है।
- घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के अनुपालन करता है।
- ङ. दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों से छूट दी गई है, तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई निदेशक कंपनी उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है।
- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुबंध ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- छ. अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है: हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।
- ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेके सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं थे जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशा योग्य हानियां थी।
 - कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों" सहित) को या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") उधार देगा या निवेश करेगा या प्रधान लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पाटियां) सहित कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पार्टी (प्रधान लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या प्रधान लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
- ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

कृते राड्स व कं.

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320298E

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

सदस्यता सं.: 067872

स्थान : कोलकाता

दिनांक : अप्रैल 28, 2023

यूडीआईएन: 23067872BGYZUV7950

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(सम तारीख की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए

- (i) (क) (अ) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई प्रत्यक्ष विसंगतियों की पहचान नहीं की गई है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भूमि और भवनों की कोई तालुका अचल परिसंपत्ति नहीं है। भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में जो पट्टे पर ली गई हैं और स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में अचल संपत्ति के रूप में प्रकट की गई हैं, पट्टे समझौते कंपनी के नाम पर हैं।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और पुस्तक रिकॉर्ड की तुलना में वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंक में दाखिल किए गए अलेखापरीक्षित मासिक विवरणियां/विवरण कंपनी के अलेखापरीक्षित बहियों के अनुरूप हैं।
- (iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षा या स्थायी गारंटी प्रदान नहीं की है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेश नहीं किया है, गारंटी प्रदान नहीं की है, सुरक्षा प्रदान नहीं की है और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल संस्थाओं को कोई ऋण नहीं दिया है।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम की कोई राशि नहीं है जो नब्बे दिनों से अधिक समय से अतिदेय हैं।
- (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी भी अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं था जो वर्ष के दौरान देय हो गया था, जो एक ही पक्ष को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

- (च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना। तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं हैं जिनपर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (v) कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू सीमा तक जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (vi) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए और जैसा कि समझाया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vii)(क) वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य लागू सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक बकाया सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, लागू वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में, देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ख) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक देय राशियों का कोई बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।
- (viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 161 के तहत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय का समर्पण या खुलासा नहीं किया है, कोई भी लेनदेन, जो पहले खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ix)(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारों या डिबेंचर धारकों के किसी भी देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण बकाया नहीं था, इसलिए आदेश के खंड (ix)(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस टिप्पणी नहीं की गई है।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने या पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड (ix)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (x)(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/अगला सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही अबंटन या निजी प्लेसमेंट/पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xi)(क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई प्रत्यक्ष धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) साल के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लागत लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखापरीक्षक या हमारे द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में दर्ज नहीं की गई है।

- (ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें दर्शाया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii)(क) (ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv)(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट विचार किया है।
- (xv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (xvi)(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) के निदेशों में परिभाषित समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xvii) कंपनी को वर्ष के दौरान 1056.61 लाख रुपए की हानि हुई है और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 342.85 लाख रुपए की हानि हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xix) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और नोट 38 में वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के संबंध में हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब कभी वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि कंपनी सभी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होंगी।
- (xx)(क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुसार एक विशेष खाते में अंतरित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते राहुस व कं.

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320298E

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

सदस्यता सं.: 067872

स्थान : कोलकाता

दिनांक : अप्रैल 28, 2023

यूडीआईएन: 23067872BGYZUV7950

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेशों पर रिपोर्ट

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम यहां अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं:

- क. कंपनी के लेखा रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में रखा जाता है। जैसे, प्रणाली के बाहर लेनदेन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
- ख. वर्ष के दौरान मौजूदा ऋणों को सीमित करने या ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि को छूट-पत्र देने/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।
- ग. कंपनी को किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई विशिष्ट निधि प्राप्त नहीं हुई है और ऐसे में उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृते राड्स व कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 320298E

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

सदस्यता सं.: 067872

यूडीआईएन : 23067872BGYZUV7950

स्थान : कोलकाता

दिनांक : अप्रैल 28, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ग'

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 3 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडआलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ दिनांक 31 मार्च 2023 तक हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('दिशानिर्देश नोट') के पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा आयोजित की। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रिया हैं। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण,

कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट

में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते राड्स व कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 320298E

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

सदस्यता सं.: 067872

स्थान : कोलकाता

दिनांक : अप्रैल 28, 2023

यूडीआईएन: 23067872BGYZUV7950

दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2023 के उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट उनके द्वारा करने के बारे में बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के लिए
और उनके पक्ष में

कोलकाता
जून 23, 2023

(अतुल प्रकाश)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता

तुलन पत्र

दिनांक 31 मार्च 2023 का

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां			
(1) अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2	15,586.17	14,537.12
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	569.14	579.12
(ग) अगोचर परिसंपत्तियां	4	540.57	550.06
(घ) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	608.88	1,386.80
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां:			
(i) अन्यवित्तीय परिसंपत्तियां	6	0.40	0.36
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	-	253.34
(छ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	39.55	22.60
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	62.94	44.81
		17,407.65	17,374.21
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	10	163.96	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	755.41	49.96
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	12	6,299.93	3,193.70
(iii) रोकड व रोकड तुल्यांकके अलावा बैंक शेष	13	-	109.07
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	3.81	3.82
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	1,477.75	1,142.28
		8,700.86	4,498.83
		26,108.51	21,873.04
कुल परिसंपत्तियां			
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,600.00	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(3,052.00)	(1,018.33)
		6,548.00	3,981.67
देयताएं :			
(1) गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं:			
(i) उधार	18	13,100.00	13,100.00
(ii) षट्टा देयताएं	19	635.05	621.08
(ख) प्रावधान	20	17.27	9.09
		13,752.32	13,730.17
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) षट्टा देयताएं	21	44.15	43.08
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	5545.06	2768.12
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	35.20	32.90
(ग) प्रावधान	24	183.78	1,317.10
		5,808.19	4,161.20
		26,108.51	21,873.04
कुल इक्विटी और देयताएं			
वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियां	1-41		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राहुस व कं

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298 ई)

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या. 067872)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 28 अप्रैल, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची,

28 अप्रैल, 2023

जोस वी जे

निदेशक

(डीआईएन 08444440)

सैबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050

समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

व्यौरा	टिप्पणी सं.	दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
I प्रचालन से राजस्व	25	1,702.06	41.78
II अन्य आय	26	59.27	3.38
III कुल आय (I+II)		1,761.33	45.16
IV व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	27	611.63	-
उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	28	307.74	17.08
कर्मचारी लाभ व्यय	29	403.57	66.90
वित्तीय लागत	30	889.98	56.82
विदेशी मुद्रा हानि (निवल)		4.07	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31	723.64	39.62
अन्य व्यय	32	600.95	247.21
कुल व्यय (IV)		3,541.58	427.63
V		(1,780.25)	(382.47)
VI असाधारण मदे		-	-
VII कर पूर्व लाभ /(हानि) (V+VI)		(1,780.25)	(382.47)
VIII कर व्यय:			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर	7	253.34	(98.86)
IX वर्ष का लाभ /(हानि) (VII-VIII)		(2,033.59)	(283.61)
X अन्य व्यापक आय/(हानि)			
i. मदे जिन्हें लाभ या हानि के लिए तदनंदर पुनः वर्गीकृत किया जाएगा निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्माप हानि (निवल)		(0.08)	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (X)		(0.08)	-
XI वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (IX+X)		(2,033.67)	(283.61)
XII प्रत्येक 10 रुपए के प्रति इक्विटी शेयर आय			
(1) मूल (₹)	33	(3.91)	(0.57)
(2) डायल्यूटड (₹)	33	(3.91)	(0.57)

संलग्न नोट 1-41 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **राहुस व कं**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298 ई)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 28 अप्रैल, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची,
28 अप्रैल, 2023

जोस वी जे
निदेशक
(डीआईएन 08444440)

सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(1,780.25)	(382.47)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	723.64	39.62
वित्तीय लागत	889.98	56.82
व्याज आय	(52.56)	(0.90)
प्रतिभूति जमे का निर्माण	(0.03)	(0.03)
अग्रिम पट्टा किराए का परिशोधन	0.66	0.66
गैर चालू/ चालू संपत्तियों और परिसंपत्तियों में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ	(218.56)	(286.30)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
व्यापार प्राप्य और अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(1,040.91)	(418.28)
माल सूचियों में वृद्धि / (कमी)	(163.96)	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(18.79)	2.18
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	2443.21	1,659.71
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(1,125.22)	(1,197.11)
प्रचालन से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नकदी	124.23	(239.80)
प्रदत्त आयकर	(16.95)	28.46
परिचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद (क)	(141.18)	(211.34)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(182.53)	(31.59)
सीडक्यूआईपी में निवेश	(792.76)	(2,956.62)
प्राप्त व्याज	52.57	3.17
(निवेश) / मियादी जमे का प्रतिदान	109.07	(3.46)
निवेशों गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद (ख)	(813.65)	(2,988.50)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
पट्टा देयताओं का भुगतान	(43.08)	(42.03)
शेयर जारी करने से आय	4,600.00	-
ऋणपत्र जारी करने से आय	-	3,100.00
अल्पावधि ऋण प्राप्त करने से आय	650.00	-
अल्पावधि ऋण का पुनर्भुगतान	(650.00)	-
प्रदत्त व्याज	(495.86)	(286.00)
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निवल रोकड (ग)	4,061.06	2,771.97
रोकड और रोकड तुल्यांक में निवल बढ़ोती/ (घटाव) (क+ख+ग)	3106.23	(427.87)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समकक्ष	3,193.70	3,621.57
अंत नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 12 देखें)	6,299.93	3,193.70
वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ		1-41

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राड्स व कं

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298 ई)

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या. 067872)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 28 अप्रैल, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोची,

28 अप्रैल, 2023

जोस वी जे

निदेशक

(डीआईएन 08444440)

सेबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को शेष
5,000.00	-	-	4,600.00	9,600.00

(₹ लाखों में)

1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
5,000.00	-	-	-	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2022 को शेष	(1,018.33)	(1,018.33)
लेखा नीति में परिवर्तन / पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	(1,018.33)	(1,018.33)
वर्ष के कुल व्यापक आय	(2,033.67)	(2,033.67)
लाभांश	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-
31 मार्च 2023 को शेष	(3,052.00)	(3,052.00)

(₹ लाखों में)

	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2021 को शेष	(734.72)	(734.72)
लेखा नीति में परिवर्तन / पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	(734.72)	(734.72)
वर्ष के कुल व्यापक आय	(283.61)	(283.61)
लाभांश	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-
31 मार्च 2022 को शेष	(1,018.33)	(1,018.33)

ग. वित्तीय विवरणों के भाग वाली टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ 1-41

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **राइस व कं**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298 ई)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 28 अप्रैल, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची,
28 अप्रैल, 2023

जोस वी जे
निदेशक
(डीआईएन 08444440)

सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1.1 निगमित सूचना

देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक पोतों, बाजों और टगों के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की स्थापना 23 अक्टूबर, 2017 को की गई थी।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड, दनेश शेख लेन, नाजिरगंज, हावड़ा - 711 109 में स्थित है। कंपनी पट्टे पर दिए गए परिसर में काम कर रही है, पट्टेदार भारत सरकार है और इसकी 25.37 एकड़ भूमि दो स्थानों पर है - 15.76 एकड़ नाजिरगंज में और 9.91 एकड़ सल्किया में। वर्तमान में, केवल नाजिरगंज सुविधा में प्रमुख सुविधा का पुनर्गठन हुआ है और यार्ड ने अगस्त 2022 से अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 28 अप्रैल, 2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने का आधार

1.2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमत निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर तक पूर्णांकित किया जाता है।

1.2.2 भारतीय लेखाकरण मानक अनुपालन का विवरण

न वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग II में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की

अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

1.2.3. माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों, पीपीई और आरओयू परिसंपत्तियाँ, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- संपत्ति विक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है;
- संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

1.2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

1.2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

गृप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। गृप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमित नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व है जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्राह की आवश्यकता होगी या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है। कंपनी किसी आकस्मिक देनदारी को नहीं पहचानती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

अग्रिम / प्राय की पुनर्प्राप्ति

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। संदिग्ध ऋणों की पहचान के लिए निर्णय का उपयोग और अनुमान की आवश्यकता होती है। जहाँ उम्मीद मूल अनुमान से अलग है, इस तरह अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों के मूल्य पर असर पड़ेगा और संदिग्ध ऋणों के लिए खाते के लिए प्रावधान पर खर्च उस अवधि में होगा, जिसमें इस तरह के अनुमानों को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि में, अपेक्षित लाइफ के परे अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्ति और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन करता है।

उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं। इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी। प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर

अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

मालसूची के लिए प्रावधान

प्रबंधन समय-समय पर मालसूची के परिपक्वता की समीक्षा करता है। इस समीक्षा में संबंधित निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ पुरानी मालसूची मदों के वहन मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या किसी अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान के लिए समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अनुबंधों के अपूर्ण हिस्से पर अनुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान उस अवधि में प्रदान किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित अनुबंध अनुमानों के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त क्षति के दावों को समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1.3 मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभाषित किया है।

1.3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अगोचर संपत्ति:

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

1.3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.3.4 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वगैरे में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को इसके उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति और (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक पट्टा दायित्व और संबंधित उपयोग के अधिकार ('आरओयू') परिसंपत्ति जो बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पावधि पट्टों) और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों को छोड़कर जिसमें वह एक पट्टेदार है उसको मान्यता देती है। इन अल्पावधि और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधे आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव। पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुनः माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए गूप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो

अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

1.3.5 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

5000 रुपये से कम लागत वाली स्टैंडअलोन परिसंपत्ति की प्रत्येक वस्तु पर पूंजीकरण के वर्ष में 100% मूल्यहास किया जाता है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/विलोपन पर मूल्यहास की गणना ऐसे परिवर्धन की तारीख से और ऐसे विलोपन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यहास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यहास की गणना के लिए कार्यकाल निम्नानुसार हैं:

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संपत्ति वर्ग कार्यकाल

भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र व मशीनरी	5-15 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	8-10 वर्ष
कार्यालय उपस्कर	3-10 वर्ष
विद्युत स्थापना/ फिटिंग	10 वर्ष
वाहन	8- 10 वर्ष
डाटा प्रोससिंग उपकरण	3-6 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और शुरू में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ/हानि संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी उपयोग में आने वाली पूरी तरह से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा जाता है। प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियाँ अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, यदि कोई हानि हो तो उनका परीक्षण किया जाता है।

1.3.6 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक बैलेस शीट तिथि पर प्रत्येक नकदी इकाई के संदर्भ में परिसंपत्तियों की हानि का आकलन करती है। यदि आंतरिक और बाहरी कारकों के आधार पर घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है, तो खते में होने वाली हानि और पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि का तदनुसार हिसाब लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है।

1.3.7 माल सूची

(क) कच्चे माल, घटकों और भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारत औसत लागत पद्धति या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। हालाँकि, उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा तो उसे लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/उपयोगिता न होने/खराब होने का प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पारगमन में

माल का मूल्यांकन लागत से कम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ख) स्क्रेप पर देय सीमा शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। मालसूची की लागत में खरीद की सभी लागत, स्थांतरण की लागत, सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण उपरिव्यय का अनुपात और उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती है। भारत औसत विधि पर स्टील प्लेट, प्रोफाइल, उपकरण और अन्य कच्चे माल और स्टोर और स्पेयर की लागत। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत अवशोषण लागत विधि पर निर्धारित की जाती है।

1.3.8 वित्तीय साधन

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्रायः के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तों निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां(एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोग्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार

का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छूट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के शुद्ध रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;

वित्तीय गारंटी अनुबंध;

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ग्रूप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और परिणाम को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और परिणाम को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता को रद्द करने और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

1.3.9 रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

1.3.10 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

1.3.11 अनुबंध देयताएं

जहां ग्रूप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

1.3.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, ग्रुप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रुप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वासनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रुप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिथली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं

पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

1.3.13 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण/पोत मरम्मत अनुबंधों से राजस्व लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है। राजस्व को उस निष्पादन की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित निवेश के सापेक्ष इकाई के प्रयासों या निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए निवेश (यानी उपभोग किए गए संसाधन, खर्च किए गए श्रम घंटे, खर्च की गई लागत, बीता हुआ समय या उपयोग किए गए मशीन घंटे) के आधार पर पहचाना जाता है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहां कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने में होने वाली लागत की वसूली की उम्मीद करती है, कंपनी राजस्व को केवल लागत की सीमा तक ही मान्यता देती है जब तक कि वह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप न सके। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व का वर्तमान अनुमान नुकसान का संकेत देता है, वहां पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे कितना भी काम किया गया हो।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती हैं। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

iii) बीमा दावाओं के लिए लेखांकन

(क) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा ग्रूप द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ख) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा ग्रूप के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

(iv) ब्याज आय

सावधि जमा के मामले में, प्रत्येक सावधि जमा पर लागू ब्याज दर लागू करके कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज का हिसाब लगाया जाता है।

(v) अन्य मदों को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.3.14 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

भविष्य निधि: भविष्य निधि में योगदान (एक परिभाषित योगदान योजना) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी के पास अपने मासिक योगदान के अलावा भविष्य के भविष्य निधि लाभों के लिए कोई और दायित्व नहीं है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमाकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

1.3.15 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियों निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा बाधित होती है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लगाया जाता है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभाषित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

1.3.16 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियां और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी करस्थान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

1.3.17 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी सेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

1.3.18 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार सेग्मेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेग्मेंट राजस्व, सेग्मेंट व्यय, सेग्मेंट परिसंपत्तियां और सेग्मेंटदेयताएं सेग्मेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेग्मेंट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेंटों

के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

1.3.19 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड़ प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड़ प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड़ और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्टको तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

1.3.20 आसाधारण मदें

आय या व्यय की एक वस्तु जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के प्रदर्शन की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे एक आसाधारण मद के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में और साथ ही भारतीय लेखा मानक III पर दिशा-निर्देश नोट के अनुसार प्रकट किया जाता है।

1.3.21 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेन-देन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुओं को उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुएं, (जैसे पीपीई, अमूर्त संपत्ति, इक्विटी निवेश, नकदी में निपटान की उम्मीद के अलावा पूंजी/राजस्व अग्रिम आदि) लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती है। लेनदेन या निपटान के समय विनिमय अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि, आय या व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अगोचर परिसंपत्ति

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

ब्योरा	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड (₹ लाखों में)	
	01 अप्रैल 2022 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान		अवधि के दौरान समायोजन
भवन : अस्थायी संरचनाएं*	26.81	41.56	-	8,886.54	8,954.91	25.47	263.77	-	3.43	8,662.24
कार्यालय भवन*	1,146.41	-	-	(1,146.41)	-	0.24	-	-	(0.24)	-
कारखाना भवन*	7,740.13	-	-	(7,740.13)	-	3.19	-	-	(3.19)	-
प्लॉट और उपकरण	3,952.50	1,652.80	-	-	5,605.30	3.60	279.91	-	-	283.51
फर्नीचर - काठ का	43.23	10.73	-	(0.28)	53.68	0.16	4.62	-	(0.11)	49.01
फर्नीचर- स्टील	-	16.89	-	32.62	49.51	-	7.27	-	0.19	42.05
विद्युत स्थापना	-	0.25	-	-	0.25	-	0.01	-	-	0
गोदी और घाट	-	12.43	-	-	12.43	-	0.41	-	-	12.02
कार्यालय उपस्कर	33.72	0.19	-	(32.34)	1.57	0.29	0.30	-	(0.08)	1.06
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	18.63	4.54	-	-	23.17	9.46	3.22	-	-	12.68
सडक़*	309.77	-	-	452.91	762.68	0.38	115.50	-	1.12	117.00
बाड	452.91	-	-	(452.91)	-	1.12	-	-	(1.12)	-
विद्युत स्थापना- कार्यालय भवन	106.84	-	-	721.93	828.77	0.02	24.55	-	0.30	24.87
विद्युत स्थापना- कारखाना भवन	721.93	-	-	(721.93)	-	0.30	-	-	(0.30)	-
मोटर वाहन	29.09	-	-	-	29.09	0.80	3.45	-	-	4.25
कुल	14,581.97	1,739.39	-	-	16,321.36	45.03	703.01	-	-	748.04
										15,573.32

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अगोचर परिसंपत्ति (जारी)

ब्योरा	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड		
	01 अप्रैल 2021 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को,	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
भवन : अस्थायी संरचनाएं*	26.81	-	-	-	26.81	19.57	5.90	-	-	25.47	1.34
कार्यालय भवन*	-	1,146.41	-	-	1,146.41	-	0.24	-	-	0.24	1,146.17
कारखाना भवन*	-	7,740.13	-	-	7,740.13	-	3.19	-	-	3.19	7,736.94
प्लॉट और मशीनरी	1.90	3,950.60	-	-	3,952.50	0.18	3.42	-	-	3.60	3,948.90
फर्नीचर और जुड़ाव	0.28	42.95	-	-	43.23	0.08	0.08	-	-	0.16	43.07
कार्यालय उपस्कर	0.17	33.55	-	-	33.72	0.05	0.24	-	-	0.29	33.43
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	7.72	10.91	-	-	18.63	5.76	3.70	-	-	9.46	9.17
सड़क*	-	309.77	-	-	309.77	-	0.38	-	-	0.38	309.39
बाड	-	452.91	-	-	452.91	-	1.12	-	-	1.12	451.79
विद्युत स्थापना- कार्यालय भवन	-	106.84	-	-	106.84	-	0.02	-	-	0.02	106.82
विद्युत स्थापना- कारखाना भवन	-	721.93	-	-	721.93	-	0.30	-	-	0.30	721.63
गाडियाँ	-	29.09	-	-	29.09	-	0.80	-	-	0.80	28.29
कुल	36.88	14,545.09	-	-	14,581.97	25.64	19.39	-	-	45.03	14,536.94

*भारतों का स्वामित्व विलेख: अस्थायी संरचना, कार्यालय भवन, फेक्टरी भवन और सड़कें कंपनी के नाम पर नहीं हैं, क्योंकि भूमि भारत सरकार के नाम पर है जिसे 59 साल की अवधि के लिए गृह पर लिया गया था और कंपनी उसी पर अचल संपत्ति का निर्माण कर लिया था।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अगोचर परिसंपत्ति (जारी)

2.2 अगोचर संपत्ति

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड	
	1 अप्रैल 2022 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	31 मार्च 2023 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को	31 मार्च 2023 को
सॉफ्टवेयर	0.53	13.83	-	14.36	1.16	-	-	1.51	0.35	12.85
कुल	0.53	13.83	-	14.36	1.16	-	-	1.51	0.35	12.85
विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड	
	1 अप्रैल 2021 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2022 का	1 अप्रैल 2022 का	31 मार्च 2022 का
सॉफ्टवेयर	0.53	-	-	0.53	0.17	-	-	0.35	0.18	0.18
कुल	0.53	-	-	0.53	0.17	-	-	0.35	0.18	0.18

नोट 3 : उपयोग का अधिकार- परिसंपत्ति

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड	
	1 अप्रैल 2022 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	31 मार्च 2023 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 का	1 अप्रैल 2022 को	31 मार्च 2023 का
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	128.36	-	-	128.36	2.10	-	-	8.64	6.54	119.72
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	248.86	-	-	248.86	4.09	-	-	15.73	11.64	233.13
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	228.91	-	-	228.91	3.79	-	-	12.62	8.83	216.29
कुल	606.13	-	-	606.13	9.98	-	-	36.99	27.01	569.14

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निगमित अवलोकन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

नोट 3 : उपयोग का अधिकार- परिसंपत्ति (जारी)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास			निवल खंड (₹ लाखों में)
	1 अप्रैल 2021 को अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2022 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	128.36	-	-	128.36	2.18	-	121.82
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	248.86	-	-	248.86	4.24	-	237.22
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	228.91	-	-	228.91	3.93	-	220.08
कुल	606.13	-	-	606.13	10.35	-	579.12

नोट 4 : अगोचर संपत्ति (पट्टे वाली भूमि का मूल्य)

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			निवल खंड (₹ लाखों में)
	1 अप्रैल 2022 को अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 को	वर्ष के लिए	अवधि के दौरान निपटान	
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	118.94	-	-	118.94	1.94	-	110.82
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	234.07	-	-	234.07	3.86	-	219.30
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	221.99	-	-	221.99	3.69	-	210.45
कुल	575.00	-	-	575.00	9.49	-	540.57

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : अगोचर संपत्ति (पट्टे वाली भूमि का मूल्य)

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			निवल खंड (₹ लाखों में)		
	1 अप्रैल 2021 को	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च 2022 को	वर्ष के लिए		अवधि के दौरान निपटान	अवधि के दौरान समायोजन
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	118.94	-	-	-	118.94	1.98	-	-	112.76
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	234.07	-	-	-	234.07	3.97	-	-	223.16
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	221.99	-	-	-	221.99	3.76	-	-	214.14
कुल	575.00	-	-	-	575.00	9.71	-	-	550.06

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5: पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022
पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	608.88	1,386.80
कुल	608.88	1,386.80

दिनांक 31 मार्च 2023 तक सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची निम्नानुसार हैं:

परियोजना प्रक्रिया में	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्षों से अधिक	
डॉक और घाटी	22.09	18.63	22.51	-	63.23
10 टी कैपस्टन	-	26.01	4.82	-	30.83
पोटून	459.16	-	-	-	459.16
स्किड	55.66	-	-	-	55.66
कुल	536.91	44.64	27.33		608.88

दिनांक 31 मार्च 2022 तक सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची निम्नानुसार हैं :

परियोजना प्रक्रिया में	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्षों से अधिक	
अग्निशामन कार्य	46.18	130.05	68.22	-	244.45
गैस पाइपिंग कार्य	14.72	94.23	20.26	-	129.21
इंएलवी कार्य	12.03	59.35	-	-	71.38
विंच व विंच प्रणाली	13.19	320.23	-	-	333.42
मौजूदा स्लिपवे का स्थान बदलना	18.63	22.51	-	-	41.14
पालना प्रणाली	196.73	234.61	-	-	431.34
10 टी कैपस्टन	26.01	4.82	-	-	30.83
कंप्रेसर व एयर ड्रायर	88.59	16.44	-	-	105.03
कुल	416.08	882.24	88.48	-	1,386.80

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए 1,570.68 लाख रुपए (पिछले वर्ष: ₹14,513.50 लाख) की राशि अंतरित की है।

नोट 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिभूति जमा	0.40	0.36
कुल	0.40	0.36

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति	282.78	397.52
घटाइए: आस्थगित कर देयता	282.78	144.18
कुल	-	253.34

आस्थगित कर संपत्तियों/ (देयताओं) शेषों में संचलन:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	निवल शेष 1 अप्रैल, 2022	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष 31 मार्च 2023
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अगोचर संपत्ति	(144.18)	(138.60)	-	(282.78)
अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को आगे ले जाना	395.19	(116.83)	-	278.36
कर्मचारी संबंधी प्रावधान और देनदारियाँ	2.33	2.09	-	4.42
कुल	253.34	(253.34)	-	-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	निवल शेष 1 अप्रैल, 2021	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष 31 मार्च 2022
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अगोचर संपत्ति	0.89	(145.06)	-	(144.18)
अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को आगे ले जाना	153.59	241.59	-	395.19
कर्मचारी संबंधी प्रावधान और देनदारियाँ	-	2.33	-	2.33
कुल	154.48	98.86	-	253.34

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ₹ 282.78 लाख के मूल्यहास पर अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थगित कर देयता की सीमा तक आगे लाए गए कर घाटे और अनवशोषित मूल्यहास के कारण उत्पन्न होने वाली स्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है।

अग्रोषित घाटा और अवशोषित मूल्यहास जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रानीत घाटा*	211.10	-
अनवशोषित कर मूल्यहास#	468.49	-
कुल	679.59	-

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनवशोषित कर मूल्यहास की कोई समाप्ति अवधि नहीं है।

* निम्नलिखित तालिका अग्रानीत कर घाटे की समाप्ति का विवरण देती है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
0-4 वर्ष	5.98	-
4-8 वर्ष	205.12	-
कुल	211.10	-

अग्रानीत घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास में आकलन वर्ष 2022-23 तक दाखिल किए गए कंपनी के कर रिकॉर्ड और विवरणी की जानकारी शामिल है और कर अधिकारियों के साथ विवाद/मुकदमेबाजी के तहत मामलों के संभावित प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, जो वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

नोट 8: आयकर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम आयकर (कराधान के प्रावधान का निवल)	39.55	22.60
कुल	39.55	22.60

नोट 9: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा	26.51	7.72
अग्रिम पट्टा किराया	36.43	37.09
कुल	62.94	44.81

नोट 10: मालसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार का माल		
कच्चा माल	148.95	-
भण्डार एवं पुर्जे	15.01	-
कुल	163.96	-

नोट 11: व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
व्यापार प्राप्तियां		
दूसरों से	755.41	49.96
कुल	755.41	49.96

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: व्यापार प्राप्तियां

दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया व्यापार प्राप्तियों के लिए परिपक्व निम्नानुसार है:

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	705.45	-	49.96	-	-	755.41
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	705.45	-	49.96	-	-	755.41

दिनांक 31 मार्च 2022 तक बकाया व्यापार प्राप्तियों के लिए परिपक्व निम्नानुसार है:

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	49.96	-	-	-	-	49.96
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य- ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	49.96	-	-	-	-	49.96

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12: रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक शेष		
- चालू खाते में।	5,479.12	1,775.44
- कम से कम तीन वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ अवधि जमा	820.81	1,418.26
कुल	6,299.93	3,193.70

नोट 13: रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा	-	109.07
कुल	-	109.07

नोट 14: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
स्थायी जमे पर उपार्जित ब्याज	2.87	3.82
अन्य जमा राशि से	0.94	-
कुल	3.81	3.82

नोट 15: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
विविध जमाराशियां (अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट)	1,245.19	1,020.98
दूसरों को प्रतिभूति जमा	23.00	-
अनुबंध संपत्ति	20.54	-
पूर्वदत्त व्यय	25.78	28.80
अन्य वर्तमान अग्रिम	163.24	92.50
कुल	1,477.75	1,142.28

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16: इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	14,40,00,000	14,400.00	6,90,00,000	6,900.00
₹ 10/- प्रति वरीयता शेयर	5,60,00,000	5,600.00	5,60,00,000	5,600.00
कुल	20,00,00,000	20,000.00	12,50,00,000	12,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर				
रोकड के लिए	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00
रोकड के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए	-	-	-	-
कुल	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

16.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	5,00,00,000	5,000.00	5,60,00,000	2,200.00
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	4,60,00,000	4,600.00	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

16.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा संभाले शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	(₹ लाखों में)	शेयर की संख्या	(₹ लाखों में)
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 100% इक्विटी शेयर पूंजी का अधिकार	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00
कुल	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

16.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,60,00,000	100%	5,00,00,000	100%
कुल	9,60,00,000	100%	5,00,00,000	100%

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16: इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

16.4 रोकड के अलावा प्रतिफल के लिए जारी शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	(₹ लाखों में)	शेयर की संख्या	(₹ लाखों में)
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-	-	-	-

इक्विटी शेयर हॉल्लिंग पैटर्न

कंपनी संयुक्त उद्यम शेयरधारक एचडीपीईएल द्वारा संभाले जा रहे 5.72 करोड़ रुपए के प्रत्येक 10 रुपए के 57,20,000 शेयरों के शेयर पूंजी के 26%, केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार प्रमुख शेयरधारक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने संपूर्ण शेयर अंतरित कर दिए हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 नवंबर 2019 से संपूर्ण शेयर पूंजी वर्तमान में कोचीन शिपयार्ड द्वारा संभालते हैं।

16.5 प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रमोटर्स के शेयर:

ब्योरा	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,60,00,000	100%	-

दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रमोटर्स के शेयर

ब्योरा	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,00,00,000	100%	-

नोट 17: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारित आय		
अधिशेष (लाभ और हानि के विवरण में संतुलन):		
पिछले वर्ष के खाते से शेष राशि को अग्रेषित किया गया	(1,018.33)	(734.72)
जोड़िए: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(2,033.67)	(283.61)
शेष राशि अगले वर्ष के खाते में अग्रेषित किया गया	(3,052.00)	(1,018.33)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18: गैर चालू उधार

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अप्रतिभूत		
1. ऋण-पत्र		
4,40,000 संख्या (2021: 4,40,000 संख्या) 6.5% असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 1,000/- रुपए का।।	4,400.00	4,400.00
3,10,000 संख्या (2021: 4,40,000 संख्या) 6.15% असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 1,000/- रुपए का।।।	3,100.00	3,100.00
2. संबंधित पार्टी से ऋण		
5,60,00,000 (2020: शून्य) 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर प्रत्येक ₹10/ का।	5,600.00	5,600.00
कुल	13,100.00	13,100.00

टिप्पणी:

1) ऋणपत्र

* कंपनी ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वार्षिक रूप से देय 6.50% ब्याज दर के साथ, प्रत्येक 1000 रुपए के 440000, 6.5% प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी किया था। डिबेंचर दिनांक 16 सितंबर 2023 को ऋणमुक्ति के लिए देय है।

** दिनांक 03 सितंबर 2021 को कंपनी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 6.15% प्रतिवर्ष देय ब्याज दर के साथ 1000 रु. प्रत्येक के 3,10,000, 6.15% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए थे। आबंटन की तारीख से 5 साल बाद मुक्त करने के विकल्प के साथ ऋणपत्र की अवधि 120 महीने है।

2) संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर

वरीयता शेयर को भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार वित्तीय देयता के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये परिपक्वता पर एक निश्चित निर्धारित राशि हेतु प्रतिदेय होते हैं और लाभांश की निश्चित दर को वहन करते हैं।

(i) अधिमान शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास वरीयता शेयरों का एक वर्ग है अर्थात् 10/- रुपए प्रति शेयर के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (सीआरपी शेयर)।

(ii) होलिंग कंपनी द्वारा धारित वरीयता शेयर

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, होलिंग कंपनी द्वारा धारित 10/- रुपए के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर।	5,600.00	5,600.00
कुल	5,600.00	5,600.00

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18: गैर चालू उधार (जारी)

(iii) 5% से अधिक शेयर वाले वरीयता शेयरधारकों का विवरण

वरियता शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	धारित अधिमान शेयरों की	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित अधिमान शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,600.00	100%	5,600.00	100%
कुल	5,600.00	100%	5,600.00	100%

(iv) अधिमान लाभांश को वित्त लागत के रूप में अर्जित किया गया है। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, वरीयता शेयरों को शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में माना जाता है और अधिमान लाभांश की घोषणा से संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। वरीयता शेयरों पर वित्त लागत को भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत पूंजीकृत किया गया है।

नोट 19: गैर वर्तमान पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा दायित्व	679.20	664.16
घटाइए: पट्टा दायित्वों का वर्तमान भाग	44.15	43.08
कुल	635.05	621.08

कंपनी ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कुछ संपत्तियों को पट्टे पर लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने लंबी अवधि की व्यवस्था में प्रवेश किया है जो पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिसके परिणामस्वरूप उपयोग की संपत्ति और पट्टे के दायित्वों की पहचान होती है। पट्टा दायित्व पट्टा अवधि में देय न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं का संचालन:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा प्रारंभ पट्टा देयताएं	664.16	649.37
पट्टा मान्यता प्राप्त नए पट्टा	-	-
माप और निकासी	-	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	58.12	56.82
पट्टा देयताओं का भुगतान	(43.08)	(42.03)
समाप्ति पट्टा देयताएं	679.20	664.16

नोट 39 (ग) के तहत बिना छूट वाली पट्टा देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण का खुलासा किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20: गैर- वर्तमान प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 34 देखें):		
सेवानिवृत्ति लाभ	17.27	9.09
कुल	17.27	9.09

नोट 21: वर्तमान पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा दायित्व (नोट 19 देखें)	44.15	43.08
कुल	44.15	43.08

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सुरक्षा और अन्य जमा	306.04	126.88
अर्जित ब्याज लेकिन डिबेंचर पर देय नहीं	263.27	263.27
वरीयता शेयरों पर लाभांश	728.15	392.15
ग्राहकों से अग्रिम	1,079.00	694.00
अनुबंध देयताएं	383.66	-
अन्य देय (व्यापार देय)	2,784.94	1,291.82
कुल	5,545.06	2,768.12

नोट 23: अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सांविधिक बकाया	35.20	32.90
कुल	35.20	32.90

नोट 24: चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 34 देखें) :		
सेवानिवृत्ति लाभ	0.29	0.17
खर्च के लिए लेनदार		
व्यय/ आकस्मिकताएं	183.49	1,316.93
कुल	183.78	1,317.10

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25: प्रचालन से राजस्व

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवाओं से आय		
पोत निर्माण से आय	969.34	-
पोत मरम्मत सेवाओं से आय	156.37	41.78
सेवाओं से आय	576.35	-
कुल	1,702.06	41.78

नोट 26: अन्य आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
बैंक जमे पर ब्याज	52.56	0.90
आयकर वापसी पर ब्याज	-	1.81
अन्यों से ब्याज	1.85	0.57
विविध आय	4.83	0.07
प्रतिभूति जमे पर छूट की समाप्ति	0.03	0.03
कुल	59.27	3.38

नोट 27: उपभुक्त सामग्री की लागत

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पोत निर्माण के लिए कच्चे माल की खपत	499.52	-
पोत मरम्मत के लिए कच्चे माल की खपत	112.11	-
कुल	611.63	-

नोट 28: उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पोत निर्माण के लिए उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	300.78	-
पोत मरम्मत के लिए उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	6.96	17.08
कुल	307.74	17.08

नोट 29: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी वेतन और भत्ता	300.78	-
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	6.96	17.08
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.96	17.08
कुल	307.74	17.08

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30: वित्त प्रभार

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	58.12	56.82
अन्य ब्याज	831.86	-
कुल	889.98	56.82

नोट 31: मूल्यहास और परिशोधन व्यय

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	704.17	19.56
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता	9.98	10.35
अन्य अगोचर परिसंपत्तियों का परिशोधन	9.49	9.71
कुल	723.64	39.62

नोट 32: अन्य व्यय

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अन्य अप्रत्यक्ष व्यय	43.71	-
दर और कर	77.93	2.44
ऊर्जा और ईंधन	63.72	20.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	9.04	6.16
संयंत्र और मशीनरी	10.14	-
अन्य	37.37	9.49
यात्रा तथा सवारी खर्च	22.55	7.41
छपाई तथा लेखन सामग्रियाँ	2.27	1.56
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	1.07	0.47
विज्ञापन और प्रचार	6.77	8.47
प्रदत्त पट्टा किराया	0.66	0.66
भाडा प्रभार	27.09	15.50
बीमा प्रीमियम व्यय	21.08	0.10
प्रतिभूति खर्च	170.70	150.17
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		
- लेखापरीक्षा शुल्क	2.50	1.50
- सीमित समीक्षा	1.50	1.20
परामर्श	11.91	6.10
बैंक प्रभार	1.27	0.88
विविध खर्च	89.67	14.98
कुल	600.95	247.21

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33: प्रति इक्विटी शेयर आय

व्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
इक्विटी धारकों के कारण लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(2,033.67)	(283.61)
प्रति शेयर आय की गणना हेतु उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और तनुकृत)	5,20,16,438.36	5,00,00,000.00
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹)	(3.91)	(0.57)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

34. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति

योजनाओं का विवरण:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की अनुदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं लिया है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमांकिकों की सलाह के अनुसार, निर्धारित किया जाता है, जिसे सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को अभ्युदय देने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध निर्धारित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

जोखिम :

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाजार प्रतिफल के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यील्ड में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, दिव्यांगजता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। निर्धारित लाभ दायित्व पर इन कमीओं पर प्रभाव सीधे आगे नहीं है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक निकासी न करें क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवावाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1 नियोक्ता व्यय के घटक				
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई:				
1 वर्तमान सेवा लागत	4.75	2.06	3.56	5.70
2 पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
3 निवल ब्याज लागत	0.26	0.42	-	-
4 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	0.72	-	-
5 लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	5.01	3.20	3.56	5.70

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

34. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः मापन				
6 योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/ छूट दर से कम	-	-	-	-
7 मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
8 अनुभव समायोजन का प्रभाव	0.08	-	-	-
9 अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुनः मापन	0.08	-	-	-
10 लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (5+9) में मान्यता प्राप्त कुल पारिभाषित लाभ लागत	5.09	3.20	3.56	5.70

वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत और अनुदान व्यय से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत को नोट 29 के तहत भविष्य और अन्य निधियों में योगदान और वेतन और मजदूरी में छुट्टी नकदीकरण में मान्यता दी गई। शुद्ध पारिभाषित लाभ देयता के पुनर्माप के अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)				
पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8.65	8.90	3.56	5.70
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं :				
- गैर चालू	8.58	8.68	3.53	5.56
- चालू	0.07	0.22	0.03	0.14

III. निर्धारित लाभ में परिवर्तन दायित्व (डीबीओ)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	3.56	5.70	-	-
2 वर्तमान सेवा लागत	4.75	2.06	3.56	5.70
3 पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
4 निवल ब्याज लागत	0.26	0.42	-	-
5 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	0.72	-	-
6 पुनर्मापन लाभ/(हानि):				
क. जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
ख. वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
ग. परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

34. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
घ. अनुभव समायोजन का प्रभाव	0.08	-	-	-
7 कटौती लागत /(क्रेडिट)	-	-	-	-
8 निपटान लागत /(क्रेडिट)	-	-	-	-
9 अधिग्रहण क्रेडिट /(लागत)	-	-	-	-
10 स्थानांतरण के प्रभाव में/ (बाहर)	-	-	-	-
11 लाभ प्रदत्त	-	-	-	-
12 वर्तमान अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	8.65	8.90	3.56	5.70

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
IV. अगले वर्ष के लिए नियोक्ताओं के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान		
उपदान	लागू नहीं	3.56

V. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1 वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-	-	-
2 अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
3 योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
4 नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
5 छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-	-	-
6 लाभ प्रदत्त	-	-	-	-
7 वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-

VI. बीमांकिक अनुमान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1 प्रति वर्ष छूट दर	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
2 वेतन में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 लाभ प्रदत्त	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
4 चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

34. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी)

VII. संवेदनशीलता विश्लेषण

अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होनेवाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित किया गया है। ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि, इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती है और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को समायोजित कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत निर्धारित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है। पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जानेवाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
क छूट दर	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	(1.07)	(1.13)	(0.46)	(0.71)
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	-12.40%	-12.60%	-13.00%	-12.40%
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	1.29	1.35	0.55	0.84
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	14.90%	15.10%	15.60%	14.80%
ख वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	1.33	1.39	0.57	0.87
वेतन वृद्धि दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	15.40%	15.70%	16.10%	15.30%
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	(1.12)	(1.18)	(0.49)	(0.74)
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	-13.00%	-13.20%	-13.70%	-13.00%

(₹ लाखों में)

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष 1	0.07	0.23	0.03	0.14
वर्ष 2	0.27	0.30	0.00	0.19
वर्ष 3	2.55	0.38	0.00	0.24
वर्ष 4	3.69	0.47	0.00	0.29
वर्ष 5	0.66	0.57	0.00	0.35
अगले 5 वर्ष	16.53	16.07	0.01	2.81

(ii) नोट 29 में भविष्य और अन्य निधियों में योगदान के तहत निर्धारित योगदान योजनाओं की राशि को मान्यता दी गई है : ₹ 27.02 लाख रु. (2021 - 3.59 लाख रुपए.)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

35. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)		
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	75.99	521.57

36 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित अनुसार कंपनी को अपने परिचालन या निवल मूल्य से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

37. संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

a) संबंधी पार्टी का नाम और उनका संबंध

संबंधी पार्टी का नाम	संबंध
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी
उदुपीकोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शेखर चक्रवर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (22.12.2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन, नामांकित निदेशक (26.03.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती अंजना के आर, नामांकित निदेशक (26.03.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सैबल चट्टोपाध्याय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (14.02.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए कंपनी सचिव, (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

b) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 तक बकाया शेष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष
(क) हॉल्लिडिंग कंपनी :					

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

37. संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी)

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 तक बकाया शेष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	कर्मचारी श्रमशक्ति सेवाएँ (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड - नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदान की गई)*	-	-	-	-
	4,40,000 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) को जारी किए गए 1,000 रुपये अंकित मूल्य के 6.5% प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	-	4,400.00	-	4,400.00
	3,10,000, 6.15% प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, प्रत्येक 1,000 रुपये अंकित मूल्य के, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) को जारी किए गए	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00
	परियोजनाओं के लिए अग्रिम	483.53	-	571.12	87.12
	प्रचालन से राजस्व	745.83	-	-	-
	डिबेंचर पर ब्याज	476.65	263.27	395.69	263.27
	सावधि ऋण ग्रस्त	650.00	-	-	-
	वरीयता शेषों पर ब्याज	336.00	728.15	336.00	392.15
	सावधि ऋण का पुनर्भंगतान	650.00	-	-	-
	सावधि ऋण पर ब्याज	5.79	-	-	-
	सीएसएल से सामग्री	141.52	-	-	-
	परियोजना पर ब्याज वसूली	9.61	-	-	-

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ईआरपी प्रणाली, 'एसएपी एस/4हाना' को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन लागत और लाइसेंस शुल्क के साथ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) तक बढ़ा दिया गया है, जो कुल मिलाकर ₹ 33.74 लाख है जो एचसीएसएल की ओर से सीएसएल द्वारा वहन किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से आगे की लाइसेंस फीस और अन्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति एचसीएसएल द्वारा सीएसएल को दी जाएगी।

38. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व की एक समीक्षा देता है और वित्तीय साधनों वाले तुलन पत्र मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

(क) वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ

निम्नलिखित तालिका दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रत्येक श्रेणी का वहन मूल्य और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है:

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

38. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण (जारी)

दिनांक 31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	755.41	-	-	755.41	755.41
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	6,299.93	-	-	6,299.93	6,299.93
(iii) (ii) के अलावा बैंक शेष	-	-	-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.21	-	-	4.21	4.21
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	7,059.55	-	-	7,059.55	7,059.55
वित्तीय देयताएं					
(i) उधार राशियाँ					
(ii) पट्टा देयताएं	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	679.20	-	-	679.20	679.20
कुल वित्तीय देयताएं	5545.06	-	-	5545.06	5545.06
	19324.26	-	-	19324.26	19324.26

दिनांक 31 मार्च 2022 को

(₹ लाखों में)

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	49.96	-	-	49.96	49.96
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	3,193.70	-	-	3,193.70	3,193.70
(iii) (ii) के अलावा बैंक शेष	109.07	-	-	109.07	109.07
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.18	-	-	4.18	4.18
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,356.91	-	-	3,356.91	3,356.91
वित्तीय देयताएं					
(i) उधार राशियाँ	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
(ii) पट्टा देयताएं	664.16	-	-	664.16	664.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	2,768.12	-	-	2,768.12	2,768.12
कुल वित्तीय देयताएं	16,532.28	-	-	16,532.28	16,532.28

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्न तालिका वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद मापा जाता है, जिन्हें निम्नानुसार स्तर 1 और स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियां या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ में मापा जाता है।

अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 2): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं, जिन्हें स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकन योग्य हैं।

महत्वपूर्ण गैर अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 3): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं जिन्हें उन निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (गैर अवलोकनीय निविष्टियों) पर आधारित नहीं होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण पूर्ण या आंशिक रूप से एक मूल्यांकन नमूने का उपयोग करके किया जाता है जो उन मान्यताओं के आधार पर होता है जो न तो एक ही उपकरण में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होती हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होती हैं।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

38. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को				31 मार्च 2022 को			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	0.40	-	0.36	-	0.36
	-	0.40	-	0.40	-	0.36	-	0.36
वित्तीय देयताएं								
उधार राशियाँ	-	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00
पट्टा देयताएं	-	679.20	-	679.20	-	664.16	-	664.16
अन्य वित्तीय देयताएं	-	5,545.06	-	5,545.06	-	2,768.12	-	2,768.12
	-	19,324.26	-	19,324.26	-	16,532.28	-	16,532.28

- (i) उधार राशियों का उचित मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य होता है, उसके बाजार मूल्य पर आधारित है जिसे स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधार राशियों का उचित मूल्य, जिनका कोई सक्रिय बाजार नहीं है या जिन्हें उद्धृत नहीं किया गया है, उसका अनुमान समान परिपक्वता वाले लिखतों के लिए उधारदाताओं द्वारा विचार किए गए साख विस्तार के लिए समायोजित विवरणों की जोखिम- मुक्त दर के समतुल्य छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह का छूट देकर लगाया जाता है जिसे उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालांकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएं हैं। अतः पर्याप्त रूप से सभी वित्तीय साधनों के लिए, उपरोक्त प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन राशियों का संकेत नहीं है जो कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्ट की गई राशि से भिन्न हो सकता है।
- (iii) दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्षों के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

(ग) कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता अवधि विन्यास नीचे दी गई है

परिपक्वता अवधि	31 मार्च 2023 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियाँ	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर	4,400.00	44.15	5,545.06	9,989.21
1 वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व	3,100.00	237.88	-	3,337.88
5 वर्षों से अधिक	5,600.00	4,819.85	-	10,419.85
	13,100.00	5,101.88	5,545.06	23,746.94
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	4,422.68	-	4,422.68
	13,100.00	679.20	5,545.06	19,324.26

(₹ लाखों में)

परिपक्वता अवधि	31 मार्च 2022 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियाँ	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर	-	43.08	2,768.12	2,811.20
1 वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व	7,500.00	183.34	-	7,683.34
5 वर्षों से अधिक	5,600.00	4,918.54	-	10,518.54
	13,100.00	5,144.96	2,768.12	21,013.08
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	4,480.80	-	4,480.80
	13,100.00	664.16	2,768.12	16,532.28

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

39. अतिरिक्त नियामक सूचना अनुपात

(i) अनुपात

अनुपात	अंश गणक	भाजक	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय पर)	कुल मौजूदा संपत्तियाँ	कुल मौजूदा देनदारियाँ	1.50	1.08
ऋण - इक्विटी अनुपात (समय पर)	ऋण में उधार और पट्टे की देनदारियाँ शामिल हैं	कुल इक्विटी	2.10	3.46
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय पर)	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर-नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	(0.32)	(0.65)
इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत कुल इक्विटी	-38.63%	-15.03%
मालसूची कारोबार अनुपात (समय पर)	प्रचालन से राजस्व	औसत मालसूची	20.76	-
व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात (समय पर)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	4.23	1.67
व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात (समय पर)	सीडब्ल्यूआईपी और पीपीआई की लागत + अन्य खर्च	औसत व्यापार देय	0.57	1.44
निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात (समय पर)	प्रचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल चालू संपत्ति कम कुल चालू देनदारियाँ)	1.05	0.05
निवल लाभ अनुपात (% में)	वर्ष के लिए लाभ	प्रचालन से राजस्व	-119%	-679%
नियोजित पूंजी का वापसी (% में)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियोजित पूंजी = निवल संपत्ति + उधार + पट्टा देनदारियाँ	-4.39%	-1.84%
निवेश पर आय (% में)	निवेशित धन से उत्पन्न आय	राजकोष में औसत निवेशित धन	लागू नहीं	लागू नहीं

पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण:

अनुपात	% परिवर्तन	अभ्युक्तियाँ
वर्तमान अनुपात (समय पर)	39%	वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है क्योंकि कंपनी ने मार्च 23 में ₹ 4600 लाख के इक्विटी शेयर जारी किए हैं जिसके परिणामस्वरूप नकद और नकद समकक्षों में वृद्धि हुई है।
ऋण इक्विटी अनुपात (समय पर)	-39%	कंपनी ने मार्च 23 में ₹ 4600 लाख के इक्विटी शेयर जारी किए हैं जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि हुई है
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय पर)	51%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईबीआईटीडीए में बढ़ोतरी के कारण
इक्विटी अनुपात पर विवरण (% में)	-157%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घाटा बढ़ने के कारण
मालसूची कारोबार अनुपात (समय पर)	100%	वित्त वर्ष 21-22 में कोई मालसूची नहीं
व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात (समय में)	153%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व में वृद्धि के कारण
व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात (समय में)	-61%	सीडब्ल्यूआईपी और पीपीआई + अन्य खर्चों की लागत में कमी के कारण
निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात (समय में)	1897%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व में वृद्धि के कारण
निवल लाभ अनुपात (% में)	82%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व में वृद्धि के कारण
नियोजित पूंजी पर विवरण (% में)	-139%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घाटा बढ़ने के कारण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

39. अतिरिक्त नियामक सूचना अनुपात (जारी..)

- (ii) 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (iii) कंपनी को 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

(v) अधोषित आय:

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खातों की किताबों में कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभिभूत या खुलासा किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खाते की किताबों में दर्ज की जाने वाली कोई भी पहले से दर्ज न की गई आय और संबंधित संपत्ति नहीं है।

(vi) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण :

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(vii) उधार ली गई धनराशि का उपयोग और शेयर प्रीमियम:

(क) समाप्त वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति(ओं) या इकाई(ओं) को अग्रिम या उधार या निवेशित धन (या तो उधार लिया गया धन या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या प्रकार का धन) विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ यह करेगा, नहीं दिया है।

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना।
या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

(ख) समाप्त वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी यह करेगी:

(i) निधीकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना।

या

(ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

(viii) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए वैधानिक अवधि के भीतर सभी शुल्क या संतुष्टि आरओसी के साथ पंजीकृत हैं।

(ix) कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन

(x) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार लिया है। कंपनी ने, जैसा लागू हो, बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ मासिक/त्रैमासिक रिटर्न/वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण दाखिल करने की आवश्यकता का अनुपालन किया है, और ये विवरण 31 मार्च, 2023 और 31, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की बहियों के अनुरूप था।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

40 सेगमेंट रिपोर्टिंग

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	पोत निर्माण	पोत मरम्मत	कुल	पोत निर्माण	पोत मरम्मत	कुल
खंड राजस्व	969.34	156.37	1,125.71	-	41.78	41.78
जोड़ें: अन्य			576.35			-
प्रचालन से कुल राजस्व			1,702.06			41.78
खंड परिणाम	35.86	37.70	73.56	-	24.70	24.70
घटाएँ: आय का निवल अनाबंटित व्यय			963.83			350.35
घटाएँ : वित्त लागत			889.98			56.82
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि)			(1,780.25)			(382.47)
घटाएँ - असाधारण मदे - (आय)/व्यय			-			-
कर पूर्व लाभ/(हानि)।			(1,780.25)			(382.47)
कर हेतु प्रावधान			-			-
आस्थगित कर हेतु प्रावधान			253.34			(98.86)
कर पश्चात लाभ/(हानि)			(2,033.59)			(283.61)
खंड संपत्ति	13,389.54	26.15	13,415.69	11,634.88	-	11,634.88
जोड़ें: अनाबंटित निगमित परिसंपत्तियाँ			12,692.82			10,238.16
कुल संपत्ति			26,108.51			21,873.04
खंड देयताएं	267.28	17.08	284.36	-	-	-
जोड़ें: अनाबंटित निगमित देयताएं			19,276.15			17,891.37
कुल देयताएं			19,560.51			17,891.37
पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा गैर	-	-	-	-	-	-
नकद व्यय						

41. पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, वर्गीकृत और पुनः एकत्रित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते **राहुस व कं**

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298 ई)

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे

निदेशक

(डीआईएन 08444440)

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या. 067872)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सैबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 28 अप्रैल, 2023

कोच्ची,

28 अप्रैल, 2023

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित व्यापार कार्य करने हेतु हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 06 वीं वार्षिक साधारण बैठक सितंबर 19, 2023 को मंगलवार, 11.00 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2023 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।
- श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
- श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 08, 2023

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. ए 36050

टिप्पण:

1. एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अडतालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-II) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।
2. पचास सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
3. सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। अधिनियम की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।
4. सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएरपी के पश्चात) के अधीन बनाए रखे पंजियों और सूचना तथा साथ में व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज बैठक में उपलब्ध है।
5. बैठक में स्थान की ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।
6. यह बैठक कोलकाता की स्थानीय सीमा के बाहर पंजीकृत कार्यालय के सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेम्मानूर, कोच्ची, केरल- 682015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।
7. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. ए 36050

कोच्ची

सितंबर 08, 2023

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन

एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड

पी ओ धनेश शेख लेन, नज़ीरगंज

हावड़ा, पश्चिम बंगाल – 711 109

सीआईएन: U35900WB2017GOI223197

ईमेल: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

प्रपत्र सं. एमजीटी - 11

परोक्षी प्रपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) औ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3)के अनुसार

बैठक का स्थान: सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेस्मानूर, कोच्ची, केरल- 682015

दिन, दिनांक और समय: मंगलवार, सितंबर 19, 2023 को 11.00 बजे

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, शेयर संभालनेवाले हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हैं, निम्नलिखित

1.

नाम:	
पता:	
ईमेल आईडी:	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

2.

नाम:	
पता:	
ईमेल आईडी:	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

3.

नाम:	
पता:	
ईमेल आईडी:	
हस्ताक्षर	

को सितंबर 19, 2023 मंगलवार, 11.00 बजे सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015 आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के 06वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थिति होने और मत देने (पॉल पर) के लिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है:

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
सामान्य व्यापार			
1.	दिनांक 31 मार्च 2023 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
4.	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।		

2023 केदिन.....हस्ताक्षर किया।

शेयरधारक का हस्ताक्षर

परोक्षी धारक का हस्ताक्षर

रैवन्यू स्टैप
लगाए

नोट: यह प्रपत्र प्रभावी होने के लिए विधिवत् भरकर, बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान: सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015

दिन, दिनांक एवं समय: मंगलवार, सितंबर 19, 2023 को 11.00 बजे.

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।


शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी का पंजीकृत शेयरधारक / परोक्षी हूँ।

मैं मंगलवार, सितंबर 19, 2023 11.00 बजे को सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में कंपनी की 06 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का रूट मैप



शेयरधारक की सहमति

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन]

सेवा में,
निदेशक मंडल
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, एचसीएसएल परिसर,
सत्यन बोस रोड, पी ओ धनेश शेख लेन,
नजीरगंज, हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711 109

मैं, _____, _____ का पुत्र, _____, _____
_____, _____ का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के _____ अधिमान शेयर और/ याइक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्वारा
कंपनी के 06 वीं वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै), सितंबर 19, 2023 को सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची,
केरल- 682015 के स्थानीय सीमा के बाहर लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण

(भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी आम बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के उद्देश्य)

निदेशक का नाम	श्री मधु शंकुण्णी नायर
डीआईएन	07376798
आयु एवं जन्मतिथि	57 वर्ष और जनवरी 05, 1966
योग्यताएं	उन्होंने भारत के कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की है।
अनुभव	श्री मधु शंकुण्णी नायर धारक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वे सीएसएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री मधु शंकुण्णी नायर को दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के बोर्ड में नामित व्यक्ति के रूप में कंपनी के पहले निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 04 अगस्त, 2020 को आयोजित 03वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया गया था। श्री मधु शंकुण्णी नायर के नामांकन वापस लेने तक निदेशक पद पर बने रहने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान करने के लिए मांगे गए और अंतिम आहरित पारिश्रमिक संबंधी विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23)	शून्य
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अक्टूबर 23, 2017
कंपनी में संभाले श्रेयों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से संभाले गए हैं)
अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	5/5
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं सेक्शन 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता*	शून्य

* केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंधी समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

निदेशक का नाम	श्री बिजोय भास्कर
डीआईएन	08103825
आयु एवं जन्मतिथि	58 वर्ष और और मई 07, 1965
योग्यताएं	उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (मैकेनिकल) की डिग्री और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (मैकेनिकल) की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा किया है। श्री बेजॉय भास्कर होल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) हैं। उनके पास पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वे सीएसएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के निदेशक भी हैं।
अनुभव	श्री बेजॉय भास्कर को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 15 सितंबर, 2021 को आयोजित 04 वीं एजीएम में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त किया गया था। नामांकन वापस लेने तक श्री बेजॉय भास्कर के निदेशक पद को जारी रखने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	शून्य
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान करने के लिए मांगे गए और अंतिम आहरित पारिश्रमिक संबंधी विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23)	शून्य
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अप्रैल 25, 2018
कंपनी में संभाले शेरों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से संभाले गए हैं)
अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	5/5
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं सेक्शन 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता*	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की हितधारक संबंध समिति में सदस्य।

* केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंधी समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

06 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना का परिशिष्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की मंगलवार, 19 सितंबर 2023 को 11.00 बजे निर्धारित 06 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु दिनांक 08 सितंबर 2023 को जारी नोटिस का संदर्भ देखें।

निगमित मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 को 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी उचित परिपत्रों के साथ पढ़ित (एकत्रित रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति देता है। इन एमसीए परिपत्रों के मद्देनजर, कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 06 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं:

[हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 06वीं एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक](#)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

मतदान के मामले में वोट डालने हेतु नामित ईमेल आईडी है secretary.hcsl@cochinshipyard.in.

कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 18, 2023

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेष शेख लेन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109

सीआईएन: U35900WB2017GOI223197





HOOGLY COCHIN SHIPYARD LIMITED



Navigating to Sustainable Shipbuilding

Annual Report 2022-23

Contents

01-10

Business Overview

- 01 Corporate Information
- 02 About Us
- 04 Business Segment
- 05 Product Portfolio
- 06 Chairman's Address
- 08 Board of Directors
- 10 Leadership Team

34-87

Financial Statements

- 35 Independent Auditor's Report
- 45 Comptroller and Auditor General of India
- 46 Balance Sheet
- 47 Statement of Profit and Loss
- 48 Statement of Cash Flows
- 49 Statement of Changes in Equity
- 50 Note to Financial Statements

11-33

Statutory Reports

- 11 Directors' Report
- 23 Management Discussion and Analysis Report
- 28 Report on Corporate Governance

90-98

Notice



Business Overview

Statutory Reports

Financial Statements

Corporate Information

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman

Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Jose V J
Non – Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan
Non – Executive Director

Smt. Anjana K R
Non – Executive Director

Shri Harikrishnan S
Non – Executive Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Shekhar Chakravarty
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Saibal Chattopadhyay
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Kiran K A
Company Secretary (CS)

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road,
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge,
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197

FACILITIES

Nazirgunge, West Bengal
Salkia, West Bengal

STATUTORY AUDITORS

M/s. RADS & Co
(CA1369)
1, Gibson Lane, Sidha Gibson
2nd Floor, Suite No. 214
Kolkata, West Bengal – 700 069

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SVJS & Associates
Company Secretaries
First Floor, 65/2364A
Ponoth Road, Kaloor
Kochi – 682 017

BANKERS

Union Bank of India
State Bank of India
Federal Bank



About Us

A wholly owned subsidiary of CSL, Hooghly Cochin Shipyard Limited serves to fulfill the huge demand for inland water vessels in the designated National Waterways of India.

The East Coast of India has throughout been the epicentre of Maritime activity and has been the beacon for the country as far as shipbuilding is concerned. Towards this Cochin Shipyard Limited (CSL) in its endeavour to further strengthen the shipbuilding sector in this region has taken on the age old legacy of Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL) who were the pioneers of shipbuilding in the eastern cost of the country.

HDPEL is one of the oldest shipyards of the country established in the year 1819 in the name of Hooghly Docking and Engineering Company Limited. It has later merged with Port Engineering Works and came to be known as Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). CSL took over this yard which includes facilities at Nazirgunge and Salkia and rechristened as Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) in October 2017 as a joint venture with HDPEL and thereafter HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019, pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019.

CSL, keeping in line with the thought process of the Govt. of India to develop the National Waterways being piloted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways through the Jal Marg Vikas project of IWAI has refurbished and restructured the Nazirgunge unit into a modern shipbuilding facility. With the technical and design support from CSL, the leading shipyard in the country, HCSL is confident of meeting the demands of high quality, niche vessels in inland sector in full and the Coastal and Sea going segment to a good extent.

Our unit is equipped with the latest shipbuilding norms like in-house QA/QC, NDT, Fire & Safety and sophisticated equipment with experienced work force to complete every task in a time bound manner. We have obtained IMS Certification including ISO 9001-2015 – Quality, ISO 14001-2015 – Environment & ISO 45001-2018 – Health and Safety Certification from the Indian Register of Shipping (IRS). Our facility has an added advantage due to the strategic location supporting consequently both slipway launching and side launching facility due to the extended riverfront.

We at HCSL, can provide a comprehensive support by not only developing the most cost-effective design and ships for the customers but also providing support for the entire life cycle of the vessel by conducting defect analysis and maintenance schedules on periodic real time feedback from ships and thereafter slotting refits and repair as per schedule.

A Few highlights of the facility at HCSL:

- 1 All shopfloors equipped with the state-of-the-art facilities for ship construction.
- 2 End launching (02 nos.) with winch and cradle system for vessels upto 80 Mtrs.
- 3 Side launching (01 no) for vessels upto 120 Mtrs.
- 4 Fitout berths (04 nos.) with jetties – each with floating pontoons (30mtr*7mtr) with gangways and tower cranes(5Tons)
- 5 Wide range of standardized designs to meet customers' requirements.
- 6 Strong workforce to meet every task on schedule with a credential of 3.01 million safe working hours.

VISION

- Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Defence ships, offshore vessels and structures in small ship segment.
- Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up-gradation.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.

MISSION

- To build and repair ships to international standards and provide value added quality engineering services.
- Sustain corporate growth in competitive environment.
- To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.



Business Segment



SHIPBUILDING:

Wide range of standardized design to meet customers requirement. This includes Inland Water, Coastal and Sea going vessels for both passenger and cargo carrying capability.



LIFE CYCLE ANALYSIS:

Based on the real time feedback from ships, analysis on defects and maintenance routines can be carried out to predict and slot refit and repairs.



REFIT SCHEDULE:

Timely repair and refit of equipment to avoid breakdown and to reduce the downtime of machineries.



Product Portfolio

Tug	Workboat	Fishing Vessel	Hybrid Electric Boat	Ro-PAX
Tow Barge	Pax Ferry	RO-RO	Marine Ambulance Boat	Pushers
Port Feeders	Coastal LNG Tankers	Research Vessel	Defence Vessel	Autonomous Electric Barge



Chairman's Address



“ All production activities are progressing under the supervision and clearance of IRS without any pending observation reflecting the quality of work in the Yard. ”

Dear Shareholders,

A very warm welcome to all of you to the 06th Annual General Meeting of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL).

It is my distinct pleasure to inform you that, the setting up of new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge was completed, and on August 16, 2022, the facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of

Ports, Shipping & Waterways. The facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the eastern coast of India serving both inland and coastal vessels.

I am delighted to announce that the Company was bestowed IMS Certification, encompassing ISO 9001-2015 for Quality, ISO 14001-2015 for Environment, and ISO 45001-2018 for Health & Safety, by the Indian Register of Shipping (IRS). This certification underscores our unwavering commitment to excellence in these critical areas. Besides, the Company has successfully implemented one of the industry's leading Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, SAP S/4HANA. We anticipate that this implementation will lead to a substantial enhancement in the efficiency of our business transactions, heralding a new era of operational excellence.

During the fiscal year 2023, HCSL achieved a significant milestone by securing its inaugural shipbuilding contract for the design and construction of a versatile Multi-purpose Cargo Vessel (2200T) for JAK Maritime & Logistics India Private Limited. The construction of this vessel is currently underway. The vessel adheres to RSV 4 specifications and Classed by IRS.

In addition, Company has also entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam. The proposed ship repair facility is poised to cater to the needs of vessels operating in National Waterways 2 and North Eastern sector, eliminating the need for them to travel to Kolkata for minor repairs, thereby saving valuable time.

Furthermore, the Yard is currently engaged in the execution of an order encompassing design, procurement, fabrication, installation and testing of a Box Caisson gate for CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), CSL. This critical component will be positioned at Netaji Subash Dock at SMPT upon completion. Besides, the Yard is gearing up for construction of 6 Nos. Battery Electric passenger ferries for IWAI.

Moreover, the Yard has demonstrated remarkable efficiency by successfully constructing and launching two Jetty Pontoons for its own purposes within a remarkably short timeframe of just five months since the Yard's commissioning. This accomplishment has significantly bolstered our production capabilities, preparing us to confidently undertake forthcoming shipbuilding contracts. All production activities are progressing under the supervision and clearance of IRS without any pending observation reflecting the quality of work in the Yard. Furthermore, the Yard has embarked

upon ship repair services and has already achieved success by swiftly completing the repair of an IWAI vessel within mere seven days, post import of propulsion unit from Denmark.

The Yard is strategically positioned to make a significant contribution to the CSL group's long-term strategy, known as CRUISE 2030. This involves leveraging the substantial opportunities in the small vessels sector, particularly focusing on inland vessels, passenger ferries, RO-RO/RO-PAX vessels, and ship repairs, primarily within the North East region of the Country. HCSL, as a Yard with access to National Waterways 1 and 2, is well-suited for the cost-effective construction of small vessels. This strategic advantage positions the Company to effectively tap into the high-volume, low-margin small vessels market, both domestically and internationally.

On the financial front, the Company has earned a total income of Rs. 1,702.06 Lakhs from its operations which includes Rs. 969.34 Lakhs from shipbuilding, Rs. 156.37 Lakhs from ship repair and Rs. 576.35 Lakhs from other services during financial year 2022-23. However, the Company which is in the initial stages of commercial shipbuilding, has reported a loss of Rs. 2,033.59 Lakhs during the financial year 2022-23. The Company is in discussions for obtaining a significant order and is expected to conclude the order shortly. As the Company ramps up its order execution levels, a notable improvement in its financial performance is expected in the near future.

It is also worth mentioning that, the Board of Directors of the Company appointed Chief General Manager (Shipbuilding) of CSL viz., Shri Harikrishnan S, as the Director on the Board of HCSL in place of Shri Chandra Mani Rout who ceased to be Director in HCSL consequent to completion of his tenure of appointment approved by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. I am confident that the Company stands to gain significantly from the extensive expertise that the new Director brings, particularly in various operational aspects of shipbuilding. Additionally, the recruitment process to fill the required additional manpower positions is underway in a phased manner, with the aim of ensuring optimal staffing levels within the Company.

Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE) on July 08, 2014, the Company, which was not fully operational till first quarter of the financial year 2022-23, had been exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. The Guidelines have been made applicable from the second quarter of the financial year

2022-23 consequent to the inauguration of the facility on August 16, 2022. The Company is committed to adopt the best Corporate Governance practices wherever possible and complies with the applicable DPE Guidelines on Corporate Governance. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. Further, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

Before concluding, I wish to convey my appreciation to the HCSL management led by the CEO for their continued support, commitment and contribution. I also wish to place on record my sincere gratitude to all the Board Members for their valuable guidance and support extended for completion of the project. I also thank Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL), officials of the Government of West Bengal and Syama Prasad Mookerjee Port (SMP) for their contribution in completion of the project. I also wish to convey my sincere thanks to the dedicated employees of the Company. Without their efforts and enduring commitment, the Company would not have sustained during these difficult and challenging times.

I wish the Company all the very best as it moves towards its goal of becoming the lead player in India in the inland waterway vessel segment.

Thanking You

Jai Hind

Madhu Sankunni Nair

Chairman

DIN: 07376798

Board of Directors



Shri Madhu Sankunny Nair

Chairman

Shri Madhu Sankunny Nair is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. He is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. Shri Madhu Sankunny Nair holds a Degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science and Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is the Fellow of The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA) and Fellow of Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). As a recognition for his valuable contributions, he has been bestowed with several accolades; CUSAT Distinguished Alumni Award 2022, Samudra Manthan Prof K R Bhandarkar Award 2022, Rotary Icon 2023 Award, Pride of KMA Award, to name a few. He has approximately 35 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Bejoy Bhasker

Non - Executive Director

Shri Bejoy Bhasker was inducted to the Board of HCSL with effect from April 25, 2018. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has approximately 35 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Jose V J

Non - Executive Director

Shri Jose V J was inducted to the Board of HCSL with effect from August 03, 2019. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 32 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Sreejith K Narayanan

Non - Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan was inducted to the Board of HCSL with effect from March 26, 2022. He is the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He has approximately 35 years of work experience across areas such as Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Smt. Anjana K R

Non - Executive Director

Smt. Anjana K R was inducted to the Board of HCSL with effect from March 26, 2022. She is the General Manager (Design) of Cochin Shipyard Limited (CSL). Smt. Anjana K R holds a Degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture & Ship Building) from Cochin University of Science and Technology. She has more than 27 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building hull, production engineering and Ship building materials procurement.



Shri Harikrishnan S

Non - Executive Director

Shri Harikrishnan S was inducted to the Board of HCSL with effect from July 21, 2023. He is the Chief General Manager (Shipbuilding) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds degree of Bachelor of Technology in Mechanical Engineering, Master of Technology in Production Engineering, Master of Business Administration in International Business and Doctor of Philosophy (Ph D) degree in Mechanical Engineering. He has got more than 27 years' experience in Shipbuilding across areas such as Design, Inspection & Quality Control, Production, Procurement, Planning & Project Management and Ship Repair.

Leadership Team



Shri Shekhar Chakravarty

Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shekhar Chakravarty took over charge as the CEO of HCSL with effect from December 22, 2021. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Naval College of Engineering, Lonavala, PG degree DIIT(NC) from IIT (Delhi) in Naval Construction and Certificate Course in Business Development from IIM (Indore). He joined Indian Navy in 1984 and was commissioned in 1987. He has 25 years of Commissioned service in Indian Navy. He has also worked with L&T Shipbuilding for a period of 9 years. He has vast expertise across areas such as ship design, ship repairs and ship construction, in addition to heading the Shiplift & Marine Services Division in L&T.



Shri Saibal Chattopadhyay

Chief Financial Officer (CFO)

Shri Saibal Chattopadhyay took over charge as the CFO of HCSL with effect from February 14, 2022. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India as well as the Institute of Company Secretaries of India. He has a rich experience across areas related to finance with various large corporates at different capacities. Prior to joining HCSL, he worked as Director Finance of HIL (India) Limited (formerly Hindustan Insecticides Limited). He had also worked with Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF) and Hindustan Copper Limited (HCL).

Directors' Report

Dear Shareholders,

- Your Directors have immense pleasure in presenting the 06th Annual Report of your Company together with the financial statements for the year ended March 31, 2023, the Report of the Statutory Auditors and the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013.

About the Yard

- Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) on October 23, 2017. Pursuant to the approval of the Union Cabinet, CSL acquired the shares held by HDPEL and with effect from November 01, 2019 HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL.
- During the financial year 2022-23 the setting up of new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge was completed and on August 16, 2022, the Facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways and Ayush, Government of India. The Facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the east coast of India for inland and coastal vessels.

Operations

- HCSL bagged its first shipbuilding order for constructing 1 Multi-purpose cargo Vessel (2200T) for JAK Logistics & Maritime Private Limited. The Company has also entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam. Further, the Yard is working towards the completion of the order for design, construction, installation and commissioning of Box Caisson Gate from CSL to be positioned and commissioned at Netaji Subash Dock at SMPT.
- During the period 2022-23, the Yard has successfully constructed and launched two Jetty pontoons for the Company itself in a short span of five months since commissioning of the Yard. This has enabled the Yard to gear up all production linked activities so as to take on the upcoming ship building contracts confidently.
- All production activities are progressing under the supervision and clearance of IRS without any pending observation reflecting the quality of work in the Yard. The Yard has also embarked upon ship repairs and successfully completed repair of one IWAI vessel within a short span of seven days post import of propulsion unit from Denmark.

Financial Details

- The Company being in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities has reported a loss of ₹ 2,033.59 Lakhs (₹ 283.61 Lakhs PY) during the financial year 2022-23.

Financial Highlights

(₹ in Lakhs)

Note No.	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(i)	Gross Income	1761.33	45.16
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(166.63)	(286.03)
(iii)	Finance cost	889.98	56.82
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	723.64	39.62
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(1780.25)	(382.47)
(vi)	Tax Asset	253.34	98.86
(vii)	Net Profit/(Loss)	2033.59	283.61

Share Capital

8. The authorised share capital of the Company as on March 31, 2023 is ₹ 2,00,00,00,000/- (Rupees Two Hundred Crores only) divided into 14,40,00,000 (Fourteen Crore Forty Lakhs) equity shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to ₹ 1,44,00,00,000/- (Rupees One Hundred and Forty Four Crores only) and 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakhs) preference shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to ₹ 56,00,00,000/- (Rupees Fifty Six Crores only).
9. The paid-up share capital of the Company as on March 31, 2023 is ₹ 1,52,00,00,000/- (Rupees One Hundred and Fifty Two Crores only) divided into 9,60,00,000 (Nine Crore Sixty Lakhs) equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to ₹ 96,00,00,000/- (Rupees Ninety Six Crores only) and 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakhs) preference shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to ₹ 56,00,00,000 (Rupees Fifty Six Crore only). The entire paid-up share capital is held by Cochin Shipyard Limited (CSL).

Debentures

10. The Company has issued 4,40,000 (Four Lakh Forty Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand only) each in the month of September 2018 with a tenure of 60 months at a coupon rate of 6.50% per annum to CSL for an amount of ₹ 44,00,00,000 (Rupees Forty Four Crores only). The debentures are due for redemption in September 2023.
11. Further, the Company has also issued 3,10,000 (Three Lakh Ten Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand only) each in the month of September 2021 with a tenure of 120 months (with an option to redeem after five years from the date of allotment) at a coupon rate of 6.15% per annum to CSL for an amount of ₹ 31,00,00,000 (Rupees Thirty One Crores only).
12. The Company has in total 7,50,000 (Seven Lakhs Fifty Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand only) each outstanding as on March 31, 2023.

Dividend

13. No dividend is recommended as the Company is currently in the nascent stages of its operations and has no divisible profits.

Transfer to Reserves


14. As the Company recently began to commence its operations and has incurred a loss during the financial year 2022-23, the Company is unable to transfer any amount to the reserves.

Contribution to Exchequer

15. The total contribution made during the financial year 2022-23 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately ₹ 430.39 Lakhs (₹ 311.54 Lakhs PY).

Manpower Status

16. As on March 31, 2023, Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) has 46 employees consisting of 16 Executives, 08 Project Officers and 06 regular Workmen and 16 on-contract workmen. The recruitment for positioning required additional manpower is being progressed in a phased manner to ensure optimum manning in the Company.



Particulars of Employees and Related Disclosures

17. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof. Hence, details of remuneration of directors need not be included in the Board's report.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

18. The Company has adopted automatic power factor control mechanism for efficient energy conservation and will be

setting up 30KWP solar power plant as alternative source of energy on top of Service Block inside the Yard. Every possible automation methodology has been adopted for better functioning. Particulars as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 relating to Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are placed at Annexure I.

Risk Management

19. HCSL has adopted a comprehensive Risk Management Policy at the 23rd meeting of the Board of Directors held on August 04, 2022. The Company's risk management policy aims to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.
20. As per the policy, HCSL Board at the helm will review the risk management system in HCSL. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at

periodical intervals. The top management executives of HCSL including the CEO and CFO have been entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, the Company has functional Risk Management Committees and Risk Management Steering Committee to implement the policy in HCSL. The Risk Management Committees and the Board of Directors periodically review the risk management process and policy. The Yard's product mix comprising of defense and commercial shipbuilding and ship repair gives the Company a natural hedge against market risk.

Health, Safety & Environment (HSE)

21. Since inception, the Company has reported one accident resulting in injury to a worker. All precautionary measures are adopted to avoid any repetition of such accident and the same was informed to concerned authorities. Even with full utilization of the facility there is no report of loss of work due to any accident. The Yard obtained the IMS Certification by IRS and is adhering to all stipulated SOP. The Company has also appointed a Safety Officer for ensuring the safety of the work force.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

22. As on March 31, 2023, the Company has 6 directors, all of whom are Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO) and the Company Secretary (CS), the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Director
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Director
5.	Smt. Anjana K R	09545253	Director
6.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Director
7.	Shri Shekhar Chakravarty	N.A.	Chief Executive Officer
8.	Shri Saibal Chattopadhyay	N.A.	Chief Financial Officer
9.	Shri Kiran Kappattil Augustine	N.A.	Company Secretary

23. Shri Chandra Mani Rout ceased to be Director with effect from May 29, 2023 consequent to completion of his tenure of appointment approved by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
24. There were no changes in Directors or Key Managerial Personnel of the Company during the financial year 2022-23.

Details of Board Meetings held during 2022-23

25. Five Board Meetings were held during the financial year 2022-23 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors Present
1.	May 03, 2022	6	6
2.	August 04, 2022	6	6
3.	November 03, 2022	6	6
4.	January 30, 2023	6	6
5.	March 30, 2023	6	6

26. The attendance record of each Director in the Board Meetings held during the financial year 2022-23 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings Attended
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	5/5
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	5/5
3.	Shri Jose V J	08444440	5/5
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	5/5
5.	Smt. Anjana K R	09545253	5/5
6.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	5/5

Committees of the Board

27. The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory Committees of the Board have been constituted during the financial year 2022-23. However, the Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee for offer, allotment, transfer of securities and other allied matters. The Composition of the Committee and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2022-23 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings Attended
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman	2/2
2.	Shri Jose V J	08444440	Member	2/2

28. Two meetings of the Committee were held during the financial year 2022-23 on July 18, 2022 and March 16, 2023 respectively. All the members were present at the said meetings.

Evaluation of Board's Performance

29. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. The Ministry of Corporate Affairs vide notification GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies

from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the Directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

30. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors Responsibility Statement

31. Your Directors state that:
- in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2023, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
 - the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year 2022-23 and of the profit and loss of the Company for that period;
 - the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
 - the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

32. The particulars of contracts/ arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act, 2013 is placed at Annexure II in Form AOC-2 as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014. Except as stated therein, no related party transactions have been entered into by the Company during the financial year 2022-23, which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 37 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

33. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company, which was not fully operational till first quarter of the financial year 2022-23, had been exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. The Guidelines have been made applicable during the second quarter of FY 2022-23 consequent to the inauguration of the facility by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways on August 16, 2022. Accordingly, the Compliance Report on Corporate Governance is applicable to the Company only from 2nd Quarter of FY 2022-23 onwards and the same have been submitted with the Ministry. The report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

34. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

35. The Company follows robust policies and procedures closely in line with that of the holding company, CSL, to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

36. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

37. M/s. RADS & Co (Firm Registration No.320298E), (CA1369), Chartered Accountants, Kolkata, were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.

Auditors Report

38. M/s. RADS & Co, Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023, on April 28, 2023, which forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Supplementary Audit

39. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Office of The Director General of Audit (Mines), 1, Council House Street, Kolkata – 700 001. C&AG have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2023.

Comments of C&AG

40. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

41. M/s. SVJS & Associates Firm Unique Code No. P2008KE01790, Practicing Company Secretaries, Kochi, were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2022-23.

Secretarial Auditors Report

42. M/s. SVJS & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on July 04, 2023, which is placed at Annexure III to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

43. The Board has appointed M/s. SPAN & Associates (Firm Registration No.302192E), Chartered Accountants, Kolkata, to conduct Internal Audit for the financial year 2022-23.

Maintenance of Cost Records

44. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Vigilance

45. There was one vigilance case pending for disposal during the financial year 2022-23.

Right to Information Act, 2005

46. During the year under review, one request was received by the Company under the Right to Information (RTI) Act, 2005. The said request was closed within a period of 30 days from the date of receipt of same.

Vigil Mechanism

47. The Company is not falling under the provisions of Section 177(9) of the Companies Act, 2013 and the rules thereof, which mandates establishment of a Vigil Mechanism. However, the Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company is applicable on the Company and acts as the Vigil Mechanism of HCSL. The said policy is available at the Company's website at www.hooghlycsl.com.

Annual Return

48. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.hooghlycsl.com

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

49. Hooghly Cochin Shipyard is strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. Reservation percentage is being ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Corporate Social Responsibility (CSR)

50. The Company commenced its operations recently and is not in a position to undertake CSR activities. Further, the

Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Details of Subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies

51. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

52. Nil.

Material changes and commitments

53. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

54. During the year under Report, the Company has not:
- given any loan to any person or other body corporate;
 - given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
 - acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

55. The Company is in the nascent stages of its business operations and is focusing on putting in place the required resources for the smooth running of its operations.

Deposits

56. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

57. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

58. During the financial year 2022-23, no cases have been filed / disposed off under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.
59. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Acknowledgement

60. The Board of Directors is extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW), Cochin Shipyard Limited (CSL), Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and all officers of the MoPSW, CSL and Syama Prasad Mookerjee Port. The Board would also like to express its grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of West Bengal, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers, Sub-contractors and Bankers. The Board would also like to appreciate the hard work, dedication and commitment of all the employees, which is vital for the growth of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman

DIN: 07376798

Howrah
July 21, 2023

Annexure I

A. Conservation of Energy

	Steps Taken
(i) Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2022-23.	APFC Panels are energized and getting rebate from CESC Dept. Energy monitoring system is active.
(ii) Steps taken for utilizing alternate sources of energy.	Nil. However, the Company shall be initiating necessary steps to utilize alternate sources of energy.
(iii) Capital investment on energy conservation equipments.	An amount of approximately ₹ 100 lakhs have been invested for conservation of energy.

B. Technology Absorption

(i) Efforts made towards technology absorption	Automation Methodology
(ii) Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	Energy Monitoring System (EMS) is being utilized for effectively monitoring the energy consumption. Installation of state of the art facility has improved the production rate and quality to a large extent compared to other shipyards in the locality.
(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)	
(a) The details of technology imported	Nil
(b) The year of import	N.A.
(c) Whether the technology been fully absorbed	N.A.
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	N.A.
(iv) Expenditure incurred on Research and Development	Nil

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

	(₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22
Earnings in Foreign Exchange		
From Shipbuilding	0	0
From Ship repair	0	0
Total	0	0
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	115.90	0
Design & Documentation	0	0
Service Charge & Others	0	0
Total	115.90	0

For and on behalf of the Board of Directors

Howrah
July 21, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure II

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/agreements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Cochin Shipyard Limited (CSL) Holding Company
(b)	Nature of contracts/arrangements/ transactions	Implementation of ERP system of CSL 'SAP S/4HANA' at HCSL with the entire SAP implementation cost and licenses charges for the financial
(c)	Duration of the contracts/arrangements/ transactions	year 2022-23 only, aggregating to ₹ 33.74 lakhs, borne by CSL on behalf of HCSL.
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	
(e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	The arrangement is for the initial year only in view of the fact that HCSL is in a nascent stage of its operations and the cash outgo would negatively impact the Company's financial position. At the same time the implementation of SAP ERP System would benefit the CSL group as a whole considering the features offered by the System. Further, HCSL being a wholly owned subsidiary of CSL, the financials are to be given to CSL for consolidation on a quarterly/half yearly/yearly basis; and a uniform system would facilitate easy and convenient consolidation.
(f)	Date(s) of approval by the Board	April 28, 2023
(g)	Amount paid as advances, if any	Nil
(h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b)	Nature of contracts/arrangements/ transactions	Nil
(c)	Duration of the contracts/arrangements/ transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
(f)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Howrah
July 21, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure III

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah - 711109, West Bengal

We, SVJS & Associates, Company Secretaries, have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U35900WB2017GOI223197]** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;
- (ii) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company.

1. The Electricity Act, 2003 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
2. The Industrial Employment Standing Orders Act and the Rules;
3. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
4. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
5. The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
6. The Factories Act, 1948 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
7. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
8. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards relating to Meetings of the Board of Directors (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

In respect of other laws specifically applicable to the Company we have relied on information / records produced by the Company during the course of our audit and the reporting is limited to that extent.

We report that

The Board of directors of the Company is duly constituted. All the directors of the Company are Non-executive Directors. There was no change in the composition of the Board of Directors during the period under review.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and at shorter notice in certain case in accordance with the provisions of the Act and Secretarial Standards, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions of the Board were unanimous and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that to the extent of our verification, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that

1. The Board of Directors at its meeting held on 30th January, 2023 had passed resolution to offer, issue and allot Equity Shares for an amount of Rs. 46,00,00,000/- (Rupees Forty Six Crores only) by way of Rights Issue.
2. The Company had allotted 4,60,00,000 (Four Crore Sixty Lakhs) Equity Shares at Rs. 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 46,00,00,000/- (Rupees Forty Six Crores only) by way of Rights Issue on 16th March, 2023.

We further report that during the audit period there were no instances of:

- (i) Public / Preferential issue of shares / debentures / sweat equity
- (ii) Redemption / buy-back of securities
- (iii) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.
- (iv) Foreign technical collaborations

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'Annexure A' and forms an integral part of this report.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Jayan K.
Partner
FCS. 8154
CP. No. 7363

Peer Review Certificate No. 648/2019
Kochi
July 04, 2023
UDIN: F008154E000545130

'Annexure A'

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah - 711109, West Bengal

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of the Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to express an opinion on these records, based on our audit.
2. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our report.
3. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards etc. is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of the procedures and compliances on test basis.
6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2023 but before issue of the Report.
7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal / professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Jayan K.
Partner
FCS. 8154
CP. No. 7363

Peer Review Certificate No. 648/2019
Kochi
July 04, 2023
UDIN: F008154E000545130

For and on behalf of the Board of Directors

Howrah
July 21, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman
DIN: 07376798

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "Hooghly Cochin Shipyard", "HCSL", "Group" are with respect to Hooghly Cochin Shipyard Limited and its holding company.

Global Shipbuilding Industry

3. As the population worldwide is increasing especially in the emerging markets, the demand for efficient maritime transport with cost efficiency plays a major role in the growth and sustainable development. Ships also help to ensure the benefits to commerce and trade and are evenly spread across the globe. Factors such as increase in sea born trade, growth in the economy and trade are evenly spread across the globe.
4. Factors such as increase in sea-borne trade and growth in the economy and rise in energy consumption are responsible for the surge in the demand for eco-friendly ships. The Federation of Indian Export Organisations (FIEO) and the shipbuilding industry have sought concessions from the government, arguing that India needs to build its shipping industry due to growing risks of expanding trade with sanctions-hit Russia. Indian exporters are worried over rising shipping tariffs on routes to Russia and neighbouring countries, rising up to 60% after Ukraine war while tariffs on other routes are on decline.

Indian Shipbuilding Industry

5. India has been a major maritime power by controlling the key routes through Indian Ocean which facilitates half of the global maritime trade. With the onset of COVID-19 pandemic, there was a dip in the demand for ship building which has over the years grownup steadily meeting to all pending demands of shipbuilding.
6. As per the Maritime India Vision-2030 published by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the global downturn in the shipbuilding industry significantly impacted the Indian shipyards and India's share in the Global markets has declined to less than 1%. In order to alleviate this situation, the Government of India has approved the Financial Assistance Policy for grant of financial assistance

to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed during April 01, 2016 to March 31, 2026. The above policy caters for domestic orders and export orders, in accordance with the guidelines issued in this respect.

7. Further, in order to augment the Indian tonnage in the shipping industry, this Ministry has implemented a new scheme for promotion of flagging of merchant ships in India by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by Ministries/ Department/ CPSEs. In order to achieve the objective of Atmanirbhar Bharat, the Government of India has approved the said scheme during financial year 2021-22 to provide Rs. 1,624 Crores over a period of five years. As the outcome of the scheme, Indian shipping companies will become internationally competitive. As the cost of labour rises in Europe and Korea, India has slowly and steadily built its capacity on this front and expanded its foot print in the global shipping Industry.
8. Taking all these factors into consideration, HCSL foresees a good opportunity in the emerging inland waterways and coastal shipping sector in India. It is therefore endeavoring to exploit the state of the art infrastructure, at Nazirgunge to cater to the needs of the inland waterways segment.

Government of India (GOI) Initiatives in Inland Waterways

9. The Maritime India Vision 2030 has taken lot of initiatives to boost the Indian maritime sector. To promote Indian Shipping and Port Industries, the government has introduced various fiscal and non-fiscal initiatives for enterprises that develop, maintain and operate ports, inland waterways and shipbuilding in India. Emphasis is being given to green shipping along the coastal and inland waterways to reduce carbon footprints.
10. This initiative by Government of India has encouraged HCSL specifically to focus on improvised electrical and Hybrid designs for inland water vessels such as Ro-Ro & Ro-Pax Vessels

Ship Repair Industry

11. Ship repair is generally considered as an evergreen industry, both globally as well as domestically. Ship being a floating structure requires regular inspection and maintenance of equipment and machinery for smooth and safe functioning during the ocean voyages and also during cargo handling

operations at Ports. Ships are also generally governed by scheduled periodic repairs for which the Classification Society and other statutory bodies have formulated guidelines for periodic survey such as; special hull and machinery surveys every five years, dry-docking at two and half years and hull and machinery annual survey every year. Hence, ship repair yards generally have continuous and consistent flow of business which makes ship repair revenue generation more predictable as opposed to shipbuilding or shipping, which is often prone to pulls and pressures of market forces and cyclic change.

Operations

12. During the reporting period, HCSL secured an order for design and construction of a 2200 T DWT Multi-Purpose Vessel for a private Shipping company in Kolkata, M/s. JAK Maritime & Logistics India Private Limited. The construction of the vessel has commenced and is in full swing. The vessel is designed to RSV 4 specifications and Classed by IRS. Also, during the said period, HCSL has received an order for design, procurement, fabrication, installation and testing of Box Caisson gate for CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) of CSL. Further, HCSL being focused in inland waterways segment has entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam, Guwahati. The work has been awarded to L1 vendor L&T Geostucture Private Limited on March 31, 2023 and preliminary land works has been commenced at the site. As an upcoming shipbuilding and ship repair yard, HCSL has tapped the ship repair market by undertaking major repairs of one vessel of IWAI during 2022-23 and delivering them to the best of satisfaction to the customer.
13. All project work pertaining to "New Yard construction of HCSL" is completed and the yard has commenced production. The Company being yet to commence its operations has reported a loss of ₹ 2,033.59 Lakhs during the financial year 2022-23 (₹ 283.61 Lakhs PY). The Facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the east coast of India for inland and coastal vessels.

Proposed Dividend

14. No dividend is recommended due to non-availability of divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

15. The Company is primarily engaged in shipbuilding and also undertakes repairs of ships and other floating structures. The segment wise performance of the Company is given below:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Segment Revenue		
Shipbuilding	969.34	-
Ship Repair	156.37	41.78
Total	1125.71	41.78
Add: Others	576.35	-
Total revenue from operations	1702.06	41.78
Segment Results		
Shipbuilding	35.86	-
Ship Repair	37.70	24.70
Total	73.56	24.70
Less: Unallocated expenses net of income	963.83	350.35
Less: Finance costs	889.98	56.82
Profit/(Loss) before exceptional items and tax	(1780.25)	(382.47)
Less: Exceptional Items – (Income) / Expense	-	-
Profit/(Loss) Before Tax	(1780.25)	(382.47)
Provision for tax	-	-
Provision for deferred tax	253.34	(98.86)
Profit/Loss After tax	(2033.59)	(283.61)
Segment Assets		
Shipbuilding	13389.54	11634.88
Ship Repair	26.15	-
Total	13415.69	11634.88
Add: Unallocated corporate assets	12692.82	10238.16
Total Assets	26108.51	21873.04
Segment Liabilities		
Shipbuilding	267.28	-
Ship Repair	17.08	-
Total	284.36	-
Add: Unallocated corporate liabilities	19276.15	17891.37
Total Liabilities	19560.51	17891.37
Capital expenditure	-	-
Depreciation and amortisation expense	-	-
Non-cash expenses other than depreciation and amortisation expense	-	-

SWOT

16. The organization has determined external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction and that affect its ability to achieve the intended result(s) of its integrated management system. To achieve intended outcome, HCSL has analysed its Strength, Weakness, Opportunity and Threats (SWOT) with respect to integrated management system.

Strength

- Strong commitment of management;
- Long experience in ship building of parent organisation;
- Use of modern technology;

	- Disposal of waste as per norm;
	- No complaint from locality;
	- Have a well qualified team for production;
	- High capacity equipment; and
	- A strong focus on health and safety.
Weakness	
	- New establishment with people from different background;
	- Uncertain inflow of orders; and
	- Pending payments;
Opportunity	
	- Atmanirbhar Bharat initiatives of the Government of India towards creating domestic demand for vessels; and
	- New product development with good design facilities.
Threat	
	- Stiff competition from large players in the market;
	- Rising cost of labour;
	- Natural disasters; and
	- Long order realization process.

Risks and concerns

17. The risk associated with the Company, emerge from the inherent nature of the shipbuilding industry, and is commensurate to the cyclical nature of the industries it serves such as, the oil, natural gas, shipping, transportation and other trade-related industries. Building an order book is critical for the Company's growth and survival in an order-driven business like shipbuilding, where each vessel is custom-built. The availability of orders, its prompt bagging and timely execution is one of the major challenges in the shipbuilding industry. The Company relies on its suppliers for the timely delivery of raw materials such as steel, as well as other equipment and components such as pumps, propellers, engines etc. Shortages/ delay in the supply of raw materials may adversely affect the Company's business, financial condition and results of operations. The Company is also exposed to various operational risks viz., the breakdown, failure or sub-standard performance of machinery, which may or may not result in fire/ explosions etc. Any material operational disruptions may adversely affect the Company's ability to meet construction schedules and cause delays in the delivery of vessels to customers.

Internal Control

18. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the

Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

19. As on March 31, 2023, the Company has 46 employees consisting of 16 executives, 08 Project Officers and 06 regular Workmen and 16 on-contract workmen. The recruitment for positioning required additional manpower is being progressed in a phased manner to ensure optimum manning in the Company. During the reporting period the Company maintained cordial industrial relations.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

20. The Company has adopted Automatic Power factor control mechanism for efficient energy conservation and will be setting up 30KWP solar power plant as alternative source of energy on top of Service Block inside the yard. Every possible Automation methodology has been adopted for better functioning. The details of expenses incurred by the Company in foreign currency during the year 2022-23 forms part of Directors Report.

Corporate Social Responsibility

21. The Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR. However, in due course, efforts will be ensured towards the Corporate Social Responsibility aspects of the organisation.

Cautionary statement

22. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that

could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman

DIN: 07376798

Howrah

July 21, 2023

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL/Company") believes that good Corporate Governance facilitates effective and prudent management that can deliver the long-term success of the Company. Considering this, HCSL strives for good governance practices through transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the Company has prepared the report on Corporate Governance in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by DPE.

Board of Directors

2. The Company was formed as a Joint Venture between Cochin Shipyard Limited (CSL) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and as per the Joint Venture agreements, the Board shall comprise of not more than 11 persons. HDPEL shall have the right to nominate such number of Directors as is proportionate to its shareholding in the Company subject to a minimum of two so long as the shareholding of HDPEL is maintained at a minimum of 10%

in the Company. CSL shall have the right to nominate the remaining Directors subject to a minimum of 3 Directors, who shall be nominated for appointment on behalf of CSL by the Chairman and Managing Director of CSL.

3. However, as part of the 'Proposal for Liquidation & Restructuring of and providing improved Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)', the Union Cabinet on October 03, 2019 accorded its approval for outright purchase by CSL of the Company's shares held by HDPEL at book value. Pursuant to the said approval, the 57,20,000 HCSL shares held by HDPEL was transferred to CSL on November 01, 2019 and with effect from the said date, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL. In view of the above and as per the existing Articles of Association of the Company and the approval of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on the Reconstitution of Governance Structure of Subsidiaries of CSL, the Chairman and Managing Director of CSL is authorized to nominate amongst the Whole-time Directors and officers of CSL not below the rank of General Manager, for appointment on the Board of HCSL.
4. As on March 31, 2023, the Board of the Company consists of six Non-Executive Directors. The Company has a Non-Executive Chairman. The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2023 is as follows:-

Sl. No.	Name of the Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Non-Executive Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
3.	Shri Jose V J*	08444440	Non-Executive Director
4.	Shri Sreejith K Narayanan**	09543968	Non-Executive Director
5.	Smt. Anjana K R**	09545253	Non-Executive Director
6.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director

* Shri Jose V J (DIN: 08444440), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the fifth Annual General Meeting held on September 19, 2022.

** Shri Chandra Mani Rout ceased to be Director with effect from May 29, 2023 consequent to completion of his tenure of appointment approved by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

5. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
6. The profile of the Directors who were on the Board of the Company as on date of this report, including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors of HCSL as on March 31, 2023, are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

7. Five Board Meetings and an Extraordinary General Meeting (EGM) were held during the year under review. The gap between any two Board meetings has been less than one hundred and twenty days. The 05th Annual General Meeting (AGM) of HCSL was held on September 19, 2022. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings, EGM and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting					EGM	AGM
	2022			2023		Feb 08, 2023	Sep 19, 2022
	May 03	Aug 04	Nov 03	Jan 30	Mar 30		
Shri Madhu Sankunny Nair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jose V J	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Shri Sreejith K Narayanan	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Smt. Anjana K R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Chandra Mani Rout	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

* Attended through audio visual means.

Directorships and Committee positions

8. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/Chairmanship on Committees including Hooghly Cochin Shipyard Limited, as on March 31, 2023 are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu Sankunny Nair	3	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	3	-	1
Shri Jose V J	-	3	-	1
Shri Sreejith K Narayanan	-	3	-	-
Smt. Anjana K R	-	1	-	-
Shri Chandra Mani Rout	-	2	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory Committees of the Board have been

constituted during the financial year 2022-23. However, the Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on the date of this report and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2022-23 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings attended
1.	Shri Madhu Sankunni Nair	07376798	Chairman	2
2.	Shri Jose V J	08444440	Member	2

9. Two meetings of the Committee were held during the financial year 2022-23 on July 18, 2022 and March 16, 2023 respectively. All the members were present at the said meetings.

General Body Meetings

10. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) were as follows:

Financial Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2021-22	September 19, 2022 at 11.00 hrs.	Through Electronic Mode	No
2020-21	September 15, 2021 at 11.00 hrs.	Through Electronic Mode	No
2019-20	August 04, 2020 at 11.00 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015	No

11. Further, the Company has also conducted an Extra Ordinary General Meeting (EGM) during the financial year 2022-23, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
February 08, 2023	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015	No

12. The sixth AGM of the Company is scheduled to be held on September 19, 2023 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015.

Code of Conduct

13. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board Members and Senior Management of the Company as required under the DPE Guidelines on Corporate Governance. All Board Members and Senior Management Personnel have confirmed compliance with the Code for the financial year ended March 31, 2023. A declaration signed by the Chief Executive Officer of the Company in this regard is given below:

Pursuant to the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, it is hereby declared that all the Board Members and Senior Management Personnel of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) have affirmed compliance with the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management for the financial year ended March 31, 2023.

(Sd/-)

Shekhar Chakravarty
Chief Executive Officer

Remuneration to Directors

14. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Chief General Managers/ General Managers of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, who are appointed as Non-Executive Directors on ex-officio basis and an officer of the Government of India appointed as approved by the administrative Ministry. Accordingly, no remuneration including performance linked incentives are payable to the Directors. Further, there has been no pecuniary relationship or transactions between the Directors and the Company during the reporting period.

Other Disclosures

(i) Related Party Transactions

15. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large. However, the particulars of contracts/ arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act, 2013 is placed at Annexure II to the Directors Report. Further, related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24 is set out at Note 37 to the financial statements of the Company.

(ii) Non-compliance by the Company

16. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

(iii) Whistle Blower Policy

17. The Company has an effective Whistle Blower Policy which provides the framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy adopted by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, is applicable on the Company and acts as the Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism of Hooghly Cochin Shipyard Limited. The said Policy has been hosted on the website of CSL and can be accessed at www.hooghlycsl.com. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee of CSL.

(iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

18. The Company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. A Certificate in this regard obtained from a Practicing Company Secretary is placed at Annexure I.

(v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

19. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

(vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top management.

NIL

(viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2022-23 were 9.97% (47.88% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 25.13% (13.29% PY) of the total expenses in the year 2022-23.

(ix) Means of communication of results

20. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/half yearly/annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/half yearly/annual) of CSL which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The annual reports and the official news releases of the Company are placed at the Company's website at www.hooghlycsl.com. Further, the Annual Reports of the Company are also hosted on the website of CSL viz., www.cochinshipyard.in.

(x) Audit Qualifications

21. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. RADS & Co., with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2022-23 does not contain any adverse remark.

(xi) Training of Board Members

22. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Chief General Managers/ General Managers of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company and Govt. of India official and also have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL imparts training to the Directors/ Chief General Managers/ General Managers, wherever considered necessary.

Address for Correspondence:

Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
Tel: +91 (33) 26888282
Email: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

Howrah
July 21, 2023

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman
DIN: 07376798

Annexure I

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

(As stipulated in the guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises, Government of India)

To the Members of

Hooghly Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Hooghly Cochin Shipyard Limited (the Company) for the financial year ended 31.03.2023, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the above-mentioned guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For SVJS & Associates

Company Secretaries

Jayan K

Partner

FCS. 8154

CP. No. 7363

The Peer Review Certificate no.648/2019

Kochi

July 04, 2023

UDIN: F008154E000545141

FINANCIAL STATEMENTS

Independent Auditor's Report

To
The Members of
Hooghly Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of HOOGLY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the "Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 as amended (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, the loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibilities for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order
2. Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give report in "Annexure B" on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act.
3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, in electronic mode on servers physically located in India so far as it appears from our examination of those books
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.
 - e) As per notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from the provisions of section 164(2) of the Act, accordingly, we are not required to report whether any of the directors of the Company is disqualified in terms of provisions contained in the said section.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended: In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
 - h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
 - ii. The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with

the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

- c) Based on such audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.

- v. The company has not declared any dividend during the year.

For RADS & Co.
Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
Membership Number: 067872
UDIN: 23067872BGYZUV7950

Place: Kolkata
Date: 28th April, 2023

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

To

The Members of

Hooghly Cochin Shipyard Limited

- (i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangibles assets.
- (b) According to the information and explanations provided to us, Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies were identified on such verification.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the records examined by us, we report that, the company does not have any freehold immovable properties of land and buildings as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as fixed assets in the standalone financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.
- (d) According to the information and explanations provided to us, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of use assets) or intangible assets during the year.
- (e) According to the information and explanations provided to us, there are no proceedings initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and rules made thereunder.
- (ii) (a) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year. In our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed as compared to book records.
- (b) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crores during the year, in aggregate from banks on the basis of security of current assets and the unaudited monthly returns/statements filed by the company with such bank are in agreement with the unaudited books of account of the Company.
- (iii) (a) According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not provided advances in the nature of loans, or provided security or stood guarantee to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
- (b) According to the information and explanations provided to us, the terms and conditions of the grant of loans are not prejudicial to the Company's interest. Also, during the year the Company has not made investments, provided guarantees, provided security and granted advances in the nature of loans to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the Company has not granted any loan to entities covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
- (d) According to the information and explanations provided to us, there are no amounts of loans and advances in the nature of loans granted to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties which are overdue for more than ninety days.
- (e) According to the information and explanations provided to us, there were no loans or advance in the nature of loan granted to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties which was fallen due during the year, that have been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties.

- (f) According to the information and explanations provided to us, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans, either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report on clause 3(iii)(f) of the Order is not applicable to the Company.
- (iv) According to the information and explanations provided to us, there are no loans granted, investments made, guarantees and securities given by the Company to which provisions of sections 185 and 186 of the Act are applicable and accordingly, the requirement to report on clause 3(iv) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (v) The Company has neither accepted any deposits from the public nor accepted any amounts which are deemed to be deposits within the meaning of sections 73 to 76 of the Companies Act and the rules made thereunder, to the extent applicable. Accordingly, the requirement to report on clause 3(v) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (vi) To the best of our knowledge and as explained, the Central Government has not specified the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013, for the products of the Company.
- (vii) (a) Undisputed statutory dues including goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, duty of custom, cess and other applicable statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us and based on audit procedures performed by us, no undisputed amounts payable in respect of applicable statutory dues were outstanding, at the year end, for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) There are no dues of goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales-tax, service tax, customs duty, excise duty, value added tax, cess, goods and service tax and other statutory dues which have not been deposited on account of any dispute.
- (viii) According to the information and explanations provided to us, the Company has not surrendered or disclosed an income in tax assessments during the year under the Income tax Act, 1961 any transaction, previously not recorded in the books of account. Accordingly, the requirement to report on clause 3(viii) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (ix) (a) According to the information and explanations provided to us, the Company has not defaulted in repayment of any dues to financial institutions, banks, governments, or debenture holders.
- (b) According to information and explanations provided to us, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the Company did not have any term loans outstanding during the year hence, the requirement to report on clause (ix)(c) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (d) According to the information and explanations provided to us and based on the overall examination of the financial statements, no funds raised by the Company on short-term basis have been used for long-term purposes.
- (e) On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiary. Hence, the requirement to report on clause (ix)(e) of the Order is not applicable to the Company.
- (f) The Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiary. Hence, the requirement to report on clause (ix)(f) of the Order is not applicable to the Company.
- (x) (a) The Company has not raised any money during the year by way of initial public offer / further public offer (including debt instruments) hence, the requirement to report on clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.
- (b) According to the information and explanations provided to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares /fully or partially or optionally convertible debentures during the year. Accordingly, the requirement to report on clause 3(x)(b) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (xi) (a) Based upon the audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements and according to the information and explanations provided to us, we report that no fraud by the Company or no material fraud on the Company by the officers and employees of the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) During the year, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by cost auditor or secretarial auditor or by us in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

- (c) As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.
- (xii) In our opinion, the Company is not a nidhi Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. Therefore, the requirements to report on clause 3(xii)(a) (b) and (c) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) (a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered the internal audit reports of the company issued till date, for the period under audit.
- (xv) According to the information and explanations provided to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors. Accordingly, requirement to report on clause 3(xv) of the Order is not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xvi) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) are not applicable to the Company. Accordingly, the requirement to report on clause (xvi)(a) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (b) According to the information and explanations provided to us, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities as per the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the Company is not a Core Investment Company as defined in the regulations made by Reserve Bank of India. Accordingly, the requirement to report on clause 3(xvi) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (d) Accordingly, to information and explanation provided to us, there are no Core Investment Companies in the Group as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions. Accordingly, the requirement to report on clause 3(xvi) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (xvii) The company has incurred a cash loss of Rs. 1056.61 Lakh during the year and a cash loss of Rs. 342.85 Lakh during the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, requirement to report on Clause 3(xviii) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (xix) In our opinion and according to the information and explanations provided to us and on the basis of the financial ratios disclosed in note 38 to the financial statements, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of our audit report that Company is not capable of meeting its liabilities as at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the date of balance sheet. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that the Company will not be able to meet all liabilities as and when they fall due within a period of one year from the date of balance sheet.
- (xx) (a) In respect of other than ongoing projects, there are no unspent amounts that are required to be transferred to a fund specified in Schedule VII of the Companies Act (the Act), in compliance with second proviso to sub section 5 of section 135 of the Act.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations provided to us, there are no unspent amounts in respect of ongoing projects, that are required to be transferred to a special account in accordance of provision of sub section (6) of section 135 of Companies Act. Accordingly, the requirement to report on clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

For RADS & Co.

Chartered Accountants

[FRN: 320298E]

DHIRAJ KUMAR AGARWAL

Partner

Place: Kolkata

Date: 28th April, 2023

Membership Number: 067872

UDIN: 23067872BGYZUV7950

Annexure 'B'

to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2023

Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give here below a report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act:

- a) The Company's accounting record are maintained in IT system. As such, there is no recording of transactions outside the system, and hence no financial implication in this respect.
- b) There has been no instance of restricting of existing loans or instances of waiver/write off of debts/loans/interest etc. during the year.
- c) The Company has not received any specific funds under any specific scheme and as such the question of utilisation does not arise.

For RADS & Co.

Chartered Accountants

[FRN: 320298E]

DHIRAJ KUMAR AGARWAL

Partner

Membership Number: 067872

UDIN: 23067872BGYZUV7950

Place: Kolkata

Date: 28th April, 2023

Annexure 'C'

to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the "Company") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material

misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based

on the internal financial control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For RADS & Co.

Chartered Accountants

[FRN: 320298E]

DHIRAJ KUMAR AGARWAL

Partner

Place: Kolkata

Date: 28th April, 2023

Membership Number: 067872

UDIN: 23067872BGYZUV7950

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 April 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor-General of India

Kolkata
June 23, 2023

(Atul Prakash)
Principal Director of Audit (Mines), Kolkata

Balance Sheet

as at 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars		As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	2	15,586.17	14,537.12
(b) Right of Use Assets	3	569.14	579.12
(c) Intangible assets	4	540.57	550.06
(d) Capital work-in-progress	5	608.88	1,386.80
(e) Financial Assets:			
(i) Other financial assets	6	0.40	0.36
(f) Deferred tax assets (net)	7	-	253.34
(g) Income tax assets (net)	8	39.55	22.60
(h) Other non-current assets	9	62.94	44.81
		17,407.65	17,374.21
(2) Current assets			
(a) Inventories	10	163.96	-
(b) Financial assets			
(i) Trade Receivables	11	755.41	49.96
(ii) Cash and cash equivalents	12	6,299.93	3,193.70
(iii) Bank balances other than Cash and cash equivalents	13	-	109.07
(iv) Other financial assets	14	3.81	3.82
(c) Other current assets	15	1,477.75	1,142.28
		8,700.86	4,498.83
Total Assets		26,108.51	21,873.04
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity:			
(a) Equity Share capital	16	9,600.00	5,000.00
(b) Other Equity	17	(3,052.00)	(1,018.33)
		6,548.00	3,981.67
Liabilities:			
(1) Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities:			
(i) Borrowings	18	13,100.00	13,100.00
(ii) Lease liabilities	19	635.05	621.08
(b) Provisions	20	17.27	9.09
		13,752.32	13,730.17
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Lease liabilities	21	44.15	43.08
(ii) Other financial liabilities	22	5545.06	2768.12
(b) Other current liabilities	23	35.20	32.90
(c) Provisions	24	183.78	1,317.10
		5,808.19	4,161.20
Total Equity and Liabilities		26,108.51	21,873.04
Notes forming part of the financial statements	1-41		

In terms of our report of even date

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

Kolkata
28th April, 2023

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

SHEKHAR CHAKRAVARTHY
Chief Executive Officer

Kochi
28th April, 2023

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Statement of Profit and Loss

for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars		Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
I Revenue from operations	25	1,702.06	41.78
II Other income	26	59.27	3.38
III Total Income (I+II)		1,761.33	45.16
IV Expenses:			
Cost of materials consumed	27	611.63	-
Sub contract and other direct expenses	28	307.74	17.08
Employee benefit expenses	29	403.57	66.90
Finance costs	30	889.98	56.82
Foreign exchange loss (net)		4.07	-
Depreciation & Amortisation expenses	31	723.64	39.62
Other expenses	32	600.95	247.21
Total expenses (IV)		3,541.58	427.63
V Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV)		(1,780.25)	(382.47)
VI Exceptional Items		-	-
VII Profit/(Loss) before tax (V+VI)		(1,780.25)	(382.47)
VIII Tax expense:			
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax	7	253.34	(98.86)
IX Profit/(Loss) for the year (VII-VIII)		(2,033.59)	(283.61)
X Other comprehensive income/(loss)			
i. Items that will be reclassified subsequently to profit or loss			
Remeasurement losses on defined benefit obligations (net)		(0.08)	-
Other comprehensive income/(loss) for the year (X)		(0.08)	-
XI Total Comprehensive Income/(loss) for the year (IX+X)		(2,033.67)	(283.61)
XII Earnings per equity share (Face Value ₹ 10 each):			
(1) Basic (₹)	33	(3.91)	(0.57)
(2) Diluted (₹)	33	(3.91)	(0.57)

The accompanying notes 1-41 are an integral part of these Financial Statements.

In terms of our report of even date

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

Kolkata
28th April, 2023

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

SHEKHAR CHAKRAVARTHY
Chief Executive Officer

Kochi
28th April, 2023

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Statement of Cash Flows

for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
A. Cash flows from operating activities:		
Profit before tax	(1,780.25)	(382.47)
Adjustments for:-		
Depreciation and amortisation	723.64	39.62
Finance cost	889.98	56.82
Interest income	(52.56)	(0.90)
Unwinding of security deposit	(0.03)	(0.03)
Amortisation of advance lease rent	0.66	0.66
Operating Profit before changes in non-current/current assets and liabilities	(218.56)	(286.30)
Adjustments for:		
(Increase) / Decrease in trade receivable and other current assets	(1,040.91)	(418.28)
(Increase) / Decrease in Inventories	(163.96)	-
(Increase) / Decrease in other non-current assets	(18.79)	2.18
Increase / (Decrease) in current liabilities	2443.21	1,659.71
Increase / (Decrease) in provisions	(1,125.22)	(1,197.11)
Cash generated from/(used in) operations	124.23	(239.80)
Income Tax Paid	(16.95)	28.46
Net cash from/(used in) operating activities (A)	(141.18)	(211.34)
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of Property Plant and Equipment	(182.53)	(31.59)
Investment in CWIP	(792.76)	(2,956.62)
Interest received	52.57	3.17
Net (Investment in) / Redemption of Term Deposits	109.07	(3.46)
Net cash from/(used in) investing activities (B)	(813.65)	(2,988.50)
C. Cash flows from financing activities		
Payment of lease liabilities	(43.08)	(42.03)
Proceeds from issue of shares	4,600.00	-
Proceeds from issue of Debentures	-	3,100.00
Proceeds from availment of short term loan	650.00	-
Repayment of Short term loan	(650.00)	-
Interest paid	(495.86)	(286.00)
Net cash from/(used in) financing activities (C)	4,061.06	2,771.97
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	3106.23	(427.87)
Opening cash and cash equivalents	3,193.70	3,621.57
Closing cash and cash equivalents (refer note 12)	6,299.93	3,193.70
Notes forming part of the financial statements		1-41

In terms of our report of even date

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

Kolkata
28th April, 2023

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

SHEKHAR CHAKRAVARTHY
Chief Executive Officer

Kochi
28th April, 2023

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Statement of Changes in Equity

for the year ended 31st March, 2023

A. Equity Share Capital

(₹ in Lakhs)

Balance as at 1st April, 2022	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at 31st March, 2023
5,000.00	-	-	4,600.00	9,600.00

(₹ in Lakhs)

Balance as at 1st April, 2021	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes during the year	Balance as at 31st March, 2022
5,000.00	-	-	-	5,000.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2022	(1,018.33)	(1,018.33)
Changes in accounting policy/prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	(1,018.33)	(1,018.33)
Total Comprehensive Income for the year	(2,033.67)	(2,033.67)
Dividends	-	-
Transfer to retained earnings	-	-
Balance as at 31st March, 2023	(3,052.00)	(3,052.00)

(₹ in Lakhs)

	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2021	(734.72)	(734.72)
Changes in accounting policy/prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	(734.72)	(734.72)
Total Comprehensive Income for the year	(283.61)	(283.61)
Dividends	-	-
Transfer to retained earnings	-	-
Balance as at 31st March, 2022	(1,018.33)	(1,018.33)

C. Notes forming part of the financial statements

Notes 1-41

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

SHEKHAR CHAKRAVARTHY
Chief Executive Officer

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

Kolkata
28th April, 2023

Kochi
28th April, 2023

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

1.1 Corporate information

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), a company engaged in manufacturing and repair of commercial ships, barges and tugs for domestic and international clients has been incorporated on 23rd October, 2017.

The Registered Office of the Company is situated at Administrative Building, HCSL Premises, Satyen Bose Road, Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge, Howrah - 711 109. The company is working in a leased premises, the lessor being Govt. of India with a land area of 25.37 Acres being held at two locations-15.76 Acres at Nazirgunge and 9.91 Acres at Salkia. At present, only the Nazirgunge facility has undergone the major facility restructuring and the yard has commenced its commercial operation from August 2022.

The financial statements for the year ended March 31, 2023 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on April 28, 2023.

1.2 Basis of preparation and presentation of Financial Statements

1.2.1 Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

1.2.2 Statement of Ind AS compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement

of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

1.2.3 Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments, PPE and RoU Assets which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company's normal operating cycle;
- ii. the asset is intended for sale or consumption;
- iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;
- iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

- vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

- (i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.
- (ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

1.2. 4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and the future periods if the revision affects both current and future periods.

1.2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the

actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

1.3 Significant Accounting Policies

1.3.1 Property, Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

1.3.2 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

1.3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

1.3.4 Leases

As a Lessee:

The Company's leased asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Right of Use Assets

The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the ROU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and ROU assets is also suitably adjusted.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

1.3. 5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

Depreciation on each item of an standalone asset costing less than Rs 5000 is depreciated at 100% in the year of capitalization.

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and upto the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all category of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Electrical Installation/ Fittings	10 years
Vehicles	8- 10 years
Data Processing Equipments	3-6 years

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial statements at residual value.

Capital Work in Progress are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

1.3. 6 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

1.3. 7 Inventories

(a) Raw materials, components and stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value.

(b) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

(c) Work In Progress (WIP) and Finished goods, have been valued at lower of cost and net realisable value. Cost of Inventories comprises of all costs of purchase, cost of conversion, a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity and other costs incurred in bringing them to their respective present location and condition. Cost of steel plates, profiles, equipments and other raw materials and stores and spares at Weighted Average Method. Cost of Work-in-Progress and Finished Goods is determined on Absorption Costing Method.

1.3. 8 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

Financial assets at amortised cost;

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or a contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Company of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortised cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

Financial liabilities at amortised cost;

Financial Guarantee Contracts;

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Financial Liabilities at amortised cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortised cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

De-recognition of Financial Instruments

A **financial asset** is de-recognised when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A **financial liability** or a part of financial liability is de-recognised from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or

expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.3. 9 Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

1.3. 10 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

1.3. 11 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

1.3. 12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

Contingent Liabilities and Contingent assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the

financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

1.3. 13 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from Ship Building / Ship repair contracts with customers is measured based on the transaction price, which is fair value of the consideration received or receivable. Revenue is recognised on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation (i.e. resources consumed, labour hours expended, costs incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the standalone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Other Income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

iii) Accounting for insurance claims

(a) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(b) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

(iv) Interest Income

In case of fixed deposits, interest is accounted when it accrues to the Company by applying interest rate as applicable to each fixed deposit.

(v) Other items are recognized on accrual basis.

1.3. 14 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Provident fund: Contributions to provident fund (a defined contribution plan) are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the profit and loss account. The Company has no further obligations for future provident fund benefits other than its monthly contributions.

Post-employment benefit plans

Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

1.3. 15 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. Capitalization of borrowing costs is suspended when active development activity on the qualifying assets is interrupted other than on temporary basis and charged to the Statement of Profit and Loss during such extended periods. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

1.3. 16 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

1.3. 17 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

1.3. 18 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship repair.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

1.3. 19 Statement of cash flows

Statement of Cash Flows are reported prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and, any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

1.3.20 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements and also as per Guidance note on Ind AS III.

1.3. 21 Foreign currency transactions

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies (such as cash, receivables, payables etc.) at the end of reporting period are re-measured at the exchange rate prevailing on that date. Non-monetary items denominated in foreign currency, (such as PPE, intangible assets, equity investments, capital/ revenue advances other than expected to be settled in cash etc.) are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Any gains or losses/income or expense on account of exchange differences either at the time of translation or settlement are recognised in the statement of Profit and Loss.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 2 : Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

2.1 Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross Block					Depreciation			Net Block	
	As at 1 st April, 2022	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	For the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2023
	2022	period	period	period	2023	period	period	period	2023	2023
Buildings: Temporary Structure*	26.81	41.56	-	8,886.54	8,954.91	263.77	-	3.43	292.67	8,662.24
Office Buildings*	1,146.41	-	-	(1,146.41)	-	-	-	(0.24)	-	-
Factory Buildings*	7,740.13	-	-	(7,740.13)	-	-	-	(3.19)	-	-
Plant and Equipment	3,952.50	1,652.80	-	(0.28)	5,605.30	279.91	-	-	283.51	5,321.79
Furniture-Wooden	43.23	10.73	-	32.62	53.68	4.62	-	(0.11)	4.67	49.01
Furniture Steel	-	16.89	-	-	49.51	7.27	-	0.19	7.46	42.05
Electrical Fittings	-	0.25	-	-	0.25	0.01	-	-	0.01	0.24
Docks & Quays	-	12.43	-	-	12.43	0.41	-	-	0.41	12.02
Office equipments	33.72	0.19	-	(32.34)	1.57	0.30	-	(0.08)	0.51	1.06
Data Processing Equipments	18.63	4.54	-	-	23.17	3.22	-	-	12.68	10.49
Roads*	309.77	-	-	452.91	762.68	115.50	-	1.12	117.00	645.68
Fences	452.91	-	-	(452.91)	-	-	-	(1.12)	-	-
Electrical Installations- Office buildings	106.84	-	-	721.93	828.77	24.55	-	0.30	24.87	803.90
Electrical Installations- Factory buildings	721.93	-	-	(721.93)	-	-	-	(0.30)	-	-
Motor Vehicles	29.09	-	-	-	29.09	3.45	-	-	4.25	24.84
Total	14,581.97	1,739.39	-	-	16,321.36	703.01	-	-	748.04	15,573.32

(₹ in Lakhs)

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 2 : Property, Plant and Equipment and Intangible Assets (Contd..)

Particulars	Gross Block				Depreciation			Net Block		
	As at 1 st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2022	As at 1 st April, 2021	For the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2022
Buildings: Temporary Structure*	26.81	-	-	-	26.81	19.57	5.90	-	-	25.47
Office Buildings*	-	1,146.41	-	-	1,146.41	-	0.24	-	-	0.24
Factory Buildings*	-	7,740.13	-	-	7,740.13	-	3.19	-	-	3.19
Plant and Machinery	1.90	3,950.60	-	-	3,952.50	0.18	3.42	-	-	3.60
Furniture and Fixtures	0.28	42.95	-	-	43.23	0.08	0.08	-	-	0.16
Office Equipments	0.17	33.55	-	-	33.72	0.05	0.24	-	-	0.29
Data Processing Equipments	7.72	10.91	-	-	18.63	5.76	3.70	-	-	9.46
Roads*	-	309.77	-	-	309.77	-	0.38	-	-	0.38
Fences	-	452.91	-	-	452.91	-	1.12	-	-	1.12
Electrical Installations- Office buildings	-	106.84	-	-	106.84	-	0.02	-	-	0.02
Electrical Installations- Factory buildings	-	721.93	-	-	721.93	-	0.30	-	-	0.30
Motor Vehicles	-	29.09	-	-	29.09	-	0.80	-	-	0.80
Total	36.88	14,545.09	-	-	14,581.97	25.64	19.39	-	-	45.03
										14,536.94

* The title deeds of Buildings: Temporary Structure, Office Building, Factory Building and Roads are not held in the name of Company, as the land is in the name of Government of India which were taken on lease for a period of 59 years and the Company had constructed immovable properties on the same.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 2 : Property, Plant and Equipment and Intangible Assets (Contd..)

2.2 Intangible Assets

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block	
	As at 1 st April, 2022	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 1 st April, 2022	For the period	As at 31 st March 2023
Software	0.53	13.83	-	-	14.36	0.35	1.16	12.85
Total	0.53	13.83	-	-	14.36	0.35	1.16	12.85

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block	
	As at 1 st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2022	As at 1 st April, 2021	For the period	As at 31 st March 2022
Software	0.53	-	-	-	0.53	0.18	0.17	0.18
Total	0.53	-	-	-	0.53	0.18	0.17	0.18

(₹ in Lakhs)

Note 3 : Right of Use Assets

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block	
	As at 1 st April, 2022	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 1 st April, 2022	For the period	As at 31 st March 2023
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	128.36	-	-	-	128.36	6.54	2.10	119.72
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	248.86	-	-	-	248.86	11.64	4.09	233.13
Value of Right of use - Land at Salkia (9.91 Acres)	228.91	-	-	-	228.91	8.83	3.79	216.29
Total	606.13	-	-	-	606.13	27.01	9.98	569.14

(₹ in Lakhs)

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 3 : Right of Use Assets (Contd..)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block		
	As at 1 st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2022	As at 1 st April, 2021	For the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2022	As at 31 st March 2022
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	128.36	-	-	-	128.36	4.36	2.18	-	-	6.54	121.82
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	248.86	-	-	-	248.86	7.40	4.24	-	-	11.64	237.22
Value of Right of use - Land at Salkia (9.91 Acres)	228.91	-	-	-	228.91	4.90	3.93	-	-	8.83	220.08
Total	606.13	-	-	-	606.13	16.66	10.35	-	-	27.01	579.12

Note 4 : Intangible Assets (Value of Leasehold Land)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block		
	As at 1 st April, 2022	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 1 st April, 2022	For the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2023
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	-	-	118.94	6.18	1.94	-	-	8.12	110.82
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	234.07	-	-	-	234.07	10.91	3.86	-	-	14.77	219.30
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	221.99	-	-	-	221.99	7.85	3.69	-	-	11.54	210.45
Total	575.00	-	-	-	575.00	24.94	9.49	-	-	34.43	540.57

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 4 : Intangible Assets (Value of Leasehold Land)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation			Net Block		
	As at 1 st April, 2022	Additions during the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	For the period	Disposals during the period	Adjustments during the period	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2023
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	-	-	118.94	1.98	-	-	6.18	112.76
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	234.07	-	-	-	234.07	3.97	-	-	10.91	223.16
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	221.99	-	-	-	221.99	3.76	-	-	7.85	214.14
Total	575.00	-	-	-	575.00	9.71	-	-	24.94	550.06

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 5: Capital work-in-progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Capital Work-in-progress	608.88	1,386.80
Total	608.88	1,386.80

CWIP ageing schedule as at 31st March, 2023 is given below:

Projects in Process	Amount of CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Docks & Quays	22.09	18.63	22.51	-	63.23
10T Capston	-	26.01	4.82	-	30.83
Pontoon	459.16	-	-	-	459.16
Skid	55.66	-	-	-	55.66
Total	536.91	44.64	27.33		608.88

CWIP ageing schedule as at 31st March, 2022 is given below:

Projects in Process	Amount of CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Fire fighting works	46.18	130.05	68.22	-	244.45
Gas piping works	14.72	94.23	20.26	-	129.21
ELV works	12.03	59.35	-	-	71.38
Winch and winch systems	13.19	320.23	-	-	333.42
Repositioning of existing slipway	18.63	22.51	-	-	41.14
Cradle system	196.73	234.61	-	-	431.34
10T Capston	26.01	4.82	-	-	30.83
Compressor and Air dryer	88.59	16.44	-	-	105.03
Total	416.08	882.24	88.48	-	1,386.80

During the year, company has transferred an amount of ₹ 1,570.68 Lakh (Previous Year: ₹ 14,513.50 Lakh) from capital work-in-progress to property, plant and equipments for the projects completed during the financial year 2022-23.

Note 6: Other Financial Assets - Non-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Security deposits	0.40	0.36
Total	0.40	0.36

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 7: Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Deferred tax assets	282.78	397.52
Less: Deferred tax liabilities	282.78	144.18
Total	-	253.34

Movement in deferred tax assets / (liabilities) balances:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Net balance 1 st April 2022	Recognised in profit or loss	Recognised in OCI	Net balance 31 st March 2023
Property, plant and equipment and intangible assets	(144.18)	(138.60)	-	(282.78)
Brought forward tax losses and unabsorbed depreciation	395.19	(116.83)	-	278.36
Employee related provisions and liabilities	2.33	2.09	-	4.42
Total	253.34	(253.34)	-	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	Net balance 1 st April 2021	Recognised in profit or loss	Recognised in OCI	Net balance 31 st March 2022
Property, plant and equipment and intangible assets	0.89	(145.06)	-	(144.18)
Brought forward tax losses and unabsorbed depreciation	153.59	241.59	-	395.19
Employee related provisions and liabilities	-	2.33	-	2.33
Total	154.48	98.86	-	253.34

The Company has recognized deferred tax assets arising on account of brought forward tax losses and unabsorbed depreciation to the extent of the deferred tax liability arising on account of the temporary difference on depreciation of ₹ 282.78 Lakh as at March 31, 2023.

Brought forward losses and unabsorbed depreciation for which no deferred tax assets have been recognized are attributable to the following:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Brought forward losses*	211.10	-
Unabsorbed tax depreciation [#]	468.49	-
Total	679.59	-

[#]Unabsorbed tax depreciation does not have any expiry period under the Income-tax Act, 1961

*The following table details the expiry of the brought forward tax losses

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 7: Deferred tax assets (net) (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
0-4 years	5.98	-
4-8 years	205.12	-
Total	211.10	-

The brought forward losses and unabsorbed depreciation considered above includes information from tax records and returns of the Company filed upto Assessment Year 2022-23 and does not consider the potential effect of matters under dispute/litigation with the tax authorities which are currently sub-judice at various levels

Note 8: Income tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Advance income tax (net of provision for taxation)	39.55	22.60
Total	39.55	22.60

Note 9: Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Unsecured, considered good		
Security deposits	26.51	7.72
Advance lease rental	36.43	37.09
Total	62.94	44.81

Note 10: Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Stock in Trade		
Raw Meterials	148.95	-
Stores and Spares	15.01	-
Total	163.96	-

Note 11: Trade Receivables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Unsecured, considered good		
Trade Receivables		
From Others	755.41	49.96
Total	755.41	49.96

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 10: Inventories

Ageing for trade receivables outstanding as at March 31, 2023 is as follows:

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Undisputed trade receivables - considered good	-	705.45	-	49.96	-	-	755.41
Undisputed trade receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Undisputed trade receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	705.45	-	49.96	-	-	755.41

Ageing for trade receivables outstanding as at March 31, 2022 is as follows:

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Undisputed trade receivables - considered good	-	49.96	-	-	-	-	49.96
Undisputed trade receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Undisputed trade receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	49.96	-	-	-	-	49.96

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 12: Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Balance with Banks		
- In current account	5,479.12	1,775.44
- Term deposits with original maturity of less than three months	820.81	1,418.26
Total	6,299.93	3,193.70

Note 13: Bank balances other than Cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	-	109.07
Total	-	109.07

Note 14: Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Interest accrued on fixed deposits	2.87	3.82
From other deposits	0.94	-
Total	3.81	3.82

Note 15: Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Unsecured advances		
Miscellaneous deposits (Unutilised GST Input Credit)	1,245.19	1,020.98
Security deposits to others	23.00	-
Contract assets	20.54	-
Prepaid expenditure	25.78	28.80
Other current advances	163.24	92.50
Total	1,477.75	1,142.28

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 16: Equity Share Capital

Particulars	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	Number	(₹ in Lakhs)	Number	(₹ in Lakhs)
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	14,40,00,000	14,400.00	6,90,00,000	6,900.00
Preference shares of ₹ 10/- each	5,60,00,000	5,600.00	5,60,00,000	5,600.00
Total	20,00,00,000	20,000.00	12,50,00,000	12,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up				
For Cash	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00
For Consideration other than cash	-	-	-	-
Total	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

16.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	Number	(₹ in Lakhs)	Number	(₹ in Lakhs)
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	5,00,00,000	5,000.00	5,60,00,000	2,200.00
Add : shares issued during the year	4,60,00,000	4,600.00	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

Rights, Preferences and Restrictions attaching to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹ 10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed/declared by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. All dividends are paid in Indian Rupees. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

16.2 Details of shares held by holding company

Particulars	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)
Cochin Shipyard Limited: Holds 100% Equity Share Capital	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00
Total	9,60,00,000	9,600.00	5,00,00,000	5,000.00

16.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)
Cochin Shipyard Limited	9,60,00,000	100%	5,00,00,000	100%
Total	9,60,00,000	100%	5,00,00,000	100%

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 16: Equity Share Capital (Contd..)

16.4 Details of shares issued for consideration other than cash

Particulars	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)	No. of Shares held	(₹ in Lakhs)
Hooghly Dock and Port Engineers Limited	-	-	-	-

Equity share holding pattern

The Company's JV shareholder HDPEL holding 26% of the share capital totalling to 57,20,000 shares of ₹10/ each amounting to ₹5.72 crore has transferred its entire shares to the majority shareholder Cochin Shipyard Limited pursuant to the Union Cabinet approval. As a result, the entire share capital is at present held by Cochin Shipyard Limited with effect from November 01, 2019.

16.5 Details of shareholding of promoters

Shares held by promoters as at 31st March, 2023

Particulars	No. of Shares held	% of total shares	% change during the year
Cochin Shipyard Limited	9,60,00,000	100%	-

Shares held by promoters as at 31st March, 2022

Particulars	No. of Shares held	% of total shares	% change during the year
Cochin Shipyard Limited	5,00,00,000	100%	-

Note 17: Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Retained Earnings		
Surplus (Balance in Statement of Profit and Loss):		
Balance Brought Forward from Last Year's Account	(1,018.33)	(734.72)
Add: Profit / (Loss) for the year	(2,033.67)	(283.61)
Balance carried forward to next year's account	(3,052.00)	(1,018.33)

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 18: Non-Current Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Unsecured		
1. Debentures		
4,40,000 Nos. (2021: 4,40,000 Nos) 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹ 1,000/- each*	4,400.00	4,400.00
3,10,000 Nos. (2021: Nil) 6.15% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹ 1,000/- each**	3,100.00	3,100.00
2. Loan from Related Parties		
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/ each	5,600.00	5,600.00
Total	13,100.00	13,100.00

Note:

1) Debentures

*The Company had issued 4,40,000, 6.50% unsecured redeemable non-convertible debentures of ₹ 1000 each, with interest rate of 6.50% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The debentures are due for redemption on 16th September 2023.

**On 3rd September, 2021, the Company had further issued 3,10,000, 6.15% unsecured redeemable non-convertible debentures of ₹ 1000 each, with interest rate of 6.15% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allotment.

2) Cumulative Redeemable Preference Shares

Preference Share is treated as financial liability as per Ind AS 32, as these are redeemable on maturity for a fixed determinable amount and carry fixed rate of dividend

(i) Rights, preferences and restrictions attached to Preference shares:

The Company has one class of preference shares i.e. Cumulative Redeemable Preference Shares (CRP Shares) of ₹ 10 per share

(ii) Preference Shares held by Holding Company

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/- each, held by Cochin Shipyard Limited, the Holding Company	5,600.00	5,600.00
Total	5,600.00	5,600.00

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 18: Non-Current Borrowings (Contd..)

(iii) Details of Preference shareholders holdings more than 5% shares

Name of Preference Shareholder	As at 31 st March, 2023		As at 31 st March, 2022	
	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding
Cochin Shipyard Limited	5,600.00	100%	5,600.00	100%
Total	5,600.00	100%	5,600.00	100%

- (iv) Preference dividend has been provisionally accrued as finance cost. However, as per the Companies Act 2013, the preference shares is treated as part of share capital and the provisions of the Act relating to declaration of Preference Dividend would be applicable.

Note 19: Non-Current Lease Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Lease Obligations	679.20	664.16
Less: Current Portion of Lease Obligations	44.15	43.08
Total	635.05	621.08

The company has taken certain assets on lease for business purpose. In addition, the company has entered into long-term arrangements which conveys right to control the use of the identified assets resulting in recognition of right-of-use assets and lease obligations.

Lease obligations represent the present value of minimum lease payments payable over the lease term.

Movement of Lease Liabilities during the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Opening Lease Liabilities	664.16	649.37
New Leases recognised	-	-
Remeasurements and withdrawals	-	-
Interest expense on Lease Liabilities	58.12	56.82
Payment of Lease Liabilities	(43.08)	(42.03)
Closing Lease Liabilities	679.20	664.16

The maturity analysis of undiscounted lease liabilities are disclosed under Note 39(c)

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 20: Non-Current Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Provision for employee benefits (refer note 34):		
Retirement benefits	17.27	9.09
Total	17.27	9.09

Note 21: Current Lease Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Lease Obligations (refer note 19)	44.15	43.08
Total	44.15	43.08

Note 22: Other Financial Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Security and other deposits	306.04	126.88
Interest accrued but not due on debentures	263.27	263.27
Dividend on preference shares	728.15	392.15
Advance from customers	1,079.00	694.00
Contract liabilities	383.66	-
Others payables (Trade payables)	2,784.94	1,291.82
Total	5,545.06	2,768.12

Note 23: Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Statutory dues	35.20	32.90
Total	35.20	32.90

Note 24: Current Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
Provision for employee benefits (refer note 34):		
Retirement benefits	0.29	0.17
Creditors for expenses		
Expenditure / contingencies	183.49	1,316.93
Total	183.78	1,317.10

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 25: Revenue from Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Income from services		
Income from Ship building	969.34	-
Income from Ship repair services	156.37	41.78
Income from services	576.35	-
Total	1,702.06	41.78

Note 26: Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Interest on bank deposits	52.56	0.90
Interest on Income Tax Refund	-	1.81
Interest from others	1.85	0.57
Miscellaneous income	4.83	0.07
Unwinding of Discount on Security Deposit	0.03	0.03
Total	59.27	3.38

Note 27: Cost of materials consumed

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Raw materials consumed for Ship building	499.52	-
Raw materials consumed for Ship repairs	112.11	-
Total	611.63	-

Note 28: Sub contract and other Direct expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Sub contract and other direct expenses for Ship building	300.78	-
Sub contract and other direct expenses for Ship repair	6.96	17.08
Total	307.74	17.08

Note 29: Employee Benefit expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Employee Salaries & Allowances	300.78	-
Contribution to Provident and Other Funds	6.96	17.08
Employee benefit expenses	6.96	17.08
Total	307.74	17.08

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 30: Finance Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Interest expense on lease liability	58.12	56.82
Interest on others	831.86	-
Total	889.98	56.82

Note 31: Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Depreciation on property, plant and equipments	704.17	19.56
Depreciation on right of use-Lease liability	9.98	10.35
Amortisation on other intangible assets	9.49	9.71
Total	723.64	39.62

Note 32: Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March, 2023	Year ended 31 st March, 2022
Other indirect expenses	43.71	-
Rates & Taxes	77.93	2.44
Power & Fuel	63.72	20.12
Repairs and maintenance:		
Building and roads	9.04	6.16
Plant and machinery	10.14	-
Others	37.37	9.49
Travelling and conveyance expenses	22.55	7.41
Printing and stationery	2.27	1.56
Postage, telephone and telex	1.07	0.47
Advertisement and publicity	6.77	8.47
Lease rent paid	0.66	0.66
Hire charges	27.09	15.50
Insurance premium expenses	21.08	0.10
Security expenses	170.70	150.17
Auditors remuneration:		
Audit fees	2.50	1.50
Limited reviews	1.50	1.20
Consultancy	11.91	6.10
Bank charges	1.27	0.88
Miscellaneous expenses	89.67	14.98
Total	600.95	247.21

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

Note 33: Earnings per Equity Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended	Year ended
	31 st March, 2023	31 st March, 2022
Profit / (Loss) attributable to equity holders (₹ in Lakhs)	(2,033.67)	(283.61)
Weighted average number of equity shares used for computing Earning Per Share (Basic & Diluted)	5,20,16,438.36	5,00,00,000.00
Earning Per Share (Basic and Diluted) (₹)	(3.91)	(0.57)
Face value per equity (in ₹)	10.00	10.00

34. (i) Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences

Description of Plans:

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, Professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the company in the Financial Statements.

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on Government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
I Components of Employer Expense				
Recognised in the Statement of Profit and Loss:				
1 Current Service Cost	4.75	2.06	3.56	5.70
2 Past Service Cost	-	-	-	-
3 Net Interest Cost	0.26	0.42	-	-
4 Actuarial gains/(losses)	-	0.72	-	-
5 Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss	5.01	3.20	3.56	5.70

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

34. (i) Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income				
6 Return on plan assets (greater)/less than discount rate	-	-	-	-
7 Effect of changes in assumptions	-	-	-	-
8 Effect of experience adjustments	0.08	-	-	-
9 Total re-measurements included in Other Comprehensive Income	0.08	-	-	-
10 Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (5+9)	5.09	3.20	3.56	5.70

The current service cost, past service cost and net interest cost for the year pertaining to Gratuity expenses have been recognised in "Contribution to Provident and other funds" and Leave Encashment in "Employee Salaries & Allowances" under Note 29. The remeasurements of the net defined benefit liability are included in Other Comprehensive Income.

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
II Net Liability/(Asset) recognised in Balance Sheet				
Present Value of Defined Benefit Obligation	8.65	8.90	3.56	5.70
Fair Value of Plan Assets	-	-	-	-
Net liability:				
- Non-Current	8.58	8.68	3.53	5.56
- Current	0.07	0.22	0.03	0.14

III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
1 Present Value of DBO at the beginning of the year	3.56	5.70	-	-
2 Current Service Cost	4.75	2.06	3.56	5.70
3 Past Service Cost	-	-	-	-
4 Net Interest Cost	0.26	0.42	-	-
5 Actuarial gains/(losses)	-	0.72	-	-
6 Remeasurement gains/(losses):				
a Effect of changes in demographic assumptions	-	-	-	-
b Effect of changes in financial assumptions	-	-	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

34. (i) Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
c Changes in asset ceiling (excluding interest income)	-	-	-	-
d Effect of experience adjustments	0.08	-	-	-
7 Curtailment Cost/(Credits)	-	-	-	-
8 Settlement Cost/(Credits)	-	-	-	-
9 Acquisitions credit/ (cost)	-	-	-	-
10 Effects of transfer In/(Out)	-	-	-	-
11 Benefits Paid	-	-	-	-
12 Net defined benefit liability/ (asset) at end of current period	8.65	8.90	3.56	5.70

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023	As at 31 st March, 2022
IV. Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year		
Gratuity	NA	3.56

V. Change in Fair Value of Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
1 Plan Assets at the beginning of the year	-	-	-	-
2 Acquisition adjustment	-	-	-	-
3 Interest income on plan assets	-	-	-	-
4 Employer contributions	-	-	-	-
5 Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	-	-	-	-
6 Benefits paid	-	-	-	-
7 Fair Value of assets at the end of current period	-	-	-	-

VI. Actuarial Assumptions

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
1 Discount rate per annum	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
2 Rate of Escalation in Salary	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 Benefits paid	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate
4 Fair Value of assets at the end of current period	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

34. (i) Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences (Contd..)

VII. Sensitivity Analysis

The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
A Discount Rate	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	(1.07)	(1.13)	(0.46)	(0.71)
Percentage Impact	-12.40%	-12.60%	-13.00%	-12.40%
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	1.29	1.35	0.55	0.84
Percentage Impact	14.90%	15.10%	15.60%	14.80%
B Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	1.33	1.39	0.57	0.87
Percentage Impact	15.40%	15.70%	16.10%	15.30%
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	(1.12)	(1.18)	(0.49)	(0.74)
Percentage Impact	-13.00%	-13.20%	-13.70%	-13.00%

(₹ in Lakhs)

Maturity Analysis of the Benefit Payments	For the year ended 31 st March, 2023		For the year ended 31 st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
Year 1	0.07	0.23	0.03	0.14
Year 2	0.27	0.30	0.00	0.19
Year 3	2.55	0.38	0.00	0.24
Year 4	3.69	0.47	0.00	0.29
Year 5	0.66	0.57	0.00	0.35
Next 5 Years	16.53	16.07	0.01	2.81

- (ii) Amounts towards Defined Contribution Plans have been recognised under "Contribution to Provident and other funds" in Note 29: ₹ 27.02 Lakh (2021 - ₹ 3.59 Lakh).

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

35. Contingencies and Commitments

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31 st March, 2023	31 st March, 2022
Commitments (To the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for	75.99	521.57

36. Corporate Social Responsibility (CSR) : The company does not have either any profit from its operations or net worth as prescribed under Section 135 of the companies Act,2013. As such, the Company is not required to comply with the provisions of Sec 135 of the Companies Act, 2013.

37. Related Party disclosure

a) Name of the Related Parties and their relationship

Name of the Related Party	Relationship
Cochin Shipyard Limited	Holding Company
Udupi Cochin Shipyard Ltd	Fellow Subsidiary of Holding Company
Shri Madhu S Nair, Chairman	Key Managerial Personnel
Shri Shekhar Chakravarthy, Chief Executive Officer (from 22.12.2021)	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker, Director	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J, Director	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan, Nominee Director (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Anjana K R, Nominee Director (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Saibal Chattopadhyay, Chief Financial Officer (from 14.02.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Kiran K A, Company Secretary (from 16.10.2020)	Key Managerial Personnel

b) Details of Related Party Transactions:

Name of related party & nature of relationship	Nature of Transactions	For the Year ended 31st March, 2023	Balance Outstanding as at 31st March, 2023	For the Year ended 31st March, 2022	Balance Outstanding as at 31st March, 2022
(A) Holding Company:					
Cochin Shipyard Limited	Employee Manpower Services (provided by Cochin Shipyard Limited - Holding Company)*	-	-	-	-
	4,40,000 6.5% Redeemable Non-convertible Debentures of face value of Rs 1,000 each issued to Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	-	4,400.00	-	4,400.00

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

37. Related Party disclosure (Contd..)

Name of related party & nature of relationship	Nature of Transactions	For the Year ended 31st March, 2023	Balance Outstanding as at 31st March, 2023	For the Year ended 31st March, 2022	Balance Outstanding as at 31st March, 2022
	3,10,000 6.15% Redeemable Non-convertible Debentures of face value of Rs 1,000 each issued to Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00
	Advance against projects	483.53	-	571.12	87.12
	Revenue from operations	745.83	-	-	-
	Interest on Debentures	476.65	263.27	395.69	263.27
	Term Loan Taken	650.00	-	-	-
	Interest on Preference Shares	336.00	728.15	336.00	392.15
	Repayment of Term Loan	650.00	-	-	-
	Interest on Term Loan	5.79	-	-	-
	Materials from CSL	141.52	-	-	-
	Interest Recovery on Project	9.61	-	-	-

Cochin Shipyard Limited's (CSL) ERP system, 'SAP S/4HANA' has been extended to Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) with the entire SAP implementation cost and licenses charges for the financial year 2022-23, aggregating to ₹33.74 Lakhs, borne by CSL on behalf of HCSL. Further license fees and other charges from FY 2023-24 will be reimbursed to CSL by HCSL.

38. Disclosures on Financial Instruments

This section gives an overview of the significance of the financial instruments for the Company and provides additional information on balance sheet items that contain financial instruments.

(a) Categories of Financial Instruments

The following table presents the carrying value and fair value of each category of financial assets and liabilities as at 31st March, 2023 and 31st March, 2022

As at 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amortised Cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total Carrying Value	Total fair value
Financial Assets					
(i) Trade receivables	755.41	-	-	755.41	755.41
(ii) Cash and cash equivalents	6,299.93	-	-	6,299.93	6,299.93
(iii) Bank balance other than (ii)	-	-	-	-	-
(iv) Other financial assets	4.21	-	-	4.21	4.21
Total Financial Assets	7,059.55	-	-	7,059.55	7,059.55
Financial Liabilities					
(i) Borrowings	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
(ii) Lease liabilities	679.20	-	-	679.20	679.20

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

38. Disclosures on Financial Instruments (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amortised Cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total Carrying Value	Total fair value
(iii) Other financial liabilities	5545.06	-	-	5545.06	5545.06
Total Financial Liabilities	19324.26	-	-	19324.26	19324.26

As at 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amortised Cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total Carrying Value	Total fair value
Financial Assets					
(i) Trade receivables	49.96	-	-	49.96	49.96
(ii) Cash and cash equivalents	3,193.70	-	-	3,193.70	3,193.70
(iii) Bank balance other than (ii)	109.07	-	-	109.07	109.07
(iv) Other financial assets	4.18	-	-	4.18	4.18
Total Financial Assets	3,356.91	-	-	3,356.91	3,356.91
Financial Liabilities					
(i) Borrowings	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
(ii) Lease liabilities	664.16	-	-	664.16	664.16
(iii) Other financial liabilities	2,768.12	-	-	2,768.12	2,768.12
Total Financial Liabilities	16,532.28	-	-	16,532.28	16,532.28

(b) Fair value hierarchy:

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Level 1 to Level 3, as described below:

Quoted prices in an active market (Level 1): This level of hierarchy includes financial assets that are measured by reference to quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Valuation techniques with observable inputs (Level 2): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities, measured using inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e., derived from prices).

Valuation techniques with significant unobservable inputs (Level 3): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities measured using inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs). Fair value is determined in whole or in part, using a valuation model based on assumptions that are neither supported by prices from observable current market transactions in the same instrument nor are they based on available market data.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023				As at 31 st March, 2022			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Security deposits	-	0.40	-	0.40	-	0.36	-	0.36
	-	0.40	-	0.40	-	0.36	-	0.36

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

38. Disclosures on Financial Instruments (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023				As at 31 st March, 2022			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				-				
Borrowings	-	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00
Lease liabilities	-	679.20	-	679.20	-	664.16	-	664.16
Other financial liabilities	-	5,545.06	-	5,545.06	-	2,768.12	-	2,768.12
	-	19,324.26	-	19,324.26	-	16,532.28	-	16,532.28

- (i) Fair value of borrowings which have a quoted market price in an active market is based on its market price which is categorised as Level 1. Fair value of borrowings which do not have an active market or are unquoted is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate equivalent to the risk-free rate of return adjusted for credit spread considered by lenders for instruments of similar maturities which is categorised as Level 2 in the fair value hierarchy.
- (ii) Management uses its best judgement in estimating the fair value of its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented above are not necessarily indicative of the amounts that the Company could have realised or paid in sale transactions as of respective dates. As such, fair value of financial instruments subsequent to the reporting dates may be different from the amounts reported at each reporting date.
- (iii) There have been no transfers between Level 1 and Level 2 for the years ended March 31, 2023 and March 31, 2022.

(c) Maturity profile of Company's financial liabilities is as below:

Maturity Period	As at 31 st March, 2023			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	4,400.00	44.15	5,545.06	9,989.21
Later than one year and not later than five years	3,100.00	237.88	-	3,337.88
More than 5 years	5,600.00	4,819.85	-	10,419.85
	13,100.00	5,101.88	5545.06	23746.94
Less: Future Finance Charges on Leases	-	4,422.68	-	4,422.68
	13,100.00	679.20	5545.06	19324.26

(₹ in Lakhs)

Maturity Period	As at 31 st March, 2022			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	-	43.08	2768.12	2811.20
Later than one year and not later than five years	7,500.00	183.34	-	7,683.34
More than 5 years	5,600.00	4,918.54	-	10,518.54
	13,100.00	5,144.96	2768.12	21013.08
Less: Future Finance Charges on Leases	-	4,480.80	-	4,480.80
	13,100.00	664.16	2768.12	16,532.28

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

39. Additional Regulatory Information

(i) Ratios

Ratios	Numerator	Denominator	Current year	Previous year
Current ratio (in times)	Total current assets	Total current liabilities	1.50	1.08
Debt-Equity ratio (in times)	Debt consists of borrowings and lease liabilities.	Total equity	2.10	3.46
Debt service coverage ratio (in times)	Earning for Debt Service = Net Profit before taxes + Non-cash operating expenses + Interest + Other non-cash adjustments	Debt service = Interest and lease payments + Principal repayments	(0.32)	(0.65)
Return on equity ratio (in %)	Profit for the year less Preference dividend (if any)	Average total equity	-38.63%	-15.03%
Inventory turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average inventories	20.76	-
Trade receivables turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average trade receivables	4.23	1.67
Trade payables turnover ratio (in times)	Cost of CWIP and PPE + Other expenses	Average trade payables	0.57	1.44
Net capital turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average working capital (i.e. Total current assets less Total current liabilities)	1.05	0.05
Net profit ratio (in %)	Profit for the year	Revenue from operations	-119%	-679%
Return on capital employed (in %)	Profit before tax and finance costs	Capital employed = Net worth + Borrowings + Lease liabilities	-4.39%	-1.84%
Return on investment (in %)	Income generated from invested funds	Average invested funds in treasury investments	NA	NA

Explanation for Change in Ratios by more than 25% as compared to the previous year:

Ratios	% Change	Remarks
Current ratio (in times)	39%	There has been increase in current assets as the company has issued equity shares amounting to ₹ 4600 Lakh in March'23 resulting an increase in Cash and Cash Equivalents
Debt-Equity ratio (in times)	-39%	The Company has issued equity shares amounting to ₹ 4600 Lakh in March'23 resulting to increase in equity
Debt service coverage ratio (in times)	51%	Due to increase in EBITDA for the FY 2022-23
Return on equity ratio (in %)	-157%	Due to increase in losses for the FY 2022-23
Inventory turnover ratio (in times)	100%	No Inventory in the FY 21-22
Trade receivables turnover ratio (in times)	153%	Due to increase in revenue for the FY 2022-23
Trade payables turnover ratio (in times)	-61%	Due to decrease in cost of CWIP and PPE + Other expenses
Net capital turnover ratio (in times)	1897%	Due to increase in revenue for the FY 2022-23
Net profit ratio (in %)	82%	Due to increase in revenue for the FY 2022-23
Return on capital employed (in %)	-139%	Due to increase in losses for the FY 2022-23

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

39. Additional Regulatory Information (Contd..)

- (ii) No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder during the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.
- (iii) The Company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender during the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.
- (iv) The company has no transactions with the companies struck off under Companies Act, 2013 or Companies Act, 1956.

(v) Undisclosed Income:

There are no transactions not recorded in the books of accounts during the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022 that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

There are no previously unrecorded income and related assets to be recorded in the books of account during the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.

(vi) Details of Crypto Currency or Virtual Currency

The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.

(vii) Utilisation of Borrowed funds and share premium:

(A) During the year ended and as at 31st March, 2023 and 31st March, 2022, the Company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall :

- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(B) During the year ended and as at 31st March, 2023 and 31st March, 2022, the Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall :

- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(viii) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies (ROC)

All charges or satisfaction are registered with ROC within the statutory period for the financial years ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.

(ix) Compliance with number of layers of companies

As at 31st March, 2023 and as at 31st March, 2022, the company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

- (x) The Company has borrowings from banks on the basis of security of current assets. The Company has complied with the requirement of filing of monthly/ quarterly returns/statements of current assets with the banks or financial institutions, as applicable, and these returns were in agreement with the books of accounts for the year ended 31st March, 2023 and 31st March, 2022.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2023

40. Segment Reporting

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2023			As at 31 st March, 2022		
	Ship Building	Ship Repairs	Total	Ship Building	Ship Repairs	Total
Segment Revenue	969.34	156.37	1,125.71	-	41.78	41.78
Add: Others			576.35			-
Total Revenue from Operations			1,702.06			41.78
Segment Results	35.86	37.70	73.56	-	24.70	24.70
Less: Unallocated expenses net of income			963.83			350.35
Less: Finance Costs			889.98			56.82
Profit/(Loss) before exceptional items and tax			(1,780.25)			(382.47)
Less- Exceptional Items - (Income) / Expense			-			-
Profit/(Loss) Before Tax			(1,780.25)			(382.47)
Provision For Tax			-			-
Provision For Deferred tax			253.34			(98.86)
Profit/(Loss) After Tax			(2,033.59)			(283.61)
Segment Assets	13,389.54	26.15	13,415.69	11,634.88	-	11,634.88
Add: Unallocated Corporate Assets			12,692.82			10,238.16
Total Assets			26,108.51			21,873.04
Segment Liabilities	267.28	17.08	284.36	-	-	-
Add: Unallocated Corporate Liabilities			19,276.15			17,891.37
Total Liabilities			19,560.51			17,891.37
Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-
Depreciation and Amortisation Expense	-	-	-	-	-	-
Non Cash Expenses other than Depreciation and Amortisation Expense	-	-	-	-	-	-

41. Previous year figures have been recasted/regrouped wherever necessary to conform to the current year presentation.

In terms of our report of even date

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

Kolkata
28th April, 2023

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

SHEKHAR CHAKRAVARTHY
Chief Executive Officer

Kochi
28th April, 2023

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

NOTICE

Notice is hereby given that the 06th Annual General Meeting of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited will be held at 11.00 hrs. on Tuesday, September 19, 2023 at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2023, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24.

By the Order of the Board of Directors
For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kochi
September 08, 2023

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Notes:

1. A Member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A proxy form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the Members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or Shareholder.
3. Members, proxies and authorized representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice are available for inspection by the Members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this Notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office, at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Director, who is seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

By the Order of the Board of Directors
For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kiran K A

Company Secretary
 M. No. A36050

Kochi
 September 08, 2023

Registered Office

Administrative Building
 HCSL Premises, Satyen Bose Road
 P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
 Howrah, West Bengal – 711 109
 CIN: U35900WB2017GOI223197
 e-mail: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015

Day, Date and Time : Tuesday, September 19, 2023 at 11.00 hrs.

Name of Member(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	

I/ We, being the Member(s) of Hooghly Cochin Shipyard Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her

2.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her

3.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	


as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/our behalf at the 06th Annual General Meeting of the Members of the Company, to be held on Tuesday, September 19, 2023 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31 st March 2023, and the Reports of the Board of Directors and Auditors’ thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
4.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24.		

Signed this day of..... 2023

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)



Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015

Day, Date and Time : Tuesday, September 19, 2023 at 11.00 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE


Name of the Shareholder(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	
No. of shares held	

I certify that I am the registered Shareholder(s)/ Proxy for the registered Shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 06th Annual General Meeting of the Company on **Tuesday, September 19, 2023 at 11.00 hrs. at CSL Board Room**, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the shareholder or proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, HCSL Premises
Satyen Bose Road, P.O. Danesh Shaikh Lane
Nazirgunge, Howrah, West Bengal – 711 109

I, _____, son of _____, resident of _____
_____, holding _____ equity shares
and/ or _____ preference shares of Rs. 10/- each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of
the Companies Act, 2013, to hold the 06th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 19, 2023 outside the local
limits of the Registered Office at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682
015 at a shorter notice.

Place:
Date:

Signature:
Name:

DETAILS OF DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Madhu Sankunny Nair
DIN	07376798
Age & Date of Birth	57 years and January 05, 1966
Qualifications	He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan.
Experience	Shri Madhu Sankunny Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 35 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Madhu Sankunny Nair was appointed as one of the first directors of the Company on October 23, 2017 as a nominee of Cochin Shipyard Limited (CSL) in the Board. He was re-appointed pursuant to the retirement by rotation at the 03 rd AGM held on August 04, 2020. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Madhu Sankunny Nair till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2022-23)	Nil
Date of first appointment on the Board	October 23, 2017
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	5/5
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Udupi Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Nil

*Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

Name of the Director	Shri Bejoy Bhasker
DIN	08103825
Age & Date of Birth	58 years & May 07, 1965
Qualifications	He holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University.
Experience	Shri Bejoy Bhasker is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 35 years of work experience across areas such as ship design, ship building, outfit and ship repair. He is also the Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Bejoy Bhasker was appointed as one of the directors nominated by CSL. He was re-appointed pursuant to the retirement by rotation at the 04 th AGM held on September 15, 2021. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Bejoy Bhasker till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2022-23)	Nil
Date of first appointment on the Board	April 25, 2018
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	5/5
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Udupi Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Member in the Stakeholders Relationship Committee of Cochin Shipyard Limited.

*Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

ADDENDUM TO THE NOTICE FOR 06TH ANNUAL GENERAL MEETING

Reference is invited to the Notice issued on September 08, 2023, for the 06th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited scheduled at 11:00 hrs. on Tuesday, September 19, 2023.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In view of these MCA Circulars, the Company is providing the facility of attending the 06th AGM through VC/ OAVM. Members and other invitees may attend the said AGM through electronic mode by clicking the link given below:

[Link for attending the 06th AGM of Hooghly Cochin Shipyard Limited](#)

The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary.hcsl@cochinshipyard.in.

Kindly make it convenient to attend the Meeting.

For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kochi
September 18, 2023

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050



HOUGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

Registered Office:

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West bengal - 711 109

CIN: U35900WB2017GO1223197

